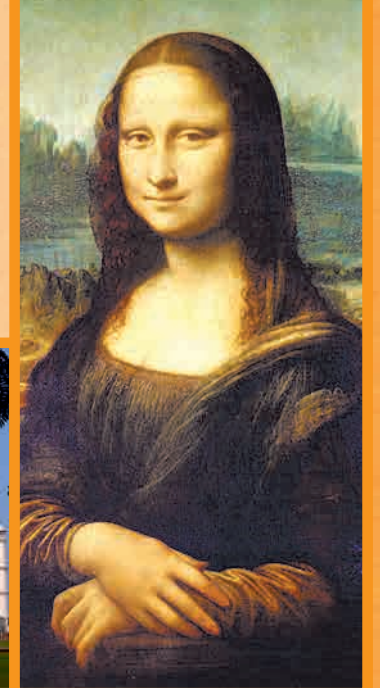
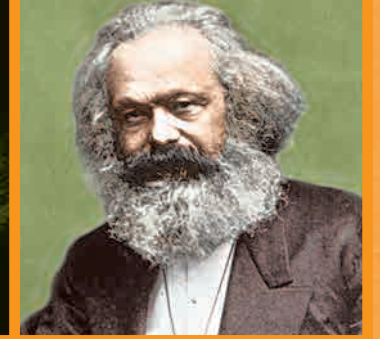




इतिहास और राजनीति विज्ञान

दसवीं कक्षा



शासन निर्णय क्रमांक : अभ्यास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ दिनांक २५.४.२०१६ के अनुसार समन्वय समिति का गठन किया गया। दिनांक २९.१२.२०१७ को हुई इस समिति की बैठक में सन २०१८-१९ इस कालावधि से यह पाठ्यपुस्तक निर्धारित करने हेतु मान्यता प्रदान की गई।

इतिहास और राजनीति विज्ञान

दसवीं कक्षा



महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.



35HG46

आपके स्मार्ट फोन के DIKSHA APP द्वारा पाठ्यपुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर दिए गए Q.R.Code के माध्यम से डिजीटल पाठ्यपुस्तक और प्रत्येक पाठ में दिए हुए Q.R.Code के माध्यम से उन पाठों से संबंधित अध्ययन-अध्यापन करने के लिए उपयुक्त दृश्य-श्रव्य सामग्री/साहित्य उपलब्ध होगा।

प्रथमावृत्ति : २०१८ © महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती एवं अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे ४११ ००४.

इस पुस्तक का सर्वाधिकार महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ के अधीन सुरक्षित है। इस पुस्तक का कोई भी भाग महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ के संचालक की लिखित अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता।

इतिहास विषय समिति

डॉ. सदानंद मोरे, अध्यक्ष
श्री. मोहन शेते, सदस्य
श्री. पांडुरंग बलकवडे, सदस्य
डॉ. शुभांगना अत्रे, सदस्य
डॉ. सोमनाथ रोडे, सदस्य
श्री. बापूसाहेब शिंदे, सदस्य
श्री. बाळकृष्ण चोपडे, सदस्य
श्री. प्रशांत सरूडकर, सदस्य
श्री. मोगल जाधव, सदस्य-सचिव

राजनीति विज्ञान विषय समिति

डॉ. श्रीकांत परांजपे, अध्यक्ष
प्रा. साधना कुलकर्णी, सदस्य
डॉ. प्रकाश पवार, सदस्य
प्रा. अजिंक्य गायकवाड, सदस्य
प्रा. संगिता आहेर, सदस्य
डॉ. मोहन काशीकर, सदस्य
श्री. वैजनाथ काळे, सदस्य
श्री. मोगल जाधव, सदस्य-सचिव

इतिहास और राजनीति विज्ञान अध्ययन वर्ग

श्री. राहुल प्रभू	श्री. विशाल कुलकर्णी
श्री. संजय वझरेकर	प्रा. शेखर पाटील
श्री. सुभाष राठोड	श्री. रामदास ठाकर
सौ. सुनीता दळवी	डॉ. अजित आपटे
प्रा. शिवानी लिमये	डॉ. मोहन खडसे
श्री. भाऊसाहेब उमाटे	सौ. शिवकन्या कदेरकर
डॉ. नागनाथ येवले	श्री. गौतम डांगे
श्री. सदानंद डोंगरे	डॉ. व्यंकटेश खरात
श्री. रवींद्र पाटील	श्री. रविंद्र जिंदे
सौ. रूपाली गिरकर	डॉ. प्रभाकर लोंढे
डॉ. मिनाक्षी उपाध्याय	डॉ. मंजिरी भालेराव
डॉ. रावसाहेब शेळके	प्रा. शशि निघोजकर
डॉ. सतीश चापले	

लेखक

डॉ. शुभांगना अत्रे
डॉ. गणेश राऊत
डॉ. वैभव पळसुले

भाषांतरकार

प्रा. शशि निघोजकर
प्रा. ज्ञानेश्वर सोनार

समीक्षक

डॉ. प्रमोद शुक्ल

मुखपृष्ठ व सजावट

श्री. देवदत्त प्रकाश बलकवडे

अक्षरांकन

मुद्रा विभाग, पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे

कागज

७० जी.एस.एम. क्रिमवोव

मुद्रणादेश

N/PB/2018-19/QTY.- 80,000

मुद्रक

M/s. ASHOKA PRINT PACK, SANGLI

संयोजक

श्री. मोगल जाधव
विशेषाधिकारी, इतिहास व नागरिकशास्त्र
सौ. वर्षा सरोदे
विषय सहायक, इतिहास व नागरिकशास्त्र
पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे.

निर्मिती

श्री. सच्चितानंद आफळे,
मुख्य निर्मिती अधिकारी
श्री. प्रभाकर परब,
निर्मिती अधिकारी
श्री. शशांक कणिकदळे,
सहायक निर्मिती अधिकारी

प्रकाशक

श्री. विवेक उत्तम गोसावी, नियंत्रक
पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ,
प्रभादेवी, मुंबई-२५.

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता

और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो
हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत,
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

राष्ट्रगीत

जनगणमन - अधिनायक जय हे
भारत - भाग्यविधाता ।
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,
द्राविड, उत्कल, बंग,
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,
उच्छल जलधितरंग,
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिस मागे,
गाहे तव जयगाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे,
भारत - भाग्यविधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ॥

प्रतिज्ञा

भारत मेरा देश है । सभी भारतीय मेरे भाई-
बहन हैं ।

मुझे अपने देश से प्यार है । अपने देश की
समृद्ध तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं
पर मुझे गर्व है ।

मैं हमेशा प्रयत्न करूँगा/करूँगी कि उन
परंपराओं का सफल अनुयायी बनने की क्षमता
मुझे प्राप्त हो ।

मैं अपने माता-पिता, गुरुजनों और बड़ों
का सम्मान करूँगा/करूँगी और हर एक से
सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूँगा/करूँगी ।

मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं अपने
देश और अपने देशवासियों के प्रति निष्ठा
रखूँगा/रखूँगी । उनकी भलाई और समृद्धि में
ही मेरा सुख निहित है ।

प्रस्तावना

विद्यार्थी मित्रो...

आपने तीसरी कक्षा से पाँचवीं कक्षा तक इतिहास और नागरिकशास्त्र विषयों का अध्ययन 'परिसर अध्ययन' में किया है। छठी कक्षा से पाठ्यक्रम में इतिहास और नागरिकशास्त्र विषय स्वतंत्र रखे गए हैं और इन दोनों विषयों का समावेश एक ही पाठ्यपुस्तक में किया गया है। दसवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक आपके हाथ में देते हुए हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है।

विषय का भली-भाँति आकलन हो, विषय मनोरंजक लगे; इस दृष्टि से पाठ्यपुस्तक की रचना की गई है। प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक के अध्ययन द्वारा आपको आनंद मिलेगा; ऐसा हमें लगता है। इसके लिए पाठ्यपुस्तक में रंगीन चित्र दिए गए हैं। पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। पाठ का जो अंश/हिस्सा आपकी समझ में नहीं आएगा; उस अंश/हिस्से को अपने शिक्षक, अभिभावकों से समझ लें। चौखटों में दिया गया पाठ्यांश आपके ज्ञान में वृद्धि ही करेगा। प्रत्येक पाठ के विषय में अधिक जानकारी हेतु उपयुक्त दृश्य-श्रव्य सामग्री आपके लिए उपलब्ध होगी। इसका अध्ययन के लिए निश्चित रूप से उपयोग होगा। इसके लिए 'एप' के माध्यम से क्यू.आर.कोड का प्रयोग करें। इतिहास विषय मनोरंजक है और वह हमारा मित्र है; यदि ऐसा समझकर आपने प्रस्तुत पुस्तक का अध्ययन किया तो इस पुस्तक के प्रति आप में निश्चित रूप से रुचि उत्पन्न होगी।

प्रस्तुत इतिहास में 'उपयोजित इतिहास' का समावेश किया गया है। इतिहास विषय अनेक लोगों को कुतूहल का एक विषय तथा रुचि के रूप में अच्छा लगता है परंतु विद्यालयीन पाठ्यक्रम में इतिहास सही अर्थ में कितना आवश्यक है; इसकी ओर विशेष ध्यान दें तो भावी जीवन में विद्यार्थियों को कौन-कौन-से व्यावसायिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे, उनके द्वारा अंगीकृत किए गए व्यवसाय में क्या उन्हें उस विषय के अध्ययन का कुछ विशेष लाभ होगा, इसे लेकर अनेकों के मन में शंका होती है। आवश्यक जानकारी उपलब्ध न होने से इस शंका को दूर करना दूभर हो जाता है। यह जानकारी प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक द्वारा 'इतिहास' विषय में उपलब्ध करा दी गई है। प्रतिदिन के जीवन से संबंधित कोई भी बात हो; व्यवसाय का कोई भी क्षेत्र हो, प्रत्येक बात का संबंधित व्यावसायिक क्षेत्र के विकास का अपना इतिहास होता है। इतिहास के इस ज्ञान का उपयोग व्यवसाय के लिए आवश्यक कौशल में वृद्धि करने हेतु किया जा सकता है; इस बात को प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक में स्पष्ट किया गया है।

राजनीति विज्ञान के विभाग में 'भारतीय संविधान की प्रगति' के विषय में जानकारी दी गई है। इसमें चुनाव प्रक्रिया की जानकारी, राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर प्रमुख राजनीतिक दल, उनकी भूमिकाएँ, लोकतंत्र को सक्षम करने वाले सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन तथा भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों को लेकर विचार-विमर्श किया गया है। इस नई भूमिका को स्वीकार करने के लिए विद्यार्थियों को सक्षम करना आवश्यक है और इसके लिए पाठ्यपुस्तक का पाठ्यांश उपयोगी सिद्ध होगा।

(डॉ. सुनिल मगर)

संचालक

पुणे

दिनांक : १८ मार्च २०१८, गुढीपाडवा

भारतीय सौर दिनांक : २७ फाल्गुन १९३९

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति एवं
अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

- शिक्षकों के लिए -

एक कुतूहल का विषय और रुचि के रूप में 'इतिहास' विषय अनेकों की पसंद का विषय होता है परंतु यह विषय विद्यालयीन पाठ्यक्रम में वास्तव में कितना आवश्यक है? इस विषय पर ध्यान केंद्रित करें तो भावी जीवन में विद्यार्थियों के लिए कौन-से व्यावसायिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे अथवा उनके द्वारा अंगीकृत किए जाने वाले व्यवसाय में क्या उन्हें इस विषय के अध्ययन का कुछ विशेष लाभ प्राप्त होगा? इस प्रकार की शंकाएँ असंख्यों के मन में होती हैं परंतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध न होने से ऐसी शंकाओं का निराकरण करना कठिन हो जाता है। वह आवश्यक जानकारी इस पाठ्यपुस्तक द्वारा उपलब्ध करा दी गई है।

इतिहास की अध्ययन पद्धति और इतिहास लेखन से क्या तात्पर्य है? इतिहास लेखन का इतिहास जैसी बातों की जानकारी अब तक केवल महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन स्तर पर करा दी जाती थी। इन बातों का समावेश विद्यालयीन पाठ्यक्रम में नहीं किया गया था। अतः इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति से क्या तात्पर्य है; इस विषय में विद्यार्थियों के मन में उत्पन्न होने वाले संभ्रम की संभावना को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक में इतिहास लेखन विषय पर प्रथम दो पाठों में सरल रूप में संक्षिप्त जानकारी दी है।

इतिहास मात्र विभिन्न राजसत्ताओं और उनके बीच हुए युद्धों तथा महान योद्धाओं की वीरता की कहानियों तक सीमित नहीं होता है; इस तथ्य का बोध विद्यालयीन विद्यार्थियों को इतिहास की पाठ्यपुस्तकों द्वारा समय-समय पर कराया गया है। फिर भी इन बातों के पारवाला इतिहास अर्थात् निश्चित रूप से क्या है और इतिहास का वर्तमान के साथ संबंध किस प्रकार का होता है; इसका आकलन कर लेने का अवसर विद्यालयीन विद्यालयों को प्राप्त नहीं हो रहा था। इस तथ्य को विशेष रूप से आँखों के सामने रखकर दसवीं कक्षा के पाठ्यक्रम का ढाँचा खींचा गया है। इसी रूप में प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक के पाठों का नियोजन किया गया है।

वास्तव में देखा जाए तो इतिहास और प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन के बीच अटूट संबंध है। इस बात का 'उपयोजित इतिहास' अथवा 'जन-जन का इतिहास' स्पष्ट करता है। यह नवीन ज्ञान शाखा है और विगत कुछ दशकों में विकसित होती जा रही है। विदेश के विश्वविद्यालयों में इस विषय के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इस पाठ्यपुस्तक में इस नवीन विषय की जानकारी देने के साथ-साथ यह भी बताया गया है कि विभिन्न व्यवसायों की मूल्यवर्धित सेवाओं के लिए इतिहास के गहन अध्ययन की तथा ऐसे अध्ययनशील विशेषज्ञ इतिहासकार की आवश्यकता किस प्रकार अनुभव होती है। इसके लिए आवश्यक पाठ्यक्रम और वे पाठ्यक्रम जहाँ पढ़ाए जाते हैं; ऐसे संस्थानों की जानकारी दी गई है।

प्रतिदिन के जीवन की कोई भी बात हो; व्यवसाय का कोई भी क्षेत्र हो; उस बात का अथवा उस व्यावसायिक क्षेत्र का स्वयं का इतिहास होता है और उस इतिहास के ज्ञान का उपयोग व्यवसाय के उस क्षेत्र के लिए आवश्यक कौशल वृद्धि करने हेतु होता है; यह तथ्य प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक में स्पष्ट किया गया है।

दसवीं कक्षा के विद्यार्थी महाविद्यालय की दहलीज पर प्रवेश पाने के लिए खड़े होते हैं। इन विद्यार्थियों के मन में स्नातक उपाधि पाने और भावी जीवन की प्रगति हेतु अनुकूल व्यवसाय चुनने की उचित दिशा को तय करने के विषय में अनेक प्रश्न रहते हैं। विशेषतः विद्यार्थियों में इतिहास विषय में प्रवीणता प्राप्त करने की इच्छा रहती है परंतु इस संबंध में विद्यार्थियों को प्रोत्साहनपर मार्गदर्शक पुस्तकें कठिनाई से उपलब्ध होती हैं। उस कमी को प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक द्वारा पूरा करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए उपयुक्त और रोचक जानकारी और समीचीन चित्रों का भी समावेश किया गया है।

विद्यालयीन स्तर पर नागरिकशास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम में सामाजिक-राजनीतिक परिसर का परिचय, यहाँ से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और हमारे देश का राजनीतिक स्वरूप; इतना व्यापक पाठ्यांश समाविष्ट किया गया है। इस पाठ्यांश के अध्ययन उद्दिष्टों को आप अध्यापन द्वारा साध्य करेंगे ही परंतु इसी के साथ दसवीं कक्षा में वर्ग की अंतरक्रियाएँ मात्र जानकारी देने वाली न हों अपितु उन्हें प्रतिदिन की घटनाओं और गतिविधियों से जोड़ा जाना अपेक्षित है। भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियाँ निश्चित रूप से हैं परंतु लोकतंत्र को दृढ़ करने वाली परंपराएँ भी बड़ी मात्रा में निर्माण हुई हैं। इसके द्वारा वस्तुनिष्ठ विवेचन, संवाद और विचार-विमर्श किया जा सकता है। छोटे समूहों में विद्यार्थियों को स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए।

पाठ्यपुस्तक में पाठ्यांश की रचना इस प्रकार की गई है जिससे विद्यार्थियों में कुछ नया सीखने की ऊर्जा उत्पन्न हो सके। इसको शिक्षक और अभिभावक संपूर्ण समर्थन देंगे; इसमें कोई संदेह नहीं है।

• क्षमता विधान •

क्र.	घटक	क्षमताएँ
१.	प्राचीन से आधुनिक कालखंड के इतिहास की विश्लेषणात्मक समीक्षा	- इतिहास लेखन की परंपरा स्पष्ट करना । - इतिहास लेखन के विज्ञान के विकसित होने में अनेक पश्चिमी विचारकों का योगदान रहा है, इसका बोध करना । - भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन करना आना । - भारत तथा विश्व में हुए ऐतिहासिक शोधकार्यों की जानकारी प्राप्त करना । - इतिहास विशुद्ध विज्ञान का अध्ययन विषय है; यह बताना आना ।
२.	उपयोजित इतिहास	- उपयोजित इतिहास की अवधारणा को बता पाना । - इतिहास की विभिन्न विषयों में तथा मनुष्य के जीवन में निहित उपयोगिता को समझना । - ऐतिहासिक घटनाओं की समकालीनता को पहचानना आना । - ऐतिहासिक घटनाओं की विविध विचारधाराओं की पहचान करना आना ।
३.	प्रसार माध्यम और इतिहास	- विभिन्न प्रसार माध्यमों एवं इतिहास के बीच के सहसंबंध को पहचान सकना । - विभिन्न प्रसार माध्यमों में उपलब्ध होनेवाली जानकारी के आधार पर तटस्थ रूप से स्वयं का ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित कर सकना । - संबंधित व्यवसाय के व्यावसायिक क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करना ।
४.	मनोरंजन के माध्यम और इतिहास	- मनोरंजन की आवश्यकता को स्पष्ट करना आना । - प्रसार माध्यमों और इतिहास के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण करना आना । - मनोरंजन के माध्यमों में होने वाले परिवर्तनों को समझ लेना ।
५.	कला, खेल और साहित्य क्षेत्र तथा इतिहास	- भारत की विविध कलाओं की जानकारी बताना आना । - विभिन्न खेलों में भारतीयों द्वारा किए गए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों के प्रति गर्व का अनुभव करना और उनके द्वारा प्रेरणा ग्रहण करना । - कला, खेल और साहित्य क्षेत्र के विभिन्न घटकों की जानकारी बताना । - कला, खेल और साहित्य के ऐतिहासिक उपयोजन को स्पष्ट करना आना ।
६.	पर्यटन और इतिहास	- पर्यटन क्षेत्र में इतिहास उपयोगी होता है; इसका बोध करना । - हमारे देश में उपलब्ध पर्यटन क्षेत्र के अवसरों को स्पष्ट करना आना । - पर्यटन के कारण अनेकों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं; इसे स्पष्ट करना आना । - इतिहास और पर्यटन के बीच के सहसंबंध को समझना ।
७.	इतिहास और अन्य क्षेत्र	- इतिहास के अध्ययन में संग्रहालय और पुस्तकालय का जो महत्त्व है; उसे बताना आना । - इतिहास के अध्ययन द्वारा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करना संभव होता है; यह भावना विकसित करना । - इतिहास का समन्वय अन्य अध्ययन क्षेत्रों के साथ स्थापित करना ।

अनुक्रमणिका

उपयोजित इतिहास

क्र.	पाठ का नाम	पृष्ठ क्र.
१.	इतिहास का लेखन : पश्चिमी परंपरा	१
२.	इतिहास का लेखन : भारतीय परंपरा	७
३.	उपयोजित इतिहास	१५
४.	भारतीय कलाओं का इतिहास	२२
५.	प्रसार माध्यम और इतिहास	३२
६.	मनोरंजन के माध्यम और इतिहास	३९
७.	खेल और इतिहास	४६
८.	पर्यटन और इतिहास	५२
९.	ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण	५९

१. इतिहास लेखन : पश्चिमी परंपरा

- १.१ इतिहास लेखन की परंपरा
- १.२ आधुनिक इतिहास लेखन
- १.३ यूरोप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और इतिहास लेखन
- १.४ महत्वपूर्ण विचारक

भूतकाल में घटित घटनाओं के बीच क्रमिक संगति बिठाकर उनका आकलन करना; इस उद्देश्य को लेकर इतिहास का अनुसंधान, लेखन और अध्ययन किया जाता है। यह निरंतर और अखंड रूप में चलने वाली प्रक्रिया है।

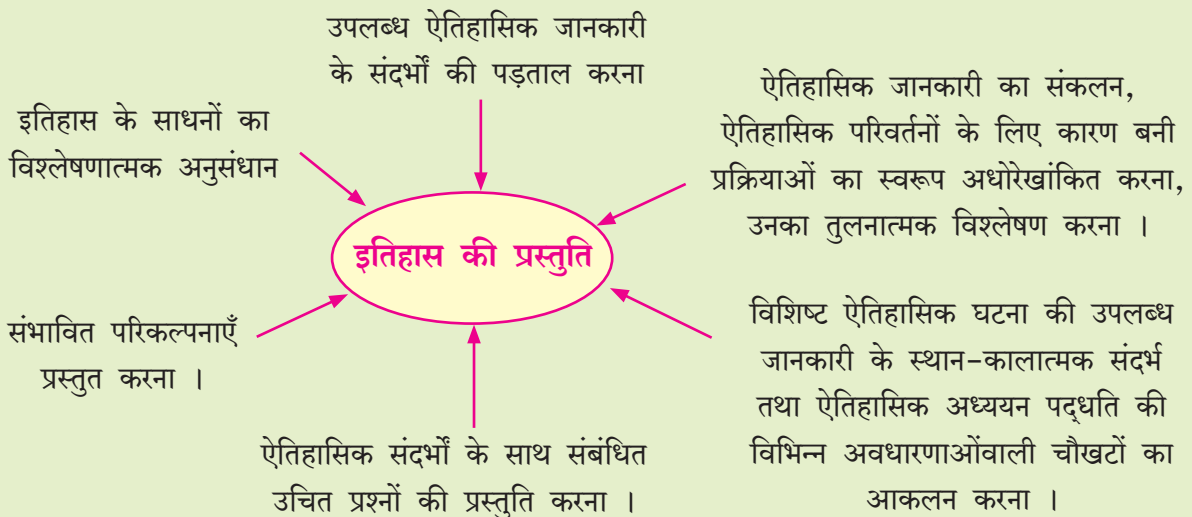
वैज्ञानिक ज्ञानशाखाओं में उपलब्ध ज्ञान की सत्यता की पड़ताल करने हेतु प्रायोगिक पद्धति एवं प्रत्यक्ष निरीक्षण का अवलंब किया जाता है। इस पद्धति के आधार पर विभिन्न घटनाओं के संदर्भों में सार्वकालिक और सार्वत्रिक नियमों को स्थापित करना और उन नियमों को पुनः-पुनः सिद्ध करना संभव होता है।

इतिहास के अनुसंधान अथवा शोधकार्य में

प्रायोगिक पद्धति और प्रत्यक्ष निरीक्षण का अवलंब करना संभव नहीं होता है क्योंकि इतिहास की घटनाएँ घटित हो चुकी होती हैं। अतः उन घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए हम वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं और उन घटनाओं को दोहराया भी नहीं जा सकता। साथ ही, सार्वकालिक और सार्वत्रिक नियम स्थापित करना तथा उन नियमों को सिद्ध करना संभव नहीं होता है।

सब से पहले ऐतिहासिक दस्तावेज लिखने के लिए जिस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया होगा; उस दस्तावेज का वाचन करने और उसका अर्थ समझने के लिए उस भाषा और लिपि को पढ़ सकने वाले विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात अक्षर की बनावट अर्थात् आकार-प्रकार, लेखक की भाषा शैली, उपयोग में लाये गए कागज का निर्माण समय और कागज का प्रकार, अधिकारदर्शक मुद्रा जैसी विभिन्न बातों के विशेषज्ञ संबंधित दस्तावेज मौलिक हैं अथवा नहीं; इसे निश्चित करने हेतु सहायता कर सकते हैं। इसके पश्चात इतिहासतज्ञ

इतिहास अनुसंधान की पद्धति



ऐतिहासिक संदर्भों का तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर दस्तावेज में उपलब्ध जानकारी की विश्वसनीयता की पड़ताल कर सकते हैं ।

इतिहास के अनुसंधान कार्य में सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न ज्ञानशाखाएँ और संस्थान हैं । जैसे: पुरातत्त्व अभिलेखागार, हस्तलेखों अथवा पांडुलिपियों का अध्ययन, पुराभिलेख, अक्षरआकार विज्ञान, भाषारचना विज्ञान, मुद्राविज्ञान, वंशावली का अध्ययन आदि ।

१.१ इतिहास लेखन की परंपरा

इतिहास में उपलब्ध प्रमाणों का अध्ययनपूर्वक अनुसंधान कर भूतकाल में घटित घटनाओं की प्रस्तुति अथवा संरचना किस प्रकार की जाती है; यह हमने देखा । इतिहास की इस प्रकार प्रस्तुति अथवा संरचना करने की लेखन पद्धति को इतिहास लेखन कहते हैं तथा इतिहास की इस प्रकार अध्ययनपूर्ण प्रस्तुति अथवा संरचना करने वाले अनुसंधानकर्ता को इतिहासकार कहते हैं ।

इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना करते समय इतिहासकार के लिए भूतकाल में घटित प्रत्येक घटना का उल्लेख करना और उसका बोध कराना संभव नहीं होता है । इतिहास लेखन करते समय इतिहासकार किन घटनाओं का चुनाव करता है; यह इस बात पर निर्भर करता है कि इतिहासकार पाठकों तक क्या ले जाना चाहता है। चुनी हुई घटनाएँ और उनको प्रस्तुत करते समय इतिहासकार द्वारा अवलंबित वैचारिक दृष्टिकोण उसकी लेखन शैली को निर्धारित करता है ।

विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में इस प्रकार इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी । इसका अर्थ हम यह नहीं कह सकते कि उन लोगों को भूतकाल का बोध अथवा उनमें जिज्ञासा नहीं थी । अपने बड़े-बुजुर्ग लोगों द्वारा सुनी हुई हमारे पूर्वजों के जीवन और वीरता-पराक्रम की बातें अगली पीढ़ी तक पहुँचाने की आवश्यकता उस समय भी अनुभव होती थी। गुफाओं में बनाए गए चित्रों द्वारा स्मृतियों का संरक्षण करना, कहानी कहना, गीतों-शौर्यगीतों का गायन करना जैसी परंपराएँ विश्व की संस्कृतियों



क्या, आप जानते हैं ?



फ्रांस के लुव्र संग्रहालय का सब से अतिप्राचीन शिलालेख

ऊपर के चित्र में हाथ में ढाल और भाला लिये हुए सैनिकों की अनुशासित पंक्ति और उनका नेतृत्व करते सेनानी दिखाई देते हैं ।

ऐतिहासिक घटनाओं का लिखित अंकन करने की परंपरा का प्रारंभ मेसोपोटोमिया की सुमेर संस्कृति में हुआ; ऐसा वर्तमान स्थिति में कहा जा सकता है । सुमेर साम्राज्य के राजाओं और उनके बीच हुए संघर्षों की कहानियों का वर्णन तत्कालीन शिलालेखों में संरक्षित रखा गया है । उनमें सब से अतिप्राचीन शिलालेख लगभग ४५०० वर्ष प्राचीन है । शिलालेख में सुमेर के तत्कालीन दो राजाओं के बीच हुए युद्ध का अंकन हुआ है । इस समय यह शिलालेख फ्रांस के विश्वविख्यात लुव्र संग्रहालय में रखा गया है ।

में अति प्राचीन समय से विद्यमान थीं। आधुनिक इतिहास लेखन में उन परंपराओं का उपयोग साधनों के रूप में किया जाता है ।

१.२ आधुनिक इतिहास लेखन

आधुनिक इतिहास लेखन पद्धति की चार प्रमुख विशेषताएँ बताई जाती हैं :

(१) यह पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है । इसका प्रारंभ उचित प्रश्नों की प्रस्तुति के साथ होता है ।

(२) ये प्रश्न मानव केंद्रित होते हैं अर्थात् ये प्रश्न भूतकालीन विभिन्न मानवी समाज के सदस्यों द्वारा विशिष्ट कालावधि में किए गए कार्य व्यापारों

से संबंधित होते हैं। इतिहास में उन कार्य व्यापारों का संबंध दैवी घटनाओं अथवा देवी-देवताओं की कथा-कहानियों के साथ जोड़ने का प्रयास किया नहीं जाता।

(३) उन प्रश्नों के इतिहास में दिए गए उत्तरों को विश्वसनीय प्रमाणों का आधार प्राप्त रहता है। अतः इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना तर्कपूर्ण और सुसंगति बैठने वाली होती है।

(४) भूतकाल में मानव समाज द्वारा किए गए कार्य व्यापारों के आधार पर इतिहास में मानव समाज की प्रगति का अनुमान किया जाता है।

उपर्युक्त विशेषताओं से युक्त आधुनिक इतिहास लेखन की परंपरा के बीज प्राचीन ग्रीक अर्थात् यूनानी इतिहासकारों के लेखन में पाए जाते हैं; ऐसा माना जाता है। 'हिस्ट्री' शब्द ग्रीक भाषा का है। ईसा पूर्व ५ वीं शताब्दी में हिरोडोटस नामक ग्रीक इतिहासकार था। ग्रीक इतिहासकार हिरोडोटस ने 'हिस्ट्री' शब्द का सब से पहले प्रयोग अपने 'द हिस्ट्रीज' ग्रंथ के शीर्षक में किया।

१.३ यूरोप में हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और इतिहास लेखन

अठारहवीं शताब्दी तक यूरोप में दर्शन और विज्ञान क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए सामाजिक और ऐतिहासिक यथार्थों का भी अध्ययन करना संभव है; यह विश्वास विचारकों को होने लगा था। आगामी समय में यूरोप-अमेरिका में इतिहास और इतिहास का लेखन जैसे विषयों पर बहुत विचार मंथन हुआ। फलस्वरूप इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता को महत्त्व प्राप्त होता गया।

अठारहवीं शताब्दी से पूर्व यूरोप के विश्वविद्यालयों में सर्वत्र ईश्वर संबंधी विचार-विमर्श करना और उस संबंध में दर्शन जैसे विषयों को ही अधिक महत्त्व दिया गया था परंतु इस स्थिति में धीरे-धीरे परिवर्तन आने लगा। १७३७ ई. में जर्मनी के गोटिंगेन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस विश्वविद्यालय में पहली बार

इतिहास विषय को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात जर्मनी के अन्य विश्वविद्यालय भी इतिहास के अध्ययन केंद्र बने।

१.४ महत्त्वपूर्ण विचारक :

इतिहास लेखन के विज्ञान का विकास होने में अनेक विचारकों का योगदान प्राप्त हुआ। उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण विचारकों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

रेने देकार्त (१५९६-१६५० ई.) : इतिहास का लेखन करने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले



रेने देकार्त

ऐतिहासिक साधनों की विशेषतः कागजातों की विश्वसनीयता की जाँच करना आवश्यक है; यह विचार आग्रहपूर्वक रखा जा रहा था। यह विचार रखने वालों में फ्रांसिसी दार्शनिक रेने देकार्त अग्रणी

था। उसके द्वारा लिखित 'डिस्कोर्स ऑन द मेथड' ग्रंथ में वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से एक नियम बहुत ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है और वह नियम यह है कि 'जब तक कोई बात सत्य है; ऐसा निःसंदेह रूप से स्थापित नहीं होता है; तब तक उसे कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए।

वोलटेयर (१६९४-१७७८ ई.) : वोलटेयर

का वास्तविक नाम फ्रांस्वा मरी अरुए था। फ्रांसिसी दार्शनिक वोलटेयर ने इतिहास के लेखन हेतु यह विचार प्रस्तुत किया कि मात्र वस्तुनिष्ठ सत्य और घटनाओं के कालक्रम तक



वोलटेयर

ध्यान केंद्रित न करते हुए तत्कालीन समाज में प्रचलित परंपराएँ, व्यापार, आर्थिक व्यवस्था, कृषि आदि घटकों का विचार करना भी आवश्यक है। परिणामस्वरूप इतिहास को प्रस्तुत करते समय अथवा उसकी रचना करते समय मानवी जीवन का सर्वांगीण

विचार किया जाना चाहिए; इस विचार को महत्त्व प्राप्त हुआ। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि वोलटेयर आधुनिक इतिहास लेखन का जनक था।

जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल (१७७०-१८३१ ई.) : इस जर्मन दार्शनिक ने इस बात पर बल दिया



जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल

कि ऐतिहासिक यथार्थ अथवा वास्तविकता को तर्कशुद्धता पद्धति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इतिहास का घटनाक्रम प्रगति के चरणों को दर्शाता है। उसने यह प्रतिपादित किया कि इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना में इतिहासकार को समय-समय पर उपलब्ध होने वाले प्रमाणों के अनुसार बदलते जाना स्वाभाविक है। उसके इस विवेचन के परिणामस्वरूप अनेक दार्शनिकों को यह विश्वास हुआ कि यद्यपि इतिहास की अध्ययन पद्धति विज्ञान की पद्धतियों की तुलना में भिन्न है; फिर भी उसकी गुणवत्ता कम नहीं है। हेगेल के व्याख्यानों और लेखों का संकलन

समझ लें

हेगेल के मतानुसार किसी भी घटना का अर्थ स्थापित करने के लिए उसका वर्गीकरण दो विरोधी वर्गों में करना पड़ता है अन्यथा मानव मन को उस घटना का आकलन नहीं होता है। जैसे: सच-झूठ, अच्छा-बुरा। इस पद्धति को द्वंद्ववाद (डाइलेक्टिक्स) कहते हैं। इस पद्धति में पहले एक सिद्धांत स्थापित किया जाता है। इसके बाद उस सिद्धांत को काटने वाला प्रतिसिद्धांत स्थापित किया जाता है। अब उन दोनों सिद्धांतों का तार्किक खंडन-मंडन किया जाता है। इसके पश्चात दोनों सिद्धांतों का सार जिसमें समाविष्ट है; उस सिद्धांत की समन्वयात्मक रचना की जाती है।

‘इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसोफिकल साइंसेस’ नामक ग्रंथ में प्राप्त है। हेगेल द्वारा लिखित ‘रिजन इन हिस्ट्री’ पुस्तक चर्चित है।

लियोपॉल्ड वॉन रॉंके (१७९५-१८८६ ई.) :

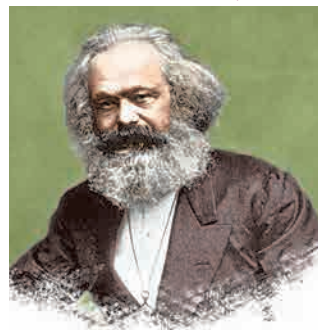
उन्नीसवीं शताब्दी में किए जा रहे इतिहास लेखन की पद्धति पर प्रमुखतः बर्लिन विश्वविद्यालय के लियोपॉल्ड वॉन रॉंके के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। उसने बताया कि इतिहास विषय के अनुसंधान में विश्लेषणात्मक पद्धति किस प्रकार की



लियोपॉल्ड वॉन रॉंके

होनी चाहिए। मूल दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त जानकारी सब से अधिक महत्त्वपूर्ण होती है; इस बात पर उसने बल दिया। साथ ही उसने यह भी स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित सभी प्रकार के कागजातों एवं दस्तावेजों की कसकर खोज करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता है। इस पद्धति द्वारा ऐतिहासिक सत्य तक पहुँचना संभव होता है; यह विश्वास उसने व्यक्त किया। उसने इतिहास के लेखन में काल्पनिकता के उपयोग किए जाने की कड़ी आलोचना की। उसने विश्व के इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना पर बल दिया। उसके विविध लेखों का संकलन ‘द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री’ और ‘द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री’ ग्रंथों में प्राप्त है।

कार्ल मार्क्स (१८१८-१८८३ ई.) : उन्नीसवीं



कार्ल मार्क्स

शताब्दी के उत्तरार्ध में कार्ल मार्क्स द्वारा स्थापित सिद्धांतों के परिणामस्वरूप इतिहास की ओर देखने के दृष्टिकोण में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली

वैचारिक प्रणाली अस्तित्व में आई। इतिहास अमूर्त कल्पनाओं का नहीं होता है अपितु वह जीवित मनुष्यों का होता है। मनुष्य-मनुष्य के बीच के रिश्ते-नाते उनकी मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले उपलब्ध संसाधनों के स्वरूप और स्वामित्व पर निर्भर करते हैं। ये संसाधन समाज के विभिन्न वर्गों को समान मात्रा में प्राप्त नहीं होते हैं। फलस्वरूप समाज का वर्ग पर आधारित विषम विभाजन होता है और वर्ग संघर्ष निर्माण होता है। मानव का इतिहास ऐसे ही वर्ग संघर्ष का इतिहास है तथा जिस वर्ग के नियंत्रण में उत्पादन के संसाधन होते हैं; वह वर्ग अन्य वर्गों का आर्थिक शोषण करता है, यह विचार उसने प्रस्तुत किया। उसका लिखा ग्रंथ 'दास कैपिटल' विश्वविख्यात है।

एनल्स प्रणाली : बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में एनल्स नाम से जानी जानेवाली इतिहास लेखन की प्रणाली का उदय हुआ। एनल्स प्रणाली के स्वरूप इतिहास लेखन को एक भिन्न दिशा प्राप्त हुई। इतिहास का अध्ययन मात्र राजनीतिक गतिविधियों, राजाओं, महान नेताओं और उनके आनुषंगिक रूप में राजनीति, कूटनीति और युद्धों पर केंद्रित न करते हुए तत्कालीन जलवायु, स्थानीय जन, किसान, व्यापार, प्रौद्योगिकी, यातायात-संचार, संपर्क साधनों, सामाजिक विभाजन और समूह की मानसिकता जैसे विषयों का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण माना जाने लगा। एनल्स प्रणाली का प्रारंभ करने और उसे विकसित करने का श्रेय फ्रांसिसी इतिहासकारों को दिया जाता है।

स्त्रीवादी इतिहास लेखन : स्त्रीवादी इतिहास लेखन से तात्पर्य स्त्रियों के दृष्टिकोण से की गई इतिहास की पुनर्रचना। फ्रांसिसी विदुषी सीमाँ-द-बोवा ने स्त्रीवाद की मौलिक भूमिका स्पष्ट की। स्त्रीवादी इतिहास लेखन में स्त्रियों को स्थान देने के साथ-साथ इतिहास लेखन के क्षेत्र में पुरुषप्रधान दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने पर बल दिया गया।

इसके पश्चात स्त्रियों के जीवन से जुड़े नौकरी, रोजगार, ट्रेड यूनियन, उनके लिए कार्यरत संस्थान, स्त्रियों का पारिवारिक जीवन जैसे विभिन्न पहलुओं पर विस्तार में विचार करने वाला अनुसंधान प्रारंभ हुआ। १९९० ई. के पश्चात दिखाई देता है कि स्त्री को एक स्वतंत्र सामाजिक वर्ग मानकर इतिहास लिखे जाने पर बल दिया गया है।



माईकेल फूको

माईकेल फूको (१९२६-१९८४ ई.):

बीसवीं शताब्दी के फ्रांसिसी इतिहासकार माईकेल फूको के लेखन द्वारा एक नई अवधारणा का उदय हुआ। उसने अपने 'आर्कओलॉजी ऑफ

नॉलेज' ग्रंथ में यह प्रतिपादित किया कि इतिहास की कालक्रमानुसार अखंड रूप में प्रस्तुति अथवा रचना करने की पद्धति अनुचित है। पुरातत्त्व में अंतिम सत्य तक पहुँचना उद्देश्य नहीं होता है अपितु भूतकाल में हुए परिवर्तनों का स्पष्टीकरण करने का प्रयास होता है; इस तथ्य की ओर उसने ध्यान खींचने का प्रयास किया। फूको ने इतिहास में उल्लिखित परिवर्तनों को स्पष्ट करने पर बल दिया है। अतः उसने इस पद्धति को ज्ञान का पुरातत्त्व कहा है।

इतिहासकारों ने इससे पूर्व मनोविकार, चिकित्सा विज्ञान, कारागार प्रबंधन जैसे विषयों पर विचार नहीं किया था परंतु फूको ने इन विषयों पर इतिहास की दृष्टि से विचार किया।

इस प्रकार इतिहास लेखन की व्याप्ति निरंतर विस्तार पाती गई। साहित्य, स्थापत्य, शिल्पकला, चित्रकला, संगीतकला, नृत्यकला, नाट्यकला, फिल्म निर्माण, दूरदर्शन जैसे विविध विषयों के स्वतंत्र इतिहास लिखे जाने लगे।



१. (अ) दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए ।

- (१) को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है ।
 (अ) वोलटेयर (ब) रेने देकार्त
 (क) लियोपोल्ड रांके (ड) कार्ल मार्क्स
- (२) 'आर्कओलॉजी ऑफ नॉलेज' ग्रंथ द्वारा लिखा गया है ।
 (अ) कार्ल मार्क्स (ब) माइकेल फूको
 (क) लूसिआं फेबर (ड) वोलटेयर

(ब) निम्न में से असत्य जोड़ी में सुधार कीजिए और पुनः लिखिए ।

- (१) जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल - रीजन इन हिस्ट्री
 (२) लियोपोल्ड वॉन रांके - द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री
 (३) हिरोडोटस - द हिस्ट्रीज
 (४) कार्ल मार्क्स - डिसकोर्स ऑन द मेथड

२. निम्न अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए ।

- (१) द्वंद्ववाद (२) एनल्स प्रणाली

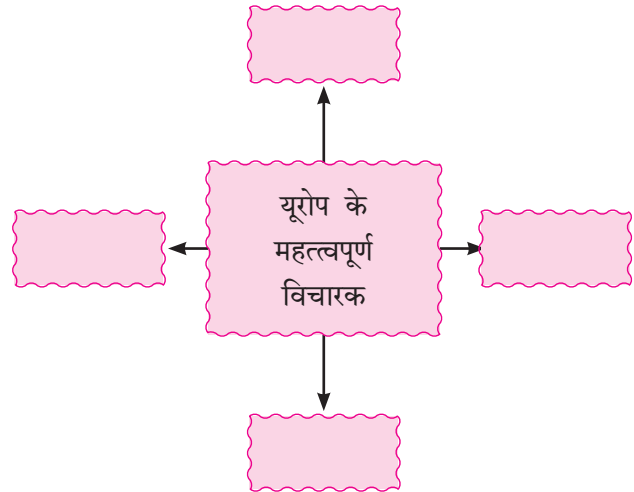
३. निम्न कथनों को कारणसहित स्पष्ट कीजिए ।

- (१) स्त्रियों के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करने वाले अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुए ।
 (२) फूको की लेखन पद्धति को ज्ञान का पुरातत्त्व कहा है ।

४. निम्न प्रश्नों के उत्तर २५ ते ३० शब्दों में लिखिए ।

- (१) इतिहास लेखन किसे कहते हैं ?
 (२) रेने देकार्त ने इतिहास के लेखन में किस विचार के प्रति आग्रह रखा ?
 (३) वोलटेयर को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक क्यों कहा जाता है ?

५. निम्न संकल्पनाचित्र को पूर्ण कीजिए ।



६. निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए ।

- (१) कार्ल मार्क्स का द्वंद्व सिद्धांत अथवा वर्गवाद स्पष्ट कीजिए ।
 (२) आधुनिक इतिहास लेखन पद्धति की कौन-सी चार विशेषताएँ हैं ?
 (३) स्त्रीवादी इतिहास लेखन किसे कहते हैं ?
 (४) लियोपोल्ड वॉन रांके के इतिहास विषयक दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए ।

उपक्रम

निम्न में से आपको अच्छा लगने वाले किसी भी एक विषय पर विस्तार में जानकारी प्राप्त कीजिए; और उसका इतिहास लिखिए । उदा.,

- * पेन (कलम) का इतिहास
- * मुद्रणकला का इतिहास
- * संगणक का इतिहास



२. इतिहास लेखन : भारतीय परंपरा

२.१ भारतीय इतिहास लेखन की यात्रा ।

२.२ भारतीय इतिहास लेखन : विभिन्न सैद्धांतिक प्रणालियाँ ।

२.१ भारतीय इतिहास लेखन की यात्रा

हमने प्रथम पाठ में इतिहास लेखन की पश्चिमी परंपरा का परिचय प्राप्त किया है । इस पाठ में हम भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे ।

प्राचीन काल का इतिहास लेखन : प्राचीन भारत में पूर्वजों के पराक्रम, देवी-देवताओं की परंपराएँ, सामाजिक परिवर्तन आदि की स्मृतियाँ केवल मौखिक परंपरा द्वारा संरक्षित की जाती थीं।

हड़प्पा संस्कृति में पाए गए प्राचीन लेखों के आधार पर दिखाई देता है कि भारत में ईसा पूर्व तीसरे सहस्रक से अथवा उसके पूर्व से लेखन कला अस्तित्व में थी । फिर भी हड़प्पा संस्कृति की लिपि को पढ़ने में अब भी सफलता नहीं मिली है ।

भारत में ऐतिहासिक स्वरूप का सब से प्राचीन लिखित साहित्य उकेरे हुए लेखों के रूप में पाया जाता है । इन लेखों का प्रारंभ मौर्य सम्राट अशोक की कालावधि से अर्थात् ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से होता है । सम्राट अशोक के उकेरे हुए लेख प्रस्तरों और पत्थर के स्तंभों पर उकेरे गए हैं ।

ई.स. की पहली शताब्दी से धातु के सिक्के, मूर्तियाँ और शिल्प, ताम्रपट आदि पर उकेरे गए लेख प्राप्त होने लगते हैं । उनके द्वारा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है । सभी प्रकार के इन उकेरे हुए लेखों के कारण संबंधित राजा की कालावधि, वंशावली, राज्य विस्तार, तत्कालीन गतिविधियाँ, तत्कालीन सामाजिक ढाँचा, जलवायु,

इसे समझ लें



सोहगौड़ा ताम्रपट : यह ताम्रपट सोहगौड़ा (जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश) में पाया गया । माना जाता है कि यह ताम्रपट मौर्य कालखंड का होना चाहिए । ताम्रपट पर उकेरे गए लेख ब्राह्मी लिपि में हैं । लेख के प्रारंभ में जो चिह्न हैं; उनमें चबुतरायुक्त पेड़ तथा पर्वत (एक पर दूसरी; इस प्रकार तीन कमानें) ये चिह्न प्राचीन आहत सिक्कों पर भी पाए जाते हैं । चार खंभों पर खड़े दुमंजिला मकानों की भाँति दिखाई देने वाले चिह्न भंडारघरों के निदेशक होंगे; ऐसा अध्ययनकर्ताओं का मत है । इन भंडारघरों के अनाज का उपयोग सावधानीपूर्वक करें; इस प्रकार का आदेश इस लेख में अंकित है । ऐसा माना जाता है कि अकाल सदृश्य स्थिति का निवारण करने के लिए कौन-सी सावधानी बरतनी चाहिए; इस संदर्भ में यह आदेश दिया गया होगा ।

अकाल जैसे महत्वपूर्ण घटकों की जानकारी प्राप्त होती है ।

प्राचीन भारतीय साहित्य में रामायण, महाभारत, महाकाव्यों, पुराणों, जैन और बौद्ध ग्रंथों तथा धर्मग्रंथों के अतिरिक्त भारतीय ग्रंथकारों द्वारा लिखित ऐतिहासिक स्वरूप का साहित्य, विदेशी

यात्रियों द्वारा लिखित यात्रावर्णन इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं ।

भारतीय इतिहास लेखन की यात्रा में प्राचीन कालखंड के राजाओं के चरित्र तथा राजवंशों का इतिहास बताने वाला लेखन महत्वपूर्ण चरण है । ई.स.की सातवीं शताब्दी में बाणभट्ट कवि द्वारा लिखित 'हर्षचरित' नामक संस्कृत काव्य का स्वरूप ऐतिहासिक चरित्रग्रंथ जैसा है । उसमें तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का यथार्थ चित्रण पाया जाता है ।

मध्ययुगीन इतिहास लेखन : ई.स. की बारहवीं शताब्दी में कल्हण द्वारा लिखित 'राजतरंगिणी' कश्मीर के इतिहास पर आधारित ग्रंथ है । इतिहास का लेखन किस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति से किया जा सकता है; इस आधुनिक अवधारणा से यह ग्रंथ मेल रखता है । इसमें अनेक उकेरे हुए लेखों, सिक्कों, प्राचीन वास्तुओं के अवशेषों, राजवंशों के अधिकृत विवरण-अंकन और स्थानीय परंपराओं जैसे साधनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके मैंने इस ग्रंथ की रचना की; ऐसा उल्लेख कल्हण ने इस ग्रंथ में किया है ।

मध्ययुगीन भारत में मुस्लिम शासनकर्ताओं के दरबार में इतिहासकार थे । उनके इतिहास लेखन पर अरबी और फारसी इतिहास लेखन की परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है । मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहासकारों में जियाउद्दीन बरनी महत्वपूर्ण इतिहासकार माना जाता है । उसके द्वारा लिखित 'तारीख-ए-फिरोजशाही' में उसने इतिहास लेखन का उद्देश्य स्पष्ट किया है । उसके मतानुसार इतिहासकार का कर्तव्य केवल शासकों के पराक्रम का और उनकी कल्याणकारी नीतियों का वर्णन करके पूर्ण नहीं होता है अपितु उनके दोषों और त्रुटिपूर्ण नीतियों का विश्लेषण भी इतिहासकार को करना चाहिए । यही नहीं बल्कि संबंधित कालखंड के विद्वान व्यक्तियों, अध्ययनकर्ताओं, साहित्यकारों और संतों का सांस्कृतिक जीवन पर पड़े प्रभाव को भी ध्यान



क्या, आप जानते हैं ?

अल् बैरूनी ने भारत में रहकर स्वयं के अनुभव अरबी भाषा में लिखे हैं । उसने तत्कालीन भारत में प्रचलित विद्याओं और समाज जीवन का चित्रण किया है । आगामी समय में हसन निजामी द्वारा लिखित 'ताजुल-ए-अमीर', मिनहाजुस सिराज इतिहासकार द्वारा लिखित 'तखाकत-ए-नसीरा', अमीर खुसरो का व्यापक लेखन, अमीर तिमुरी का आत्मनिवेदन 'तुजुक-ए-तिमुरी', याह्या बिन अहमद सरहिंदी इतिहासकार द्वारा लिखित 'तारीख-ए-मुबारकशाही' ग्रंथ महत्वपूर्ण माने जाते हैं । इन ग्रंथों द्वारा सुलतानशाही के कालखंड की जानकारी प्राप्त होती है । इब्न बतूता, अब्दुल रजाक, मार्को पोलो, निकोलो काँटी, बारबोसा और डोमिंगोस पेस इन यात्रियों के लेखन द्वारा सुलतानशाही के कालखंड का भारत समझ में आता है । औरंगजेब के कालखंड में ईश्वरलाल नागर, भीमसेन सक्सेना, खाफी खान और निकोलाय मनुची जैसे महत्वपूर्ण इतिहासकार थे ।

में रखना चाहिए । बरनी की इस विचारधारा के कारण इतिहास लेखन की व्याप्ति को अधिक विस्तार प्राप्त हुआ ।

मुगल शासकों के दरबार में इतिहासकारों के लेखन में शासकों की स्तुति करने और उनके प्रति निष्ठा व्यक्त करने को विशेष महत्व प्राप्त हुआ । इसके अतिरिक्त उनके द्वारा किए जाने वाले वर्णनों में सटीक काव्य छंद और सुंदर चित्रों का अंतर्भाव करने की प्रथा प्रारंभ हुई । मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर का आत्मचरित्र 'तुजुक-ए-बाबरी' में उसे जो युद्ध लड़ने पड़े; उनका वर्णन मिलता है । साथ ही; उसने जिन प्रदेशों की यात्राएँ की; उन प्रदेशों और शहरों का वर्णन, वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था और प्रथाएँ, वनस्पतियाँ आदि के सूक्ष्म निरीक्षणों का इसमें समावेश है ।

इतिहास लेखन की विश्लेषणात्मक पद्धति की दृष्टि से अबुल फजल द्वारा लिखित 'अकबरनामा' ग्रंथ का विशेष महत्त्व है। अधिकृत रूप में जिस जानकारी का लेखन किया गया था; उसके आधार पर ऐतिहासिक दस्तावेजों और कागजातों का सावधानीपूर्वक किया गया संकलन और उस जानकारी की विश्वसनीयता की कसकर और कड़ाई से की गई छानबीन अबुल फजल द्वारा अवलंबित अनुसंधान पद्धति थी। माना जाता है कि यह अनुसंधान पद्धति पूर्वाग्रह रहित और यथार्थवादी थी।

ऐतिहासिक साहित्य में 'बखर' एक महत्त्वपूर्ण प्रकार है। हमें बखर में वीरों के शौर्यगानों का बखान, ऐतिहासिक गतिविधियों, युद्धों, महापुरुषों के चरित्र के विषय में किया गया लेखन पढ़ने को मिलता है।

मराठी भाषा में विभिन्न प्रकार की 'बखरें' उपलब्ध हैं। उनमें 'सभासद की बखर' को महत्त्वपूर्ण बखर माना जाता है। छत्रपति राजाराम महाराज के कार्यकाल में कृष्णाजी अनंत सभासद ने यह बखर लिखी। इस बखर द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है।

'भाऊसाहेबांची बखर' (भाऊसाहब की बखर) में पानीपत के युद्ध का वर्णन मिलता है। इसी विषय पर आधारित 'पानिपतची बखर' (पानीपत की बखर) नामक स्वतंत्र बखर भी लिखी गई है। 'होळकरांची कैफियत' (होलकरों का विवरण) बखर द्वारा हमें होलकरों का घराना और उनके द्वारा दिए गए योगदान का बोध होता है।

बखरों के चरित्रात्मक, वंशानुचरित्रात्मक, प्रसंग वर्णनात्मक, पंथीय, आत्मचरित्रपर, कैफियत, पौराणिक और राजनीतिपर जैसे प्रकार पाए जाते हैं।

आधुनिक कालखंड का इतिहास लेखन और अंग्रेजों का इतिहास कालखंड : बीसवीं शताब्दी में अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय पुरातत्त्व अध्ययन को प्रारंभ हुआ। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंगहैम थे।



अलेक्जेंडर कनिंगहैम



जॉन मार्शल

उनके निरीक्षण में अनेक प्राचीन स्थानों का उत्खनन किया गया। इसके लिए उन्होंने प्रमुखतः बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया। आगे चलकर जॉन मार्शल के कार्यकाल में हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई और यह सिद्ध हुआ कि भारतीय संस्कृति का इतिहास ईसा पूर्व तीसरे सहस्र तक अथवा उसके पूर्व तक भी पहुँच सकता है।

भारत में आए हुए अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय इतिहास के संबंध में लेखन किया है। उनके द्वारा किए गए लेखन पर अंग्रेजों की उपनिवेशवादी नीतियों का प्रभाव दिखाई देता है।

जेम्स मिल द्वारा लिखित 'द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया' ग्रंथ के तीन खंड १८१७ ई. में प्रकाशित हुए। अंग्रेज इतिहासकार द्वारा भारतीय इतिहास पर लिखा गया यह प्रथम ग्रंथ है। उसके लेखन में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का अभाव और भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं के प्रति पूर्वाग्रहदूषित दृष्टिकोण दिखाई देता है।



जेम्स मिल

१८४१ ई. में माउंट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन ने 'द हिस्ट्री ऑफ इंडिया' ग्रंथ लिखा। माउंट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन मुंबई के गवर्नर (१८१९-१८२७ ई.) थे।

भारत के इतिहास में मराठी साम्राज्य के कालखंड को अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मराठी साम्राज्य का इतिहास लिखने वाले अंग्रेज अधिकारियों में जेम्स

ग्रांट डफ का नाम महत्त्वपूर्ण है। उसने 'द हिस्ट्री ऑफ मराठाज' ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ के तीन खंड हैं। भारतीय संस्कृति और इतिहास को हीन मानने की प्रवृत्ति अंग्रेज अधिकारियों में पाई जाती है। यही प्रवृत्ति ग्रांट डफ के लेखन में भी स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। ऐसी ही प्रवृत्ति राजस्थान का इतिहास लिखते समय कर्नल टॉड जैसे अधिकारी के लेखन में पाई जाती है। विलियम विल्सन हंटर ने भारत का द्विखंडात्मक इतिहास लिखा। उसमें हंटर की निष्पक्षता की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

डफ के इतिहास लेखन में पाए गए दोषों को उन्नीसवीं शताब्दी में नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और वि.का.राजवाडे ने उद्घाटित किया।

२.२ भारतीय इतिहास लेखन : विविध सैद्धांतिक प्रणालियाँ

उपनिवेशवादी इतिहास लेखन : भारतीय इतिहास का अध्ययन और लेखन करनेवाले प्रारंभिक इतिहासकारों में प्रमुख रूप से अंग्रेज अधिकारी तथा ईसाई धर्मप्रचारकों का अंतर्भाव था। भारतीय संस्कृति गौण अथवा दोयम श्रेणी की है; इस प्रकार के पूर्वाग्रहदोष का प्रतिबिंब उनमें से कुछ इतिहासकारों के लेखन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनके इतिहास लेखन का उपयोग उपनिवेशवादी अंग्रेजी सत्ता के समर्थन हेतु किया गया। १९२२ ते १९३७ ई. के बीच प्रकाशित हुए 'केंब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया' ग्रंथ के पाँच खंड उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के जीवित उदाहरण हैं।

प्राच्यवादी इतिहास लेखन : यूरोप के अध्येताओं में पूर्व की संस्कृति और देशों के प्रति कुतूहल उत्पन्न हुआ था। उन अध्येताओं में कुछ अध्येता ऐसे थे जिनमें पूर्व के देशों और उनकी संस्कृति के प्रति आदर और प्रशंसा का भाव था। उन्हें प्राच्यवादी कहा जाता है।

प्राच्यवादी अध्येताओं ने संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं की समानधर्मिता का अध्ययन किया। प्राच्यवादी विद्वानों का बल वैदिक वाङ्मय और

संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने पर था। इसके द्वारा यह विचार सामने आया कि इन भाषाओं की जननी एक प्राचीन इंडो-यूरोपीय भाषा थी।

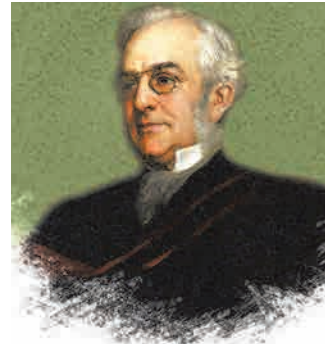


विलियम जोन्स

१७८४ ई. में सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इसके माध्यम से प्राचीन भारतीय वाङ्मय और इतिहास के अध्ययन को प्रेरणा प्राप्त हुई।

प्राच्यवादी अध्येताओं में जर्मन अध्येता फ्रेडरिक

मैक्समूलर का प्रमुख रूप से उल्लेख करना चाहिए। उसकी दृष्टि से संस्कृत भाषा इंडो-यूरोपीय भाषासमूह में अतिप्राचीन भाषा शाखा थी। मैक्समूलर को संस्कृत साहित्य में



फ्रेडरिक मैक्समूलर

विशेष रुचि थी। उसने संस्कृत ग्रंथ 'हितोपदेश' का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। साथ ही; उसने 'द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट' इस नाम से ५० खंडों का संपादन किया। उसने ऋग्वेद का संकलन करने का कार्य किया। वे छह खंडों में प्रकाशित हुए हैं। उसने ऋग्वेद ग्रंथ का जर्मन भाषा में अनुवाद किया।

राष्ट्रवादी इतिहास लेखन : उन्नीसवीं-बीसवीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षाप्रणाली में शिक्षित भारतीय इतिहासकारों के लेखन में भारत के प्राचीन वैभव के प्रति गौरव का भाव और भारतीयों के आत्मसम्मान को जागृत करने की ओर उनका झुकाव दिखाई देता है। उनके लेखन को राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। महाराष्ट्र में किए गए राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को विष्णुशास्त्री चिपलूणकर से प्रेरणा प्राप्त हुई। उन्होंने भारत के प्रति पूर्वाग्रहदूषित होकर अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लिखे गए इतिहास का विरोध

किया। इस प्रकार राष्ट्रवादी इतिहास लेखन करनेवाले इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग खोजने का प्रयास किया। ऐसा करते समय कभी-कभी ऐतिहासिक तथ्यों और यथार्थ की विश्लेषणात्मक छानबीन करने की ओर उपेक्षा की गई; ऐसा आक्षेप भी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन करनेवालों पर किया गया। महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाल भांडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्रलाल मिश्र, रमेशचंद्र मजुमदार, काशीप्रसाद जैस्वाल, राधाकुमुद मुखर्जी, भगवानलाल इंद्र जी, वासुदेव विष्णु मिराशी, अनंत सदाशिव आलतेकर ये कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकारों के नाम हैं।



क्या, आप जानते हैं ?

‘द राज ऑफ द मराठा पॉवर’ ग्रंथ में न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे ने मराठा सत्ता के उदित होने की पृष्ठभूमि को विस्तार में स्पष्ट किया है। इसे प्रतिपादित करते हुए वे कहते हैं – ‘मराठी सत्ता का उदय मात्र अचानक धधक उठा दावानल नहीं था अपितु उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में चल रही तैयारियाँ थीं जो बहुत समय से महाराष्ट्र में चल रही थीं।’



वि. का. राजवाडे

वि.का.राजवाडे इतिहास लेखन, भाषाविज्ञान, व्युत्पत्ति, व्याकरण जैसे कई विषयों पर मौलिक अनुसंधान कार्य करने वाले और मराठी भाषा में लेखन करने वाले इतिहासकार के रूप में परिचित हैं। हमें अपना इतिहास लिखना चाहिए; इस बात का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने ‘मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने’ (मराठों के इतिहास के साधन) शीर्षक से २२ खंडों का संपादन किया। उन खंडों के लिए लिखी हुई उनकी प्रस्तावनाएँ बहुत ही अध्ययनपूर्ण हैं। उनके मतानुसार ‘इतिहास से तात्पर्य भूतकालीन समाज का सर्वांगीण और समग्र जीवनदर्शन

है। केवल राजनीतिक गतिविधियाँ, सत्ता उलट देने के लिए किए गए षड्यंत्र और युद्धों की वास्तविकताएँ इतिहास नहीं हैं।’ वास्तविक और मूल कागजातों-पत्रों और दस्तावेजों के ही आधार पर इतिहास लिखा जाना चाहिए; इसके प्रति वे आग्रही थे।



क्या, आप जानते हैं ?

इतिहास विषय के अनुसंधान और शोधकार्य के लिए वि.का.राजवाडे ने पुणे में ७ जुलाई १९१० को ‘भारत इतिहास संशोधक मंडळ’ की स्थापना की।

“मानवी इतिहास काल एवं स्थान से बद्ध रहता है। किसी भी प्रसंग का वर्णन अथवा विवेचन करना हो तो उस प्रसंग का अंतिम चित्रण विशिष्ट कालखंड और विशिष्ट स्थान के साथ जोड़कर दर्शाना चाहिए।

काल, स्थान और व्यक्ति इन तीनों के बीच के समन्वय को प्रसंग अथवा ऐतिहासिक घटना का नाम दिया जा सकता है।”

– वि.का.राजवाडे



स्वातंत्र्यवीर सावरकर

राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का उपयोग भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए स्वतंत्रता युद्ध को प्रेरणा देने हेतु किया गया। उसमें स्वातंत्र्यवीर वि.दा.सावरकर द्वारा लिखित ‘द इंडियन वॉर ऑफ इन्डिपेन्डन्स 1857’ (१८५७ का ‘स्वतंत्रता समर’) पुस्तक का विशेष महत्त्व है।

राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के प्रभाव के फलस्वरूप प्रादेशिक इतिहास लिखने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। दक्षिण भारत की भौगोलिक विशेषताओं और इतिहास की ओर इतिहासकारों का ध्यान खींचा गया।

स्वातंत्र्योत्तर कालखंड का इतिहास लेखन :

एक ओर राजवंशों के इतिहास को महत्त्व देनेवाला इतिहास लेखन किया जा रहा था; उसी समय सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक इतिहास लिखना प्रारंभ हुआ था। स्वातंत्र्योत्तर कालखंड में समाज, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, धार्मिक विचारधाराएँ, सांस्कृतिक पहलू जैसे विषयों के इतिहास का अध्ययन करने की आवश्यकता विचारकों को अनुभव होने लगी। इस कालखंड में इतिहास लेखन में मुख्यतः तीन नवीन वैचारिक धाराएँ दिखाई देती हैं। (१) मार्क्सवादी इतिहास (२) उपेक्षितों का (सब ऑल्टर्न) इतिहास (३) स्त्रीवादी इतिहास।

मार्क्सवादी इतिहास : मार्क्सवादी इतिहासकारों के लेखन में आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के साधनों, पद्धतियों और उत्पादन प्रक्रिया में मानवी संबंधों का विचार केंद्र में था। प्रत्येक सामाजिक घटना का सामान्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है; इसका विश्लेषण करना मार्क्सवादी इतिहास लेखन का महत्त्वपूर्ण सूत्र था।

मार्क्सवादी इतिहासकारों ने जातिव्यवस्था में होते गए परिवर्तनों का



दामोदर कोसंबी

अध्ययन किया। भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन पद्धति का अवलंबन प्रभावशाली ढंग से करने वाले इतिहासकारों में दामोदर धर्मानंद कोसंबी, कामरेड श्रीपाद अमृत डांगे, रामशरण शर्मा, कामरेड शरद पाटिल आदि का योगदान महत्त्वपूर्ण है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से डांगे एक थे। उनकी लिखी 'प्रिमिटिव कम्युनिजम टू स्लेवरी' पुस्तक मार्क्सवादी इतिहास लेखन का उत्तम उदाहरण है।

उपेक्षितों का (सबऑल्टर्न) इतिहास : उपेक्षितों के समूहों का इतिहास लिखने का प्रारंभ मार्क्सवादी

इतिहास लेखन की परंपरा से हुआ। इतिहास लेखन का प्रारंभ समाज के निचले, सामान्य लोगों के स्तर से करना होगा, इस संकल्पना को प्रस्तुत करने में एंटोनिया ग्रामची नामक इटालियन विचारक का स्थान महत्त्वपूर्ण है।

उपेक्षितों का इतिहास लिखने के लिए लोकपरंपरा को महत्त्वपूर्ण साधन माना गया है। उपेक्षितों के इतिहास को एक महत्त्वपूर्ण विचारधारा के रूप में स्थान प्राप्त करा देने का कार्य भारतीय इतिहासकार रणजीत गुहा ने किया परंतु उसके पूर्व भारत में उपेक्षितों के इतिहास का विचार महात्मा जोतीराव फुले और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के लेखन द्वारा सामने आता है।

महात्मा फुले ने 'गुलामगिरी' पुस्तक में अतिशूद्रों का इतिहास नए सिरे से खोलकर दिखाया। धर्म के नाम पर नारी, शूद्रों तथा अतिशूद्रों के होने वाले शोषण की ओर ध्यान खींचा।



महात्मा जोतीराव फुले

भारत के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक निर्माण में दलित वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। भारत के उपनिवेशवादी तथा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में इसकी उपेक्षा की गई। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने इस तथ्य को केंद्र में रखकर निरंतर लेखन किया। उनके द्वारा किए गए विपुल लेखन में 'हू वेअर द शूद्राज' और 'द अनटचेबल्स' ग्रंथ उपेक्षितों के इतिहास के उदाहरण के रूप में बताए जा सकते हैं।



डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

स्त्रीवादी इतिहास : भारतीय इतिहास लेखन के क्षेत्र में प्रारंभ में मुख्यतः पुरुष अध्येता कार्यरत थे।

परिणामस्वरूप भारतीय इतिहास में प्राप्त स्त्रियों का स्थान तथा उनके द्वारा किए गए कार्य अन्य बातों की तुलना में दुर्लक्षित रह गए। उसे प्रकाश में लाना स्त्रीवादी इतिहासकारों के सम्मुख पहली चुनौती थी। साथ ही; स्त्रियों द्वारा लिखे गए साहित्य का अनुसंधान अथवा शोधकार्य और संकलन करना भी आवश्यक था। इतिहास में स्त्रियों ने जो अपना स्थान बनाया था; उसका नए सिरे से विचार होना आवश्यक था।

उन्नीसवीं शताब्दी में स्त्रियों के विषय में लेखन करने वाली लेखिकाओं में ताराबाई शिंदे का नाम अग्रणी है। उन्होंने



ताराबाई शिंदे

पुरुषप्रधान व्यवस्था और जातिव्यवस्था को विरोध दर्शाने वाला लेखन किया। १८८२ ई. में प्रकाशित उनकी 'स्त्रीपुरुष तुलना' पुस्तक भारत का प्रथम स्त्रीवादी लेखन माना जाता है। १८८८ ई. में पंडिता रमाबाई द्वारा लिखित 'द हाई कास्ट हिंदू वुमन' पुस्तक प्रकाशित हुई।

स्वातंत्र्योत्तर कालखंड में जो लेखन हुआ; वह स्त्रियों के साथ घर और काम के स्थान पर होने वाले व्यवहार, उनका राजनीतिक समानता का अधिकार जैसे विषयों पर केंद्रित हुआ था। संप्रति समय में ख्यातिप्राप्त लेखन में मीरा कोसंबी की 'क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स : फेमिनिस्ट एसेज' पुस्तक का उल्लेख किया जा सकता है। इस पुस्तक में महाराष्ट्र की पंडिता रमाबाई, भारत में डॉक्टरी कार्य करने वाली पहली स्त्री डॉक्टर डॉ. रमाबाई जैसी स्त्रियों

के जीवन पर आधारित निबंध हैं। महाराष्ट्र में दलित स्त्रियों के दृष्टिकोण से सामाजिक वर्ग, जाति आदि बातों के संदर्भ में लेखन किया गया। इसमें शर्मिला रेगे का लेखनकार्य महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने 'राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर : रिडींग दलित वूमेन्स टेस्टीमोनीज' पुस्तक में दलित स्त्रियों के आत्मचरित्र पर लिखे निबंधों का संकलन है। किसी भी विशिष्ट विचारप्रणाली के प्रभाव में न आकर इतिहास लिखने वालों में सर यदुनाथ सरकार, सुरेंद्रनाथ सेन, रियासतकार गो.स.सरदेसाई, त्र्यंबक शंकर शेजवलकर के नामों का उल्लेख किया जाता है।



क्या, आप जानते हैं ?

गोविंद सखाराम सरदेसाई ने 'मराठी रियासत' को प्रकाशित करवाकर मराठी इतिहास लेखन के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया है। उनका यह कार्य इतना लोकप्रिय हुआ कि समाज उन्हें 'रियासतकार' के रूप में जानने लगा। उन्होंने मराठों के समग्र इतिहास को अनेक खंडों में प्रकाशित किया है।

वर्तमान समय में य.दि.फडके, रामचंद्र गुहा आदि अनुसंधानकर्ताओं ने आधुनिक इतिहास लेखन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है।

भारतीय इतिहास लेखन पर भारत में उदित हुए सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का प्रभाव था। साथ ही; भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा स्वतंत्र और संपन्न रूप में विकसित होती हुई दिखाई देती है।



१. (अ) निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए ।

(१) भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे ।

- (अ) अलेक्जेंडर कनिंगहैम
(ब) विलियम जोन्स
(क) जॉन मार्शल
(ड) फ्रेडरिक मैक्समूलर

(२) संस्कृत ग्रंथ 'हितोपदेश' का जर्मन भाषा में ने अनुवाद किया ।

- (अ) जेम्स मिल
(ब) फ्रेडरिक मैक्समूलर
(क) माउंट स्टुअर्ट एलफिन्स्टन
(ड) जॉन मार्शल

(ब) निम्न में से असत्य जोड़ी में सुधार कीजिए और पुनः लिखिए ।

- (१) हू वेअर द शूद्राज - उपेक्षितों का इतिहास
(२) स्त्रीपुरुष तुलना - स्त्रीवादी लेखन
(३) द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस १८५७ - मार्क्सवादी इतिहास
(४) ग्रांट डफ - उपनिवेशवादी इतिहास

२. निम्न कथनों को कारणसहित स्पष्ट कीजिए ।

- (१) प्रादेशिक इतिहास लेखन को प्रोत्साहन मिला ।
(२) ऐतिहासिक साहित्य में 'बखर' महत्वपूर्ण प्रकार है ।

३. निम्न प्रश्नों के उत्तर २५ से ३० शब्दों में लिखिए ।

- (१) मुगल शासक बाबर के आत्मचरित्र में किन बातों का समावेश हुआ है ?
(२) राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में स्वातंत्र्यवीर सावरकर का क्या योगदान रहा है ?

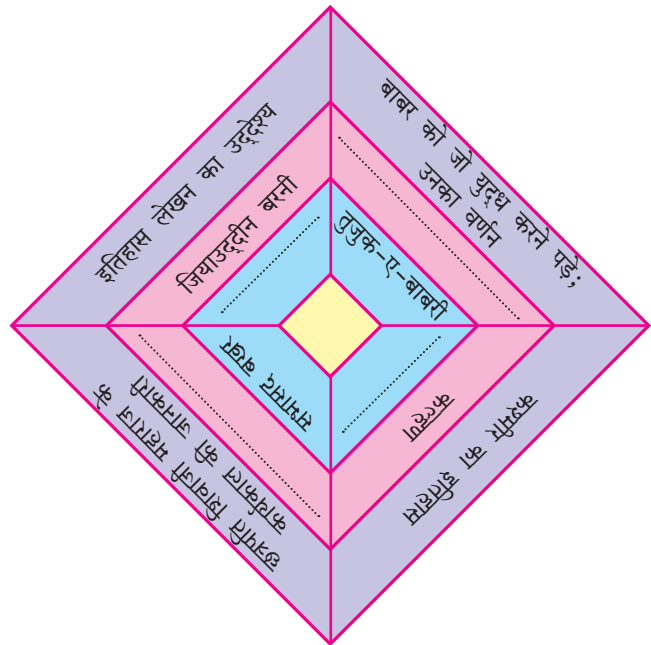
४. निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए ।

- (१) मार्क्सवादी लेखन किसे कहते हैं ?
(२) इतिहास लेखन में इतिहासकार वि.का.राजवाडे के योगदान को स्पष्ट कीजिए ।

५. (अ) निम्न सारिणी पूर्ण कीजिए ।

जेम्स मिल	द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया
जेम्स ग्रांट डफ	
.....	द हिस्ट्री ऑफ इंडिया
श्री.अ.डांगे	
.....	हू वेअर द शूद्राज

(ब) निम्न संकल्पनाचित्र को पूर्ण कीजिए ।



६. निम्न अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए ।

- (१) प्राच्यवादी इतिहास लेखन
(२) राष्ट्रवादी इतिहास लेखन
(३) उपेक्षितों का इतिहास

उपक्रम

पाठ में उल्लिखित विभिन्न इतिहासकारों की जानकारी देनेवाला सचित्र हस्तलिखित अंतरजाल की सहायता से तैयार कीजिए ।



361876



३. उपयोजित इतिहास

३.१ उपयोजित इतिहास किसे कहते हैं ?

३.२ उपयोजित इतिहास और विविध विषयों में हुए अनुसंधान ।

३.३ उपयोजित इतिहास और वर्तमानकाल ।

३.४ सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रबंधन

३.५ संबंधित व्यवसाय के क्षेत्र

इसका विचार उपयोजित इतिहास विषय द्वारा किया जाता है । वर्तमान में उत्पन्न सामाजिक चुनौतियों को दूर करने के लिए उपाय योजना करना, सामाजिक हितों के निर्णय करना जैसी बातों के लिए पहले घटित घटनाओं का विश्लेषण दिशा दिखाने का कार्य करता है । इसके लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक होता है ।

३.१ उपयोजित इतिहास किसे कहते हैं ?

‘उपयोजित इतिहास’ संज्ञा के लिए ‘लोगों/ सामान्य जनो का इतिहास’ (पब्लिक हिस्ट्री) यह वैकल्पिक शब्द प्रयोग प्रचलित है । भूतकाल में घटित घटनाओं के संबंध में जो ज्ञान इतिहास द्वारा प्राप्त होता है; उसका उपयोग वर्तमान और भविष्य में सभी लोगों के लिए किस प्रकार हो सकता है;

समझ लें

सामान्य जनो के लिए इतिहास : लोगों के मन में इतिहास के विषय में अनेक भ्रम अथवा भ्रांतियाँ होती हैं । जैसे – इतिहास विषय केवल इतिहासकारों और इतिहास विषय का अध्ययन करने को इच्छुक छात्रों के लिए होता है । प्रतिदिन के जीवन में इतिहास जैसे विषय का कोई उपयोग नहीं होता है, इतिहास जैसा विषय आर्थिक दृष्टि से उत्पादन क्षेत्रों के साथ जोड़ा नहीं जा सकता आदि ।

ऐसी भ्रांतियों अथवा भ्रमों का निवारण करते हुए इतिहास का सूत्र लोगों की वर्तमान जीवनप्रणाली से जोड़नेवाला क्षेत्र ही ‘सामान्य जनो का इतिहास’ है । विदेश में अनेक विश्वविद्यालयों में ‘सामान्य जनो का इतिहास’ इस विषय का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है । भारत में बंगलुरु में ‘सृष्टि इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी’ संस्थान में ‘सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री’ एक स्वतंत्र विभाग है । वहाँ इस विषय से संबंधित परियोजनाओं और अनुसंधान का कार्य चलता है ।

उपयोजित इतिहास के क्षेत्र में केवल तज्ञ व्यक्तियों का ही नहीं वरन् सामान्य लोगों का विविध रूपों में सहभाग हो सकता है । संग्रहालय, प्राचीन स्थानों की सैर पर आनेवाले पर्यटकों के रूप में लोगों का सहभाग महत्वपूर्ण होता है । पर्यटन के कारण लोगों में इतिहास के प्रति रुचि बढ़ने लगती है । समाज के मन में इतिहास का बोध निर्माण होता है । साथ ही; लोग अपने नगरों अथवा गाँवों में स्थित प्राचीन स्थानों के संरक्षण एवं संवर्धन की परियोजना में सहभागी हो सकते हैं ।

३.२ उपयोजित इतिहास और विविध विषयों में हुए अनुसंधान

इतिहास का संबंध भूतकाल में घटित घटनाओं के साथ होता है । वर्तमान में दिखाई देने वाले मानव जीवन का ताना-बाना घटित घटनाओं के कारण बुना जाता है । ये घटनाएँ राजनीति, सामाजिक-धार्मिक संगठन, दर्शन, तकनीकी विज्ञान और विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में घटित हुई होती हैं । प्रत्येक ज्ञान संचय का अपना स्वतंत्र इतिहास होता है । प्रत्येक क्षेत्र की अगली यात्रा की दिशा इस ज्ञान संचय की स्थिति पर निर्भर रहती है । उसी के अनुसार अनेक विषयों के अनुसंधान में इतिहास की अनुसंधान पद्धति उपयुक्त सिद्ध होती है । जैसे –

१. दर्शन : विविध विचारधाराओं का उद्गम, उसका कारण बनी वैचारिक परंपरा और उस

विचारधारा की प्रगति यात्रा के इतिहास को समझना; इसके लिए इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक होता है। दर्शन को समझते समय वह दर्शन जिस भाषा में व्यक्त हुआ है; उस भाषा के इतिहास का भी उपयोग होता है।

२. विज्ञान : वैज्ञानिक आविष्कारों और सिद्धांतों का कालक्रम और उन आविष्कारों की कारण परंपरा की शृंखला को समझने के लिए विज्ञान के इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कई बार वैज्ञानिक आविष्कार मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने और जिज्ञासा का शमन करने के प्रयासों का परिणाम होते हैं। इसके लिए पूर्ववर्ती वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग किया जाता है। इन आविष्कारों के पीछे जो कारण परंपरा और कालक्रम होता है; उसे समझने के लिए विज्ञान के इतिहास का ज्ञान उपयोगी सिद्ध होता है।

३. तकनीकी विज्ञान : कृषि उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन, स्थापत्य, अभियांत्रिकी आदि में होते गए परिवर्तन और उनके पीछे जो कारण परंपरा की शृंखला होती है; उसे समझने के लिए तकनीकी विज्ञान के इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक होता है। वैज्ञानिक आविष्कार और तकनीकी विज्ञान में होने वाली प्रगति एक-दूसरे पर निर्भर होती है। मानव की उत्क्रांति यात्रा में पत्थर के शस्त्र-औजार निर्माण करने से लेकर कृषि उत्पादन का विकास होने तक उसके द्वारा ग्रहण किया हुआ विज्ञान और उसपर आधारित तकनीकी विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण था। कालांतर में विज्ञान में हुई उन्नति के फलस्वरूप उत्पादन प्रक्रियाओं का यांत्रिकीकरण होता गया। यह यांत्रिकीकरण किस प्रकार होता गया, विज्ञान और तकनीकी विज्ञान किस प्रकार सदैव एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं; इसे समझने के लिए तकनीकी विज्ञान के इतिहास का आकलन करना आवश्यक होता है।

४. उद्योग-धंधे और व्यापार : उद्योग-धंधों और व्यापार के कारण मानवी समाजों के बीच

पारस्परिक व्यवहार का क्षेत्र फैल जाता है। फलस्वरूप सांस्कृतिक संबंधों का जाल भी निरंतर विकसित होता जाता है। यह उद्योग-धंधों और व्यापार के प्रबंधन का ही एक अंग होता है। उनके इतिहास को समझना महत्वपूर्ण होता है। बाजार और व्यापार का स्वरूप बदलता गया। इन सभी के पीछे-पीछे मानवी रिश्तों-नातों का स्वरूप और सामाजिक ढाँचा बदलता गया। इस संपूर्ण यात्रा को समझने के लिए सांस्कृतिक संरचना, सामाजिक ढाँचा, आर्थिक व्यवस्था आदि के इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है।

५. प्रबंधन विज्ञान : उत्पादन के संसाधन, मानवशक्ति और उत्पादन की विविध प्रक्रियाओं, बाजार और विक्रय के प्रबंधन की शृंखला में इनके संबंध में भूतकालीन व्यवस्थाएँ किस प्रकार थीं; इसे समझना आवश्यक होता है। इस शृंखला से जुड़े विविध स्तरों के लोगों की पारंपरिक मानसिकता को समझने के लिए इन सभी का भार जिन अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं के संगठनों पर निर्भर रहता है; यदि उनका इतिहास समझते हैं तो वर्तमान समय में विविध स्तरों पर प्रबंधन करना सरल हो जाता है।

६. कला : विविध कला क्षेत्रों में हुई अभिव्यक्ति और उसके कारण वैचारिक-भावात्मक-सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर हुए कलाओं के विकास को समझना आवश्यक है। किसी भी कला की अभिव्यक्ति के मर्म को कलाकृति बनाने वाले की मानसिकता और विशिष्ट कला शैली के विकास क्रम को सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है।

७. मानव्य ज्ञानशाखा : इतिहास, पुरातत्त्व, समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र जैसी ज्ञानशाखाओं के उद्गम और विकास को समझ लेना इन ज्ञान शाखाओं के अध्ययन का आवश्यक अंग है। विज्ञान और अन्य सभी ज्ञान

शाखाओं की जननी दर्शन है। वैश्विक पसारा और उसमें मानव का अस्तित्व; इनके पारस्परिक संबंध को समझ लेने की जिज्ञासा में से विश्वभर के सभी मानवी समाजों में उस पारस्परिक संबंध के बारे में लोग अनुमान करने लगे। उसमें से विश्व की उत्पत्ति से संबंधित कथाएँ, सृष्टिचक्र और मानवी जीवन से संबंधित मिथक, देवी-देवताओं के संबंध में कल्पनाएँ और उन देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए गए अनुष्ठान, उनके संबंध में किया गया तात्त्विक विवेचन का विकास हुआ। प्राचीन लोगों द्वारा किए गए इन अनुष्ठानों के विचारों में दर्शन और तत्त्वों के बीज हैं। यहाँ उल्लिखित मानव्य शाखा की विभिन्न शाखाओं का विकास दर्शन के सिद्धांतों की नींव पर आधारित है।

३.३ उपयोजित इतिहास और वर्तमानकाल

प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिदिन के व्यवहार में इतिहास की क्या उपयोगिता है? उपयोजित इतिहास किसे कहते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में ऊपरी प्रश्न का उत्तर अपने-आप मिल जाता है। भूतकाल के मूर्त और अमूर्त स्वरूप में जो अनेक अवशेष हैं; वे वर्तमानकाल में पाए जाते हैं। हमारे मन में उनके बारे में कुतूहल रहता है, अपनापन होता है। हमें उनके अस्तित्व का इतिहास समझ लेने की आवश्यकता अनुभव होती है। क्योंकि वे अवशेष हमारे पूर्वजों द्वारा निर्मित कलाकृतियों, परंपराओं के अवशेष होते हैं। वह हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है। वह हमारी पहचान होते हैं। उसके इतिहास का ज्ञान हमें हमारे उद्गम स्रोत तक ले जाता है। अतः उस विरासत को हमारी और हमारी आनेवाली पीढ़ियों के हितों को दीर्घकाल तक संरक्षित रखने की, उनका संवर्धन करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। उपयोजित इतिहास द्वारा मूर्त और अमूर्त स्वरूप की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा सकता है। फलस्वरूप व्यवसाय के अनेक अवसर निर्माण होते हैं। संक्षेप में कहना हो तो इतिहास के आधार पर वर्तमानकाल का यथायोग्य आकलन और

भविष्यकाल के लिए दिशानिर्देशन; इस रूप में उपयोजित इतिहास का वर्णन किया जा सकता है।

३.४ सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रबंधन

(अ) सांस्कृतिक विरासत : यह मानवनिर्मित होती है। वह मूर्त और अमूर्त स्वरूप में होती है।

१. मूर्त सांस्कृतिक विरासत : इस वर्ग में प्राचीन स्थान, वास्तु, वस्तुएँ, हस्तलिखित (पांडुलिपियाँ) शिल्प, चित्र आदि का समावेश होता है।

२. अमूर्त सांस्कृतिक विरासत : इस वर्ग में निम्न मुद्दों का समावेश होता है।

- * मौखिक परंपराएँ और उनके लिए उपयोग में लाई जाने वाली भाषा।
- * पारंपरिक ज्ञान।
- * तीज-त्योहार, पर्व मनाने की सामाजिक प्रथाएँ और धार्मिक विधियाँ।
- * कला प्रस्तुतीकरण की पद्धतियाँ।
- * विशिष्ट पारंपरिक कौशल।
- * इन परंपराओं, प्रथाओं, कौशलों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह, वर्ग।

(ब) प्राकृतिक विरासत : प्राकृतिक विरासत की अवधारणा में प्रकृति में पाई जाने वाली जैवविविधता का विचार किया गया है। इसमें निम्न घटकों का समावेश होता है;

(१) प्राणी (२) वनस्पति जगत (३) उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक परिसंस्थाएँ और भूचरनात्मक विशेषताएँ।

आनेवाली पीढ़ियों के हितों का संरक्षण करने के लिए हमारी विरासत का संरक्षण होना आवश्यक है। विलुप्त होने की कगार पर पहुँची सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन होने की दृष्टि से विश्व संगठन यूनेस्को ने कुछ दिशानिदेशक सिद्धांत घोषित किए हैं। उन दिशानिदेशक सिद्धांतों के आधार पर विश्व विरासत के पद हेतु पात्र सिद्ध होने वाले स्थानों, परंपराओं की सूची घोषित की जाती है।



एक ही दृष्टिक्षेप में :

भारत की विश्व मौखिक और अमूर्त विरासत सूची में समाविष्ट परंपराएँ :

- २००१: केरल की 'कुटियट्टम' संस्कृत नाट्य परंपरा ।
- २००३: वैदिक पठन परंपरा ।
- २००५: उत्तर भारत में की जानेवाली 'रामलीला' की प्रस्तुति ।
- २००९: गढ़वाल (उत्तराखंड) में प्रचलित 'रम्मन' धार्मिक पर्व आणि विधिनाट्य ।
- २०१०: राजस्थान का कालबेलिया लोकसंगीत और लोकनृत्य ।
- २०१०: पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा का छाऊ नृत्य ।
- २०१०: केरल में प्रचलित 'मुडियेट्टू' विधि नाट्य आणि नृत्य नाट्य ।
- २०१२: लदाख, जम्मू और कश्मीर में प्रचलित बौद्ध मंत्र पठन की परंपरा ।
- २०१३: मणिपुर में प्रचलित 'संकीर्तन' परंपरा ।
- २०१४: पंजाब के ठठेरा समाज की तांबे और पीतल के बरतन बनाने की कला परंपरा ।
- २०१६: नवरोज
- २०१६: योग

भारत के विश्व विरासत के स्थान : सांस्कृतिक

- १९८३ : आगरा का किला
- १९८३ : अजिंठा (अजंता) की गुफाएँ
- १९८३ : वेरुल (एलोरा) की गुफाएँ
- १९८३ : ताजमहल
- १९८४ : महाबलीपुरम के मंदिर
- १९८४ : कोणार्क का सूर्यमंदिर
- १९८६ : गोआ के चर्च और कॉन्वेंट
- १९८६ : फतेहपुर सीकरी
- १९८६ : हंपी का वास्तुसंकुल
- १९८६ : खजुराहो के मंदिर
- १९८७ : धारापुरी (एलीफंटा) की गुफाएँ

- १९८७, : चोलों के मंदिर-तंजौर का बृहदेश्वर
- २००४ मंदिर, गंगैकोण्डचोलीश्वरम का बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर ।

- १९८७ : पट्टदकल के मंदिर
- १९८९ : सांची का स्तूप
- १९९३ : हुमायूँ की कब्र
- १९९३ : कुतुबमीनार और परिसर की वास्तुएँ
- १९९९ : (१) दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (२) नीलगिरि माउंटेन रेलवे (३) द काल्का-शिमला रेलवे
- २००२ : बोधगया का महाबोधी मंदिर और परिसर
- २००३ : भीमबेटका का शैलाश्रय
- २००४ : चंपानेर-पावागढ़ पुरातत्त्वीय स्थान
- २००४ : छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई
- २००७ : लाल किला, दिल्ली
- २०१० : जंतर-मंतर, जयपुर
- २०१३ : राजस्थान के पर्वतीय गढ़
- २०१४ : गुजरात के पाटण में 'रानी-की-बाव'
- २०१६ : नालंदा महाविहार पुरातत्त्वीय स्थान
- २०१६ : चंडीगढ़ का कैपिटल काम्प्लेक्स
- २०१७ : अहमदाबाद-ऐतिहासिक नगर

भारत के विश्व विरासत के स्थान : प्राकृतिक

- १९८५ : काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
- १९८५ : केबलदेव राष्ट्रीय उद्यान
- १९८५ : मानस वन्यजीव अभयारण्य
- १९८७ : सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान
- १९८८, : नंदादेवी और वैली ऑफ फ्लावर्स
- २००५ : राष्ट्रीय उद्यान
- २०१२ : पश्चिम घाट
- २०१४ : ग्रेट हिमालयन पार्क

भारत में मिश्र स्वरूप के विश्व विरासत स्थान

- २०१६ : कांचनगंगा राष्ट्रीय उद्यान



कैलास मंदिर, वेरुल (एलोरा)

यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक विरासत सूची में पश्चिम घाट का समावेश २०१२ ई. में किया गया।

सातारा जिले में कास पठार पश्चिम घाटश्रेणियों में ही बसा हुआ है। सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रबंधन करना; यह उपयोजित इतिहास का एक प्रमुख अंग है। इस विरासत का संरक्षण और संवर्धन करने का अधिकांश कार्य भारत सरकार का पुरातत्त्व विभाग और भारत के प्रत्येक राज्य सरकार का पुरातत्त्व विभाग करता है। इनटैक (इंडियन नैशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरीटेज) यह एक स्वयंसेवी संस्था है और इस क्षेत्र में यह संस्था १९८४ से कार्यरत है। सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थानों का संरक्षण और संवर्धन की परियोजनाओं में अनेक विषयों के तज्ञ व्यक्तियों का समावेश रहता है। इन सभी में संबंधित स्थानों के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक इतिहास का बोध निर्माण करने का कार्य उपयोजित इतिहास द्वारा किया जा सकता है। परिणामस्वरूप;

(१) परियोजना के अंतर्गत विरासत स्थानों के मूल स्वरूप को न बदलते हुए संरक्षण और संवर्धन का कार्य करना संभव होता है।

(२) स्थानीय समाज का ताना-बाना और मानसिकता, उनके सम्मुख वर्तमानकालीन विविध चुनौतियों, स्थानीय लोगों की अपेक्षाओं की समीक्षा की जा सकती है।

(३) सांस्कृतिक विरासत स्थानों का संरक्षण एवं संवर्धन करते समय स्थानीय लोगों की भावनाएँ आहत न हों; इसके लिए की जानेवाली उपाय योजनाओं का नियोजन किया जा सकता है।

(४) स्थानीय लोगों को उस परियोजना में सहभागी कराया जा सकता है।

(५) स्थानीय लोगों के पारंपरिक कौशलों को प्रोत्साहन दे सकेंगे; ऐसे उद्योग-व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा; इसके लिए सुनियोजित ढंग से योजना बनाना संभव होता है।

३.५ संबंधित व्यावसायिक क्षेत्र

नीचे उल्लिखित क्षेत्रों से संबंधित कानूनी नियम और सार्वजनिक नीतियाँ निश्चित करने हेतु इतिहास का ज्ञान सहयोगी सिद्ध होता है।

१. संग्रहालय और अभिलेखागार
२. ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण और संवर्धन
३. पर्यटन और आतिथ्य
४. मनोरंजन और संपर्क माध्यम



क्या, आप जानते हैं ?



पुरातन वस्तुओं का वर्णन करने वाली मिट्टी की टिकियाँ

विश्व में सबसे प्राचीन माना जाने वाला (ईसा पूर्व ६ठी शताब्दी) संग्रहालय मेसोपोटेमिया में 'उर' इस प्राचीन नगर का उत्खनन करते समय पाया गया। यह उत्खनन अंग्रेज पुरातत्त्वज्ञ सर लियोनार्ड वुली ने १९२२ ई. से १९३४ ई. की कालावधि में किया। यह संग्रहालय एनिगोल्डी नामक मेसोपोटेमिया की राजकन्या ने बाँधा था। वह स्वयं उस संग्रहालय की संग्रहपाल के रूप में कार्य करती थी।

इस संग्रहालय में बरामद प्राचीन वस्तुओं के साथ उन वस्तुओं का विस्तार में वर्णन करने वाली मिट्टी की टिकियाँ (clay tablets) थीं।



क्या, आप जानते हैं ?



इंडियन म्यूजियम - कोलकाता

कोलकाता में स्थित 'इंडियन म्यूजियम' की स्थापना एशियाटिक सोसाइटी द्वारा १८१४ ई. में हुई। डैनिश वनस्पति वैज्ञानिक नैथानिएल वॉलिक इस संग्रहालय के संस्थापक और प्रथम संग्रहपाल थे। यहाँ दिया गया संग्रहालय का छायाचित्र १९०५ ई. का है। संग्रहालय के तीन प्रमुख विभाग-कला, पुरातत्त्व और मानव विज्ञान हैं तथा उनसे जुड़े संरक्षण, प्रकाशन, छायाचित्रण (फोटोग्राफी), प्रदर्शनी - प्रस्तुतीकरण, प्रतिकृति निर्मिति, प्रशिक्षण, ग्रंथालय, सुरक्षा जैसे विभाग हैं।

इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के प्रबंधन के लिए विशेष कौशल प्राप्त मानवशक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे - स्थापत्यविशारद, अभियंता, इतिहासकार, पुरातत्त्वज्ञ, संग्रहपाल, समाज वैज्ञानिक, अभिलेखागार प्रबंधक, विधितज्ञ, छायाचित्रण तज्ञ आदि। यह सूची यहीं समाप्त नहीं होती। प्राचीन स्थानों, वास्तुओं और वस्तुओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सभी तज्ञों को पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक होता है। उपयोजित इतिहास क्षेत्र की परियोजनाओं के फलस्वरूप उपर्युक्त उल्लिखित क्षेत्रों में व्यवसाय के अनेक अवसर उपलब्ध हो सकते हैं।

मालूम कर लें -

अभिलेखागारों में महत्वपूर्ण पुराने कागजातों, दस्तावेजों, पुरानी फिल्मों आदि संरक्षित कर रखी जाती हैं।

भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में है। भारत में सभी राज्यों के स्वतंत्र अभिलेखागार हैं।

वैशिष्ट्यपूर्ण अभिलेखागार

पुणे में 'नैशनल फिल्म अर्काइव' (राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय संस्थान) का मुख्य कार्यालय है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण विभाग के माध्यम विभाग के रूप में १९६४ ई. में इसकी स्थापना हुई। इसके तीन प्रमुख उद्देश्य थे।

- भविष्यकालीन पीढ़ियों के लिए दुर्लभ भारतीय फिल्मों को खोजना, उन्हें प्राप्त करना और फिल्मों की इस विरासत का संरक्षण करना।
- फिल्मों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों/घटकों का वर्गीकरण करना, उनका स्थायी रूप में लेखन-अंकन कर रखना और अनुसंधान/शोधकार्य करना।
- फिल्म संस्कृति का प्रसार केंद्र स्थापित करना।

इस पाठ में हमने देखा कि 'उपयोजित इतिहास' का कार्यक्षेत्र लोगों में इतिहास के बारे में जागरण किस प्रकार किया जा सकता है, हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन के विषय में समाज में किस प्रकार जागृति निर्माण की जा सकती है, इसके लिए इतिहास के ज्ञान का उपयोग कैसे किया/करवाया जा सकता है, उसके आनुषंगिक रूप से व्यावसायिक कौशलों और उद्योग-व्यवसायों के क्षेत्र में किस प्रकार वृद्धि की जा सकती है आदि बातों का विचार और नियोजन करने का कार्य उपयोजित इतिहास में किया जाता

है । ऐतिहासिक और सार्वजनिक स्थानों का विद्रूपीकरण न हो, आगामी पीढ़ियों के हितों के

लिए उनका उचित पद्धति से संरक्षण-संवर्धन हो; इसके लिए यह आवश्यक है ।



स्वाध्याय

१. (अ) दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए ।

(१) संसार का सब से प्राचीन संग्रहालय
नगर का उत्खनन करते समय पाया गया ।

- (अ) दिल्ली (ब) हड़प्पा
(क) उर (ड) कोलकाता

(२) भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार में है ।

- (अ) दिल्ली (ब) कोलकाता
(क) मुंबई (ड) चेन्नई

(ब) निम्न में से असत्य जोड़ी में सुधार कर पुनः लिखिए ।

- (१) कुटियट्टम - केरल की संस्कृत नाट्यपरंपरा
(२) रम्मन - पश्चिम बंगाल का नृत्य
(३) रामलीला - उत्तर भारत की प्रस्तुति
(४) कालबेलिया - राजस्थान का लोकसंगीत और लोकनृत्य

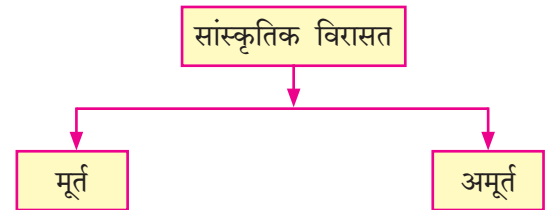
२. निम्न अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए ।

- (१) उपयोजित इतिहास (२) अभिलेखागार

३. निम्न प्रश्नों के उत्तर २५ से ३० शब्दों में लिखिए ।

- (१) 'सामान्य जनों का इतिहास' इस अवधारणा को स्पष्ट कीजिए ।
(२) ऐतिहासिक विरासत स्थानों के संदर्भ में यूनेस्को ने कौन-सा कार्य किया है ?
(३) सांस्कृतिक विरासत स्थानों की सूची में महाराष्ट्र के कौन-से स्थान समाविष्ट हैं; उन्हें खोजिए और लिखिए ।

४. निम्न संकल्पनाचित्र पूर्ण कीजिए ।



५. निम्न कथनों को कारणसहित स्पष्ट कीजिए ।

- (१) तकनीकी विज्ञान के इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है ।
(२) विश्व विरासत के पद के लिए पात्र सिद्ध होने वाले स्थानों, परंपराओं की सूची यूनेस्को द्वारा घोषित की जाती है ।

६. निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए ।

- (१) निम्न विषयों के अनुसंधान में इतिहास की अनुसंधान पद्धति किस प्रकार उपयुक्त सिद्ध होगी, वह स्पष्ट कीजिए ।
(अ) विज्ञान (ब) कला (क) प्रबंधन विज्ञान
(२) उपयोजित इतिहास का वर्तमानकाल के साथ किस प्रकार सहसंबंध होता है ?
(३) इतिहास के साधनों का संरक्षण होना चाहिए; इसके लिए न्यूनतम १० उपाय सुझाइए ।
(४) प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने की परियोजना द्वारा कौन-सी बातें सिद्ध होती हैं ?

उपक्रम

भारत के मानचित्र के ढाँचे में विरासत स्थानों को दर्शाइए ।



36A494



४. भारतीय कलाओं का इतिहास

४.१ कला किसे कहते हैं ?

४.२ भारत की दृश्य कला परंपरा

४.३ भारत की ललित/आंगिक कला परंपरा

४.४ कलाएँ, उपयोजित कलाएँ और व्यवसाय के अवसर

४.१ कला किसे कहते हैं ?

स्वयं को प्राप्त हुए अनुभव और उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान तथा मन की भाव-भावनाएँ दूसरों तक पहुँचें; यह प्रत्येक व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति होती है। इस सहज प्रवृत्ति की प्रेरणा में से जब किसी सौंदर्यपूर्ण कृति का निर्माण किया जाता है; तब उसे कला कहा जाता है। कला के निर्माण की जड़ में कलाकार की कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता, भावनात्मकता और कौशल जैसे घटक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।

दृश्य कला और ललित कला : कला प्रकारों का विभाजन 'दृश्य कला' और 'ललित कला' में किया जाता है। ललित कलाओं को आंगिक कला भी कहा जाता है। दृश्य कलाओं का उद्गम प्रागैतिहासिक कालखंड में ही हुआ; इसे दर्शनीवाले अनेक कलाओं के नमूने अश्मयुगीन गुफाओं में से

प्राप्त हुए हैं।

लोक कला और अभिजात कला : कला की दो परंपराएँ – 'लोक कला' और 'अभिजात कला' मानी जाती हैं। 'लोक कला' अश्मयुगीन कालखंड से अखंडित रूप से चली आ रही परंपरा है। उसकी अभिव्यक्ति लोगों के प्रतिदिन जीवन का अंग होती है। परिणामस्वरूप इस परंपरा की अभिव्यक्ति अधिक उत्स्फूर्त होती है। लोक कला का निर्माण समूह के लोगों के प्रत्यक्ष सहभाग द्वारा होता है। 'अभिजात कला' निर्धारित नियमों की चौखट में बद्ध होती है। इसे आत्मसात करने के लिए दीर्घकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

कला शैली : प्रत्येक कलाकार की कलाभिव्यक्ति एक स्वतंत्र पद्धति अर्थात् शैली होती है। जब कोई पद्धति परंपरा का स्वरूप धारण कर लेती है, तब वह पद्धति विशिष्ट कलाशैली के रूप में अपनी पहचान बना लेती है। प्रत्येक संस्कृति में भिन्न-भिन्न कालखंड और प्रदेशों से संबंधित विशिष्ट प्रकार की कलाशैलियाँ विकसित होती हैं। उन शैलियों के आधार पर उस-उस संस्कृति की कला के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है।



मराठा चित्र शैली : कला शैली के रूप में मराठा चित्रशैली का विचार किया जा सकता है। लगभग ई.स.की सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा चित्र शैली के विकसित होने का प्रारंभ हुआ। इस शैली में बनाए गए चित्र रंगीन हैं तथा वे भित्तिचित्र और हस्तलिखितों (पांडुलिपियों) में लघुचित्रों के स्वरूप में हैं। वाई, मेणवली और सातारा जैसे स्थानों पर पुराने बाड़ों में मराठा चित्रशैली में निर्मित कुछ भित्तिचित्र देखने को मिलते हैं। मराठा चित्र शैली पर राजपूत और यूरोपीय चित्रशैली का प्रभाव दिखाई देता है।

जिस कालखंड में किसी विशिष्ट चित्र शैली का विकास हुआ होगा; उस कालखंड का रहन-सहन, परिधान, रीति-रिवाज आदि बातों का अध्ययन उस शैली में बनाए गए चित्रों के आधार पर किया जा सकता है।

४.२ भारत की दृश्य कला परंपरा

दृश्य कला में चित्रकला और शिल्पकला का समावेश होता है।



भित्तिचित्र : बोधिसत्त्व पद्मपाणि

चित्रकला : चित्रकला द्विमितीय होती है। जैसे : प्रकृति का चित्र, वस्तु का चित्र, व्यक्ति का चित्र, वस्तुओं का आरेखन आदि चित्र खींचे जाते हैं। इसके लिए शिलाखंड, दीवारें, कागज, सूती अथवा रेशमी कपड़ों के कैनवास, मिट्टी के बरतन जैसे माध्यमों अथवा साधनों का उपयोग किया जाता है। जैसे : अजिंठा (अजंता) गुफा में बोधिसत्त्व पद्मपाणि का भित्तिचित्र।

लोक चित्रकला शैली : अश्मयुग में गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र अनेक देशों में पाए जाते हैं।

भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में गुफाचित्रोंवाले अनेक स्थान हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थान पर बने गुफाचित्र प्रसिद्ध हैं। विश्व विरासत स्थानों में भीमबेटका के गुफाचित्रों का समावेश किया गया है।

गुफाचित्रों में मनुष्य की आकृतियों, प्राणियों और कुछ भूमितीय आकृतियों का समावेश रहता है। पुराश्म युग से लेकर खेती का प्रारंभ होने के कालखंड तक इन चित्रों की शैली और उनके विषयों में जो परिवर्तन होते गए; वे पाए जाते हैं। चित्रों में नवीन प्राणियों और वनस्पतियों का भी समावेश किया हुआ दिखाई देता है। साथ ही; मनुष्यों की आकृतियों की आरेखन पद्धति और उपयोग में लाये गए रंगों में भी अंतर आता गया है। इन चित्रों में काला, लाल और श्वेत जैसे प्राकृतिक द्रव्यों से तैयार किए गए रंगों का उपयोग किया गया है। अलग-अलग कालखंड के लोगों का उनके परिसर के विषय में ज्ञान और प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग

कर लेने के तकनीकी विज्ञान का विकास किस प्रकार होता गया; इसकी कल्पना इन चित्रों द्वारा की जा सकती है?



क्या, आप जानते हैं ?



महाराष्ट्र में प्रचलित वारली चित्र परंपरा और पिंगुल अथवा चित्रकथी परंपरा लोककला शैली के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं। ठाणे जिले के निवासी जिव्या सोम्या मशे का वारली चित्रकला को लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। उनके बनाए हुए वारली चित्रों के लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वर्ष २०११ ई. में उन्हें पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया गया है।

इसे समझ लें



ई.स.की बारहवीं शताब्दी में चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वारा लिखित 'मानसोल्लास' अथवा 'अभिलषितार्थचिंतामणि' ग्रंथ में चित्रकथी परंपरा का वर्णन पाया जाता है। इसके आधार पर इस परंपरा की प्राचीनता का अनुमान हो जाता है। कठपुतलियों अथवा चित्रों की सहायता से रामायण,

महाभारत की कथा बताने की परंपरा को चित्रकथी परंपरा कहते हैं। इस परंपरा को कोंकण के कुड़ाल स्थान के समीपस्थ पिंगुल गाँव में रहने वाले ठाकर आदिवासी समाज के लोगों ने संरक्षित कर रखा है। इस परंपरा में कागज पर चित्रों को बनाकर उन्हें प्राकृतिक रंगों में रंगा जाता है। एक कथा अथवा कहानी के लिए लगभग ३० से ५० चित्रों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न कथाएँ बताने के लिए ऐसे चित्रों के पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते आ रहे ग्रंथ चित्रकथी परिवार में संरक्षित रखे होते हैं। विलुप्त होने के कगार पर पहुँची इस परंपरा को पुनर्जीवित करने के प्रयास सरकार और कलाकारों द्वारा किए जा रहे हैं।

लोक चित्रकला की परंपरा गुफाचित्रों के साथ संबंध दर्शाती है। परिवार में संपन्न होनेवाले विवाह में, तीज-त्योहारों के अवसर पर दीवारों पर चित्र बनाना, आँगन में रंगोली बनाना तथा चित्रों की सहायता से आख्यानों को व्यक्त करना; इनमें से प्रादेशिक लोककला परंपरा में विविध चित्रशैलियाँ विकसित हुईं।

अभिजात चित्रकला : हम देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय साहित्य अथवा वाङ्मय में विभिन्न कलाओं के विषय में सांगोपांग विचार किया गया है। उसमें कुल ६४ कलाओं का उल्लेख पाया जाता है। उसमें चित्रकला का उल्लेख 'आलेख्यम्' अथवा 'आलेख्य विद्या' नाम से हुआ है। आलेख विद्या के 'षडांग' अथवा छह महत्वपूर्ण अंग हैं। इन छह अंगों का प्राचीन भारतीयों ने बड़ी सूक्ष्मता से विचार किया है। उनमें रूप भेद (विभिन्न आकार), परिमाण (अनुपातबद्ध रचना और नापें), भाव (भाव प्रदर्शन), लावण्ययोजन (सुंदरता का स्पर्श), सादृश्यता (वास्तविकता का आभास कराने वाला चित्रण) और वर्णिकाभंग (रंगों का आयोजन) का समावेश है।

विविध धार्मिक पंथों के आगम ग्रंथों, पुराणों और वास्तु शास्त्र के ग्रंथों में चित्रकला, शिल्पकला का विचार मंदिर निर्माण में किया हुआ दिखाई देता है।

हस्तलिखितों (पांडुलिपियों) में लघुचित्र : हस्तलिखितों में बनाए जाने वाले लघुचित्रों पर प्रारंभ



मुघल शैली

यूरोपीय चित्रशैली : अंग्रेजों के शासनकाल में पश्चिमी चित्रशैली का प्रभाव भारतीय चित्रशैली पर दिखाई देता है। पुणे के शनिवारवाड़ा में सवाई माधवराव पेशवा के शासनकाल में स्कॉटिश चित्रकार जेम्स वेल्स के मार्गदर्शन में कलाशाला की स्थापना की गई थी। उसने सवाई माधवराव और नाना फड़नवीस का चित्र बनाया था। वेल्स के साथ चित्रकारिता करने वाले एक मराठी चित्रकार गंगाराम तांबट का यहाँ विशेष



सवाई माधवराव और नाना फड़नवीस



गंगाराम तांबट का अपने गुरु के साथ अरेखित स्व-चित्र

उल्लेख करना चाहिए। उन्होंने वेरुल (एलोरा), कार्ले की गुफाओं में चित्र बनाए थे। उनके बनाए हुए कुछ चित्र अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के 'येल सेंटर ऑफ ब्रिटिश आर्ट' में संरक्षित रखे गए हैं।

चित्रवस्तु का हू-ब-हू चित्र बनाना पश्चिमी चित्रशैली की विशिष्टता समझी जाती है। मुंबई में १८५७ ई. में जे.जे.स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री की स्थापना हुई। इस संस्था में पश्चिमी कला शैलियों की शिक्षा प्रदान की जाती है। इस कला संस्था से शिक्षा ग्रहण कर अनेक गुणवान चित्रकारों ने ख्याति अर्जित की है। उनमें से पेस्तन जी बोमन जी ने अजिंठा (अजंता) गुफाओं के चित्रों की प्रतिकृति बनाने का कार्य किया।

शिल्पकला : शिल्पकला त्रिमितीय होती है।



अशोक स्तंभ

जैसे-मूर्ति, प्रतिमा, कलापूर्ण बरतन और वस्तुएँ। शिल्प उकेरे जाते हैं अथवा गढ़े जाते हैं। इसके लिए पत्थर, धातुएँ और मिट्टी का उपयोग किया जाता है। वेरुल (एलोरा) की कैलाश गुफाएँ अखंड प्रस्तरखंड में उकेरा हुआ अद्वितीय शिल्प है। सारनाथ में अशोक स्तंभ के शीर्ष पर चार सिंहोंवाले शिल्प पर आधारित चित्र भारत का राष्ट्रीय मानचिह्न है।

लोक शिल्पकला शैली : चित्रकला के समान ही शिल्पकला भी अश्मयुग जितनी प्राचीन है। पत्थर के औजार बनाने का जो प्रारंभ हुआ; वह एक प्रकार से शिल्पकला का ही प्रारंभ था, ऐसा कहा जा सकता है। भारत में धार्मिक अवसरों पर मिट्टी की प्रतिमाएँ तैयार कर उनकी पूजा करने अथवा उन्हें अर्पण करने की प्रथा हड़प्पा संस्कृति के समय से चली आ रही थी। अब तक वह प्रथा बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान जैसे अनेक राज्यों में प्रचलित दिखाई देती है। महाराष्ट्र में तैयार की जाने वाली गणेश जी की मूर्तियाँ, गौरी के मुखौटे, बैलपोला के लिए बनाए जाने वाले मिट्टी के बैल, पूर्वजों की स्मृति में निर्मित लकड़ी के मुखौटेवाले स्तंभ, वीरगल, आदिवासी घरों में संग्रहित कर रखने के लिए बने मिट्टी के भंडारगृह आदि इसी शिल्पकला की लोकपरंपरा की गवाही देते हैं।

अभिजात शिल्पकला शैली : हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएँ, पत्थर और कांस्य की प्रतिमाएँ पाँच हजार वर्ष अथवा उससे भी अधिक प्राचीन भारतीय शिल्पकला की परंपरा की साक्ष्य देते हैं। माना जाता है कि सम्राट अशोक के कार्यकाल में निर्मित पत्थर के स्तंभों से



भारहूत स्तूप : शिल्प

भारत में उकेरे पत्थर के शिल्प निर्माण का सच्चे अर्थ में प्रारंभ हुआ।

मध्य प्रदेश के सांची का स्तूप प्रथम अशोक के कार्यकाल में बनाया गया। लेकिन उसपर निर्मित सुंदर शिल्पों की

सजावट कालांतर में की गई होगी; ऐसा माना जाता है। भारत में शिल्पकला का विकास कालांतर में होता रहा। इसकी साक्ष्य हमें भारहूत के स्तूप पर बने शिल्पों द्वारा हो जाती है। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के बाहर दूर-दूर तक हुआ। परिणामस्वरूप उन देशों में स्तूप निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में निर्मित स्तूप संसार में सबसे विशाल स्तूप है। इस स्तूप का निर्माण ई.स.की आठवीं-नौवीं शताब्दी में किया गया। १९९१ ई. में यूनेस्को ने बोरोबुदुर को विश्व विरासत स्थान के रूप में घोषित किया है।



बोरोबुदुर स्तूप

भारतीय मूर्ति विज्ञान : अफगानिस्तान और आस-पास के प्रदेशों में ई.स. की दूसरी शताब्दी में ग्रीक (यूनानी) और पर्शियन (फारसी) प्रभाव को दर्शाने वाली गांधार शिल्पकला शैली का उदय हुआ।

ई.स. की प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी के



नटराज

बीच अर्थात कुषाणों के कार्यकाल में मथुरा शिल्प शैली का उदय हुआ। इस शैली ने भारतीय मूर्ति विज्ञान की नींव रखी। देवप्रतिमाओं का उपयोग किए जाने की कल्पना पहली बार कुषाणों के सिक्कों पर दिखाई देती है। गुप्त साम्राज्य के कार्यकाल में भारतीय मूर्ति विज्ञान से संबंधित नियम बनाए गए और शिल्पकला के मापदंड निर्धारित किए गए। ई.स.की नौवीं से तेरहवीं शताब्दियों के बीच चोल राजाओं के आधिपत्य में दक्षिण भारत में कांस्य मूर्तियों का निर्माण करने की कला विकसित हुई। इन मूर्तियों में शिव-पार्वती, नटराज, लक्ष्मी, विष्णु जैसे देवी-देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया जाने लगा।

स्थापत्य और शिल्पकला : भारत में कई उकेरी हुई गुफाएँ हैं। उकेरी हुई गुफाओं की परंपरा भारत में ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में प्रारंभ हुई। तकनीकी दृष्टि से समग्र गुफा स्थापत्य और उकेरे हुए शिल्प का एकत्रित उदाहरण होती है। प्रवेश द्वार, भीतर के खंभे और मूर्तियाँ शिल्पकला के उत्तम नमूने होती हैं।

दीवारों और छतों पर किया गया चित्रकार्य कुछ गुफाओं में आज भी कुछ सीमा तक बना हुआ है।



अजिंठा (अजंता) गुफा क्र. १९ प्रवेश द्वार

महाराष्ट्र में अजिंठा (अजंता) और वेरुल (एलोरा) की गुफाओं को १९८३ ई. में विश्व विरासत स्थान का दर्जा प्रदान किया गया।

भारत में मंदिर स्थापत्य का प्रारंभ लगभग ई.स. की चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के कार्यकाल में हुआ। गुप्तकाल के प्रारंभ में गर्भगृह और उसके बाहरी चार स्तंभोंवाला गृह केवल यही मंदिर का स्वरूप था।

ई.स. की आठवीं शताब्दी तक भारत में मंदिर



नागर शैली का शिखर

स्थापत्य पूर्ण विकसित हुआ था; यह वेरुल (एलोरा) के कैलाश मंदिर की भव्य रचना के आधार पर सहजता से ध्यान

में आता है। मध्ययुगीन समय तक भारतीय मंदिर स्थापत्य की अनेक शैलियाँ विकसित हुईं। ये शैलियाँ शिखरों की रचना विशेषताओं के अनुसार निश्चित की जाती हैं। उनमें उत्तर भारत की 'नागर' और दक्षिण भारत की 'द्राविड़' ये दो प्रमुख शैलियाँ मानी जाती हैं। इन दोनों शैलियों का समन्वय होने से जो मिश्र शैली विकसित हुई; उसे 'वेसर' कहते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जानेवाली 'भूमिज' मंदिर शैली और 'नागर' मंदिर शैली में रचना की दृष्टि से समानता पाई जाती है। भूमिज शैली में क्रमशः छोटे होते जाते शिखरों की प्रतिकृतियाँ ऊपर तक रची होती हैं।



द्राविड़ शैली का गोपुर

मालूम कर लें

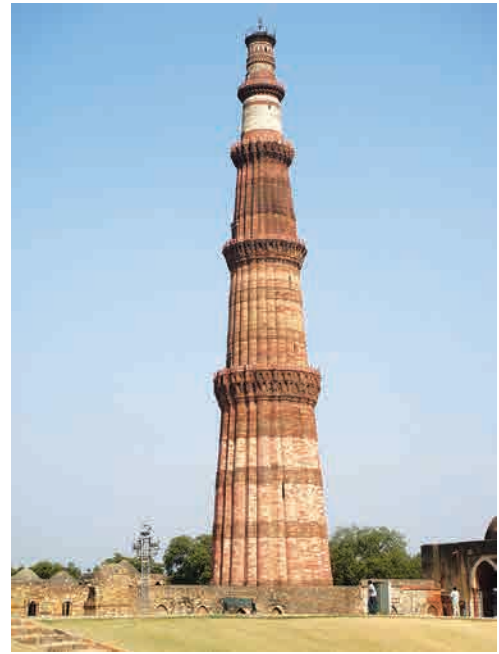
महाराष्ट्र में बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी में निर्मित मंदिरों को 'हेमाङ्गपंती मंदिर' कहते हैं। हेमाङ्गपंती मंदिर की बाहरी दीवारें प्रायः तारकाकृति होती हैं। तारकाकृति मंदिर की बनावट में मंदिर की बाह्य दीवार अनेक कोणों में विभाजित हो जाती है। अतः उन दीवारों और उनपर बने शिल्पों पर छायाप्रकाश का सुंदर प्रभाव देखने को मिलता है। हेमाङ्गपंती मंदिरों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि दीवारों के पत्थर जोड़ने लिए चूने का उपयोग नहीं किया जाता। पत्थरों में ही एक-दूसरे में कसकर फँसेंगे ऐसे खरादे हुए छेद में चूल बिठाकर उसके सहारे दीवार खड़ी की जाती है। मुंबई के समीपस्थ अंबरनाथ का अंब्रेश्वर, नाशिक के समीप सिन्नर का गोंदेश्वर, हिंगोली जिले में औंढा नागनाथ हेमाङ्गपंती मंदिर के उत्तम उदाहरण हैं। इन मंदिरों की बनावट तारकाकृति प्रकार की है। इनके अतिरिक्त महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर हेमाङ्गपंती मंदिर देखने को मिलते हैं।



गोंदेश्वर मंदिर - सिन्नर

मध्ययुगीन भारत में मुस्लिम सत्ताओं के आश्रय में पर्शियन, मध्य एशियाई, अरबी और इस्लामपूर्व भारतीय स्थापत्य शैली की अनेक धाराएँ इकट्ठी आईं। उनमें से भारत का मुस्लिम स्थापत्य विकसित हुआ। कई सुंदर वास्तुओं का निर्माण किया गया। दिल्ली के समीप मेहरौली की कुतुबमीनार, आगरा का ताज महल और बीजापुर का गोलगुंबज जैसी वास्तुएँ मुस्लिम स्थापत्य शैली के विश्वविख्यात

उदाहरण हैं। कुतुबउद्दीन ऐबक (ई.स.की बारहवीं शताब्दी) के कार्यकाल में कुतुबमीनार के निर्माण कार्य को प्रारंभ हुआ और उसके पश्चात अलतमश (ई.स.की तेरहवीं शताब्दी) के शासनकाल में कुतुबमीनार का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। कुतुबमीनार संसार में सर्वाधिक ऊँची मीनार है। इसकी ऊँचाई ७३ मीटर (२४० फीट) है। जिस वास्तुसंकुल का कुतुबमीनार हिस्सा है; वह कुतुब वास्तुसंकुल यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थान के रूप में घोषित किया गया है।



कुतुबमीनार

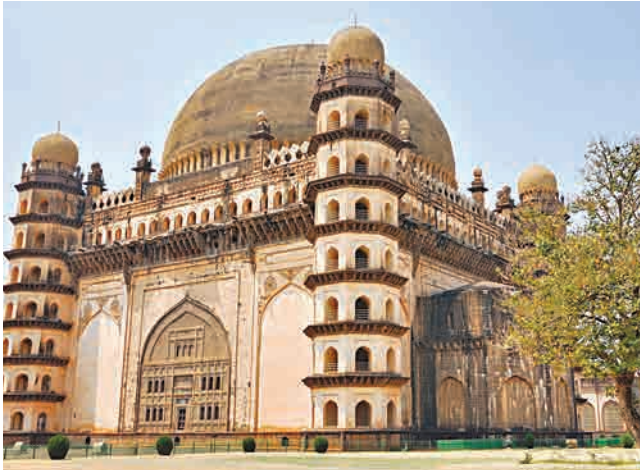
मुगल सम्राट शाहजहाँ ने उसकी बेगम (पत्नी) मुमताज महल की याद में ताज महल का निर्माण करवाया। ताज महल भारत का सौंदर्यपूर्ण मुस्लिम



ताज महल

स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। विश्वविख्यात मानी गई इस वास्तु को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थान के रूप में घोषित किया है।

ई.स. की सत्रहवीं शताब्दी में निर्मित बीजापुर की अतिभव्य इमारत गोलगुंबज मुहम्मद आदिलशाह की कब्र है। इस इमारत को गोलगुंबज नाम जिस कारण मिला है; उस गुंबज के अंदरवाले घेरे से लगकर गोल छज्जा है। इस छज्जे में खड़े रहकर धीमी आवाज में बात करें अथवा फुसफुसाएँ तब भी वह आवाज सर्वत्र सुनाई देती है। यदि जोर से ताली बजाएँ तो उसकी प्रतिध्वनि कई बार घूमती रहती है।



गोलगुंबज

अंग्रेजों के कार्यकाल में बाँधे गए चर्च, सरकारी कार्यालय, बड़े पदाधिकारियों के आवास स्थान, रेल स्टेशन जैसी इमारतों में यह शैली देखने को मिलती है। मुंबई की 'छत्रपति शिवाजी महाराज रेल टर्मिनस' इमारत इस शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह



छत्रपति शिवाजी महाराज रेल टर्मिनस

इमारत यूनेस्को की विश्व विरासत स्थान की सूची में समाविष्ट हुई है।

४.३ भारत में ललित/आंगिक कला परंपराएँ

लोककलाओं की परंपराएँ : भारत के प्रत्येक प्रदेश की विविधतापूर्ण लोकगीतों, लोकवाद्यों, लोकनृत्यों और लोकनाट्यों की परंपराएँ हैं। महाराष्ट्र में भी लोककला की अनेक परंपराएँ प्रचलित हैं। ये लोककलाएँ धार्मिक पर्व और सामाजिक जीवन के अभिन्न हिस्से के रूप में विकसित हुईं। इन लोककलाओं में कोली नृत्य (मछुआरों का नृत्य), तारपा नृत्य, कोंकण का दशावतार, पोवाड़ा (शौर्य गान), कीर्तन, जागर-गोंधल कुछ मोटे उदाहरण हैं।

अभिजात कलाओं की परंपराएँ : भारत को लोककलाओं की भाँति अभिजात कलाओं की अतिसंपन्न विरासत प्राप्त हुई है। भरतमुनि द्वारा लिखित 'नाट्यशास्त्र' ग्रंथ में गायन, वादन, नृत्य, नाट्य जैसी कलाओं का विस्तार में विचारविमर्श हुआ है। इस दृष्टि से यह सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। भारतीय ललित कलाओं की प्रस्तुति में शृंगार, हास्य, बीभत्स, रौद्र, करुण, वीर, भयानक, अद्भुत और शांत इन नौ रसों को मूलभूत माना गया है।

भारतीय लोगों का विदेशी लोगों के साथ निरंतर संपर्क होता रहा और उसके द्वारा उन कलाओं की प्रस्तुति में अनेक धाराएँ घुलती गईं। परिणामस्वरूप वे अधिकाधिक संपन्न होती गईं। शास्त्रीय गायन, वादन, नृत्य की विविध शैलियों और उन शैलियों का संवर्धन करने वाले घरानों का निर्माण हुआ।

भारत में शास्त्रीय गायन की दो प्रमुख शाखाएँ – 'हिंदुस्तानी संगीत' और 'कर्नाटक संगीत' हैं। साथ ही शास्त्रीय और उपशास्त्रीय ये दो भेद हैं। उपशास्त्रीय गायन में अनेक लोकगीत शैलियों का समावेश दिखाई देता है।



क्या, आप जानते हैं ?

نورسُ سوزِ حُکِ چکِ جوتی آسِ رُکِ
یوستِ سِرِ سِتی ما نا ابراہیمِ سزا دِ بھو دِ
در مقامِ لہیر و نورس

बीजापुर के सुलतान इब्राहिम आदिलशाह द्वितीय ने पर्शियन (फारसी) भाषा में 'किताब-ए-नवरस' ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ संगीत शास्त्र से संबंधित है तथा गायन के अनुकूल गीतोंवाला, धृपद गायकी को सामने रखकर गीतों को साकार करता है, उत्तम श्रेणी के काव्यग्रंथ की अनुभूति रसिकों को प्रदान करता है।

इस ग्रंथ का डॉ अरुण प्रभुणे ने मराठी में संपादन किया है। इस ग्रंथ के मुखपृष्ठ पर अंकित दोहे का अनुवाद इस प्रकार है -

'हे माते सरस्वती, आप जगतज्योति और सर्वगुणसंपन्न हैं। यदि आपकी कृपा इस इब्राहिम पर हो गई तो (आपके आशीर्वाद से) नवरस का गीत युग-युग तक जीवित रहेगा।'

उत्तर भारत में कथक, महाराष्ट्र में लावणी, ओडिशा का ओडिसी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम्, आंध्र का कुचीपुडी, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम प्रचलित नृत्य शैलियाँ हैं। इन नृत्य शैलियों की प्रस्तुति में शास्त्रीय गायन, वादन और नृत्य का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है।

स्वतंत्र भारत में शास्त्रीय संगीत और नृत्य सामान्य रसिकों तक पहुँचें, इस दृष्टि से विभिन्न स्थानों पर संगीत-नृत्य महोत्सवों का आयोजन किया जाता है। उनका आनंद और आस्वादन प्राप्त करने के लिए केवल भारत से ही नहीं अपितु विदेशों से भी अनगिनत रसिक आते हैं। पुणे में प्रतिवर्ष सवाई गंधर्व के नाम से आयोजित किया जाने वाला संगीत महोत्सव विख्यात है।



लावणी नृत्य-महाराष्ट्र



कथकली-केरल

वर्तमान समय में भारतीय संगीत क्षेत्र में विशिष्ट शैली अथवा विशिष्ट घराने की सीमा को लाँघकर नया और अभिनव प्रयोग करने की ओर झुकाव दिखाई देता है। इसमें भारतीय संगीत के साथ पश्चिमी संगीत और पश्चिमी नृत्य का मेल बिठाने का प्रयास भी दिखाई देता है। इस प्रकार की नई शैली विकसित करने वालों में उदय शंकर का नाम विशेष रूप से लेना चाहिए। उन्होंने भारत के शास्त्रीय नृत्य और यूरोपीय रंगमंच की नृत्यनाट्य परंपरा के बीच समन्वय साधा है। साथ ही, उन्होंने अपनी शैली में लोकनृत्य की विविध शैलियों को भी स्थान दिया है। इस प्रकार भारतीय ललित कलाओं का प्रस्तुति क्षेत्र विस्तार पाता हुआ दिखाई देता है। यही बात भारतीय दृश्य कलाओं के क्षेत्र में भी निरंतर हो रही है।

४.४ कला, उपयोजित कला और व्यवसाय के अवसर

कला : कला का इतिहास एक ज्ञानशाखा है। इस क्षेत्र में अनुसंधान/शोधकार्य एवं व्यवसायों के अवसर पर उपलब्ध हो सकते हैं।

(१) कला का इतिहास के अध्येता पत्रकारिता क्षेत्र में भी कार्य कर सकते हैं।

(२) कलात्मक वस्तुओं के क्रय-विक्रय का एक स्वतंत्र क्षेत्र है। वहाँ कलात्मक वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने के लिए वह कला वस्तु कृत्रिम/नकली है अथवा नहीं; इसकी परीक्षा करने की आवश्यकता होती है। इस हेतु कला इतिहास का गहन अध्ययन करने वाले तज्ञों की आवश्यकता होती है।

(३) सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन तथा सांस्कृतिक पर्यटन अब नए-से विकसित होने वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में भी कला के अध्येताओं के लिए अनेक व्यावसायिक अवसर उपलब्ध हैं। उनमें संग्रहालय और अभिलेखागार, पुस्तकालय और सूचना प्रसारण का तकनीकी विज्ञान, पुरातत्त्वीय अनुसंधान और भारतीय विद्याएँ ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

उपयोजित कला : दृश्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में कलाओं का निर्माण इसलिए किया जाता है कि रसिक कलाओं का शुद्ध रूप से रसास्वादन कर सकें। सभी कलाओं के क्षेत्रों में कार्य करने वाले कलाकारों का यही उद्देश्य होता है। इसके अतिरिक्त कलात्मक रचना और उसकी उपयोगिता के बीच समन्वय साधते हुए अनेक प्रकार की निर्मिति की जाती है। इस प्रकार उपयोगिता का उद्देश्य ध्यान में रखकर कला का निर्माण करना ही उपयोजित कला कहलाई जाती है।

(१) औद्योगिक और विज्ञापन क्षेत्र, भवन/मकानों की साज-सज्जा और सजावट की वस्तुएँ, फिल्म और दूरदर्शन के कार्यक्रम के लिए आवश्यक कला निर्देशन, प्रकाशन और मुद्रण क्षेत्र में पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ, समाचारपत्रों की

संरचना, साज-सज्जा और सुलेखन, भेंटकार्ड, निमंत्रणपत्र, व्यक्तिगत लेखन सामग्री, उपहार की वस्तुएँ आदि अनेक बातों के लिए उपयोजित कला क्षेत्र के तज्ञों-जानकारों की आवश्यकता होती है।

(२) स्थापत्य और फोटोग्राफी (छायाचित्रण) के क्षेत्र भी उपयोजित कला वर्ग में आते हैं। वर्तमान समय में संगणक पर तैयार किए हुए स्थिर और चलित चित्र, नक्काशी (डिजाइनें) और आरेखन (स्केच) का उपयोग किया जाता है। ये भी उपयोजित कला के ही अंग हैं। आभूषणों, मूल्यवान धातुओं की कला वस्तुओं, रंगीन, नक्काशीवाले मिट्टी के बरतन, बाँस और बेंत की वस्तुएँ, काँच की कलात्मक वस्तुएँ, सुंदर कपड़ा व वस्त्र निर्मिति ये सभी उपयोजित कला की विस्तृत सूची है।

उपर्युक्त प्रत्येक क्षेत्र में बौद्धिक स्तर पर किसी संकल्पना के बारे में सोचकर उसे प्रत्यक्ष में उतारने तक निर्माण प्रक्रिया के अनेक चरण होते हैं। प्रत्येक चरण पर प्रशिक्षित एवं कुशल व्यक्तियों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन करते समय उनकी निर्माण प्रक्रिया कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं से बँधी होती है। इन क्षेत्रों की प्रक्रियाओं के प्रत्येक चरण के विकास का इतिहास होता है। प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में कला वस्तुओं की उत्पादन प्रक्रिया के पीछे जो औद्योगिक, सांस्कृतिक परंपराएँ होती हैं; उनके इतिहास का अंतर्भाव रहता है।

उपरोल्लिखित क्षेत्रों में तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाले अनेक संस्थान भारत में हैं। गुजरात में नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन-अहमदाबाद इस प्रकार का प्रशिक्षण देने वाले विश्व के अग्रणी संस्थानों में एक माना जाता है। २०१५ ई. में इस संस्थान ने एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है।

अगले पाठ में हम प्रसार माध्यमों और उनके इतिहास की जानकारी प्राप्त करेंगे।



१. (अ) दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए ।

(१) चित्रकला और शिल्पकला का में समावेश होता है ।

- (अ) दृश्य कला (ब) ललित कला
(ब) लोक कला (क) अभिजात कला

(२) मथुरा शिल्पशैली का उदय के शासनकाल में हुआ ।

- (अ) कुषाण (ब) गुप्त
(क) राष्ट्रकूट (ड) मौर्य

(ब) निम्न से असत्य जोड़ी में सुधार कर पुनः लिखिए ।

- (१) कुतुबमीनार - मेहरौली
(२) गोलगुंबज - बीजापुर
(३) छत्रपति शिवाजी महाराज रेल टर्मिनस - दिल्ली
(४) ताज महल - आगरा

२. निम्न अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए ।

- (१) कला (२) हेमाङ्गपंती शैली
(३) मराठा चित्रशैली

३. निम्न कथनों को कारणसहित स्पष्ट कीजिए ।

- (१) कला के इतिहास का गहन अध्ययन करने वाले तर्कों की आवश्यकता होती है ।
(२) चित्रकला जैसी विलुप्त होती जा रही परंपरा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है ।

४. निम्न प्रश्नों के उत्तर २५ से ३० शब्दों में लिखिए ।

- (१) लोक शिल्पकला की जानकारी लिखिए ।

(२) गांधार शिल्पशैली की जानकारी लिखिए ।

५. निम्न सारिणी पूर्ण कीजिए ।

मंदिर स्थापत्य शैली	नागर	द्राविड़	हेमाङ्गपंती
विशेषताएँ			
उदाहरण			

६. निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए ।

- (१) लोक चित्रकला शैली के विषय में विस्तार में जानकारी लिखिए ।
(२) भारत की मुस्लिम स्थापत्य शैली की सोदाहरण विशेषताएँ लिखिए ।
(३) कला क्षेत्र में व्यवसाय के कौन-कौन-से अवसर उपलब्ध हैं; इसे स्पष्ट कीजिए ।
(४) पृष्ठ क्र. २३ पर दिए गए चित्र का निरीक्षण कीजिए और निम्न मुद्दों के आधार पर वारली चित्रकला के विषय में जानकारी लिखिए ।
(अ) प्रकृति का चित्रण
(ब) मानवाकृतियों का आरेखन
(क) व्यवसाय (ड) मकान

उपक्रम

- (१) यूनेस्को द्वारा घोषित भारत के विश्व विरासत स्थानों की अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए ।
(२) आपके परिसर में मूर्तियाँ बनाने वाले मूर्तिकारों के कार्यों का निरीक्षण कीजिए और उनसे साक्षात्कार कीजिए ।



५. प्रसार माध्यम और इतिहास

५.१ प्रसार माध्यमों का परिचय

५.२ प्रसार माध्यमों का इतिहास

५.३ प्रसार माध्यमों की आवश्यकता

५.४ प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होनेवाली जानकारी का विश्लेषणात्मक आकलन

५.५ संबंधित व्यावसायिक क्षेत्र

विचार करें

मुगल शासनकाल में बिहार में अकाल पड़ने पर अकाल का समाचार दिल्ली में किस प्रकार पहुँचता होगा ? फिर उस समाचार पर विचार-विमर्श होकर दिल्ली मुगल शासक जो उपाय योजना करते होंगे; वह उपाय योजना बिहार में पहुँचने के लिए कितना समय लगता होगा ?

५.१ प्रसार माध्यमों का परिचय

‘प्रसार माध्यम’ शब्द ‘प्रसार’ और ‘माध्यम’ इन दो शब्दों से बना है। प्रसार का अर्थ दूर तक पहुँचना होता है। हम किसी जानकारी को किसी माध्यम की सहायता से दूर तक पहुँचा सकते हैं। पहले किसी राजा को यदि कोई समाचार पूरे राज्य को देना हो तो उसके लिए कई दिन लग जाते थे। पहले गाँव-गाँव में मुनादी की जाती थी। एक-से-दूसरे आदमी तक, दूसरे-से-तीसरे आदमी तक; इस प्रकार समाचार की यात्रा चलती थी।

५.२ प्रसार माध्यमों का इतिहास

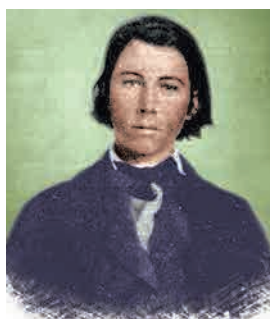
भारत में अंग्रेजों के आने के पश्चात मुद्रणकला और समाचारपत्रों का प्रारंभ हुआ। समाचारपत्रों के कारण छोटे समाचार सर्वत्र पहुँचने में सहायता प्राप्त होने लगी। समाचारपत्र सूचना और ज्ञान प्रसार का साधन बना।

समाचारपत्र : ‘समाचारपत्र’ उस प्रकाशन को कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से समाचार, संपादकीय लेख, लोगों के विचार, विज्ञापन, मनोरंजक और

अन्य पूरक पठनीय सामग्री का समावेश रहता है तथा जो नियत समय पर और नियमित रूप से छपकर वितरित किया जाता है।

समाचारपत्र स्थानीय, देशांतर्गत तथा विश्व स्तर के विभिन्न समाचार पहुँचाने का कार्य करते हैं। वर्तमान घटित घटनाओं को अंकित करने वाला समाचारपत्र अर्थात् एक ऐतिहासिक दस्तावेज ही है।

समाचारपत्रों का पूर्वरूप : इजिप्त में ईसा पूर्व कालखंड में सरकारी आदेशों के उकेरे हुए शिलालेख सार्वजनिक स्थानों पर लगा रखते थे। प्राचीन रोमन साम्राज्य में सरकारी आदेश कागज पर लिखकर वे कागज अलग-अलग प्रांतों में वितरित किए जाते थे। इसमें देश और राजधानी में घटित घटनाओं की जानकारी का समावेश रहता था। जूलियस सीजर के आधिपत्य में ‘एक्टा डाइर्ना’ (डेली एक्ट-प्रतिदिन की घटनाएँ) नामक समाचारपत्र रोम में सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाते थे। सरकारी निवेदनों/ज्ञापनों को लोगों तक पहुँचाने का वह एक प्रभावी माध्यम था। सातवीं शताब्दी में चीन में सरकारी निवेदनों/ज्ञापनों को सार्वजनिक स्थानों पर बाँटा जाता था। इंग्लैंड में युद्धों अथवा महत्वपूर्ण घटनाओं के पर्व बीच-बीच में वितरित किए जाते थे। धर्मशालाओं-सरायों में रुकने वाले यात्री और घुमक्कड़ वहाँ के स्थानीय लोगों को दूर के समाचार चटपटे बनाकर बताया करते थे। राजाओं के प्रतिनिधि विभिन्न स्थानों पर हुआ करते थे। वे ताजा समाचार राजदरबार में भेजा करते थे।



जेम्स ऑगस्टस हिकी

बेंगॉल गजट : भारत में पहला अंग्रेजी समाचारपत्र २९ जनवरी १७८० ई. को प्रारंभ हुआ। ‘कोलकाता

जनरल एडवर्टाइजर' अथवा 'बेंगॉल गजट' के नाम से वह जाना जाता था। इसे जेम्स ऑगस्ट हिकी इस आइरिश व्यक्ति ने शुरू किया।

दर्पण : 'दर्पण' समाचारपत्र १८३२ ई. में मुंबई में प्रारंभ हुआ। बालशास्त्री जांभेकर 'दर्पण' के संपादक थे।

सूची बनाइए

स्वतंत्रतापूर्व समय में कुछ प्रमुख नेताओं तथा उनके द्वारा प्रारंभ किए गए समाचारपत्रों की सूची बनाइए।



बालशास्त्री जांभेकर

'दर्पण' के संस्करण में अंकित समाचारों द्वारा हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास प्राप्त होता है। जैसे - (१) कंपनी सरकार के तीन इलाकों की आय-व्यय की सूची। (२) इस देश पर रुसियों का आक्रमण होने की आशंका (३) शहर स्वच्छ रखने के लिए समिति की स्थापना। (४) हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह। (५) कोलकाता में थिएटर की शुरुआत। (६) राजा राममोहन रॉय का इंग्लैंड में कार्य। इसके आधार पर तत्कालीन परिस्थिति पर प्रकाश पड़ता है।



क्या, आप जानते हैं ?

प्रथम मराठी समाचारपत्र 'दर्पण' के संपादक के नाते बालशास्त्री जांभेकर को आदि अथवा आद्य संपादक कहा जाता है। ६ जनवरी को उनका जन्मदिन होता है। अतः उनके जन्मदिन को 'पत्रकार दिवस' के रूप में महाराष्ट्र में मनाया जाता है।

प्रभाकर : इस समाचारपत्र को भाऊ महाजन ने प्रारंभ किया। उसमें फ्रांस की राज्यक्रांति का इतिहास (फ्रांस की राज्यक्रांति), लोकहितवादी (गोपाल हरि देशमुख) के सामाजिक पुनर्जागरण पर लिखे हुए 'शतपत्रे' (सौ पत्र) प्रकाशित हुए।

ज्ञानोदय : 'ज्ञानोदय' समाचारपत्र में १८४२ ई. में एशिया महाद्वीप का और १८५१ ई. में 'यूरोप का मानचित्र' छापे गए। मराठी समाचारपत्र में प्रथम चित्र छापने का सम्मान ज्ञानोदय को प्राप्त है। बिजली की सहायता से समाचार पहुँचाने का यंत्र अर्थात् टेलीग्राफ का प्रारंभ १८५२ ई. में हुआ; यह जानकारी ज्ञानोदय द्वारा प्राप्त होती है। भारत में पहली रेल चली; यह समाचार ज्ञानोदय में 'चाक्या म्हसोबा' शीर्षक से छपा था। इसी समाचारपत्र में १८५७ के राष्ट्रीय विद्रोह के समाचार छपे थे।

समाचारपत्र सामाजिक पुनर्जागरण का कार्य करने वाला महत्त्वपूर्ण माध्यम था। जैसे 'इंदुप्रकाश' समाचारपत्र ने विधवा विवाह का जोरदार समर्थन किया। बहुजन समाज का मुखपत्र 'दीनबंधु' कृष्णराव भालेकर जो महात्मा जोतीराव फुले के सहकारी थे; उन्होंने प्रारंभ किया। इस समाचारपत्र द्वारा हमें बहुजन समाज की समकालीन परिस्थिति का बोध होता है।



करके देखें-

कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी किसी एक समाचार की कतरन लाकर उसकी कॉपी बनाएगा।

केसरी और मराठा : स्वतंत्रतापूर्व समय के भारतीय समाचारपत्रों के इतिहास में महत्त्वपूर्ण चरण के रूप में 'केसरी' और 'मराठा' समाचारपत्रों का उल्लेख किया जाता है। ये समाचारपत्र १८८१ ई. में गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किए। इन समाचारपत्रों द्वारा तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को वाणी प्रदान की गई। 'देश की दशा, देशभाषा में लिखे गए ग्रंथ और विलायत की राजनीति' इन विषयों के आनुषंगिक रूप से केसरी ने लिखना प्रारंभ किया।

इक्कीसवीं शताब्दी में समाचारपत्र लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में भूमिका निभा रहे हैं।

पत्र-पत्रिकाएँ : निश्चित समयावधि में प्रकाशित

होनेवाले मुद्रित साहित्य को पत्रिका कहते हैं। इसमें साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, षण्मासिक, वार्षिक पत्रिका का समावेश होता है। इसके अतिरिक्त और एक प्रकार है; वह है अनियतकालिक पत्रिका। अनियतकालिक पत्रिकाओं के प्रकाशन का निश्चित समय नहीं होता है।



करके देखें-

आधुनिक समय में अनेक समाचारपत्रों ने तकनीकी विज्ञान का उपयोग कर अपने ई-संस्करण प्रारंभ किए हैं। ये ई-संस्करण पाठकों द्वारा बड़ी मात्रा में पढ़े जाते हैं।

शिक्षकों की सहायता से ई-समाचारपत्र किस प्रकार पढ़ने चाहिए; इसे समझ लीजिए।

बालशास्त्री जांभेकर ने मराठी भाषा में प्रथम मासिक पत्रिका 'दिग्दर्शन' शुरू की। यदि पत्र-पत्रिकाओं का विचार करें तो 'प्रगति' (१९२९ ई.) साप्ताहिक पत्रिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके संपादक त्र्यंबक शंकर शेजवलकर थे। उन्होंने 'प्रगति' में इतिहासशास्त्र, महाराष्ट्र का इतिहास और सामाजिक आंदोलन आदि विषयों पर विपुल लेखन कार्य किया।

वर्तमान समय में भारतीय इतिहास से संबंधित अनेक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। जैसे- मराठी भाषा में 'भारतीय इतिहास आणि संस्कृति', 'मराठवाड़ा इतिहास परिषद् पत्रिका' आदि।

चलिए... खोजेंगे

ऊपरी उदाहरणों के अतिरिक्त महाराष्ट्र और केंद्र स्तर पर इतिहास के अनुसंधान/शोधकार्य से संबंधित संस्थान और विश्वविद्यालय मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित करते हैं। अंतरजाल की सहायता से उनकी खोज कीजिए।

वेब पत्रकारिता : अत्याधुनिक पत्र-पत्रिकाओं में 'वेब पत्रकारिता' वर्ग में प्रकाशित होने वाली पत्र-पत्रिकाओं का समावेश होता है। इसमें भी मुख्य विषय के रूप में 'इतिहास' ही होता है। वेब न्यूज पोर्टल्स, सोशल मीडिया, वेब चैनल्स, यू ट्यूब पर अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में पाठकों और दर्शकों के लिए पठनीय सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

आकाशवाणी : स्वतंत्रतापूर्व समय में १९२४ ई. में 'इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी' (आईबीसी) नाम से प्रतिदिन कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाला एक निजी रेडियो केंद्र प्रारंभ हुआ। बाद में अंग्रेज सरकार ने इस कंपनी का 'इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी' (आईएसबीएस) नामकरण किया।



८ जून १९३६ ई. को इस कंपनी का नामकरण 'ऑल इंडिया रेडियो' (एआईआर) हुआ।

भारत स्वतंत्र होने के पश्चात AIR भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण विभाग का एक अंग बना। इसका प्रारंभिक स्वरूप सरकारी कार्यक्रमों और उपक्रमों की जानकारी देने वाला अधिकृत केंद्र था। विख्यात कवि पंडित नरेंद्र शर्मा के सुझाव पर इसे 'आकाशवाणी' नाम दिया गया। आकाशवाणी द्वारा विविध मनोरंजनपर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी तरह; किसान, मजदूर, युवा वर्ग और महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। लोकप्रिय रेडियो सेवा 'विविधभारती' द्वारा २४ भाषाओं और १४६ बोली भाषाओं में कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। वर्तमान समय में निजी रेडियो सेवाएँ शुरू हुई हैं। जैसे-रेडियो मिरची।



क्या, आप जानते हैं ?

भारत में पहला 'न्यूज बुलेटिन' २३ जुलाई १९२७ ई. को मुंबई रेडियो केंद्र से प्रसारित किया गया। इसके बाद कोलकाता से बांग्ला भाषा में समाचारों का प्रसारण प्रारंभ हुआ।

दूरदर्शन : १५ सितंबर १९५९ ई. को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 'दिल्ली दूरदर्शन केंद्र' का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र में १ मई १९७२ ई. को मुंबई केंद्र के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। १५ अगस्त १९८२ ई. को रंगीन दूरदर्शन का आगमन हुआ। १९९१ ई. में विदेशी और देशी निजी चैनलों को केबल तकनीक का उपयोग कर कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति प्रदान की गई। आज भारतीय दर्शकों के लिए सौ से अधिक चैनल उपलब्ध हैं।

५.३ प्रसार माध्यमों की आवश्यकता

किसी भी जानकारी को मुक्त रूप में समाज में फैलाने अथवा प्रसारित करने हेतु प्रसार माध्यमों की आवश्यकता होती है। संपादकीय लेख, विविध स्तंभ, संस्करण समाचारपत्र के अभिन्न अंग होते हैं। पाठकों के पत्र स्तंभ द्वारा पाठक भी अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। समाचारपत्र लोकतंत्र को अधिकाधिक सशक्त बनाने में सहयोग दे सकते हैं।

दूरदर्शन दृश्य-श्रव्य माध्यम है। अतः उसने समाचारपत्र और आकाशवाणी की सीमाओं को लाँघकर जनता को 'सचमुच क्या हुआ है?' यह दिखाना प्रारंभ किया। जनता के लिए किसी घटना का 'आँखों देखा हाल' जानने-देखने के लिए दूरदर्शन का अन्य कोई विकल्प नहीं है।



करके देखें-

वर्तमान समय में विविध दूरदर्शन (टी.वी.) के चैनलों की जानकारी अपने मित्रों के समूह में समूहकार्य के रूप में लिखिए।

५.४ प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषणात्मक आकलन

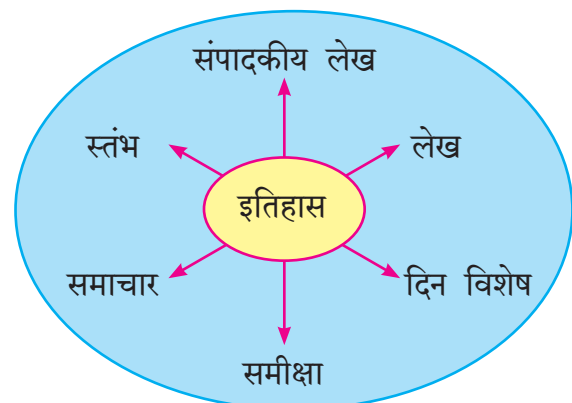
प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषणात्मक आकलन कर लेना होता है। हर बार समाचारपत्र द्वारा हम तक पहुँचने वाली जानकारी वास्तविकता अथवा सच्चाई के आधार पर होगी ही; यह आवश्यक नहीं है। हमें उसकी जाँच-

पड़ताल करनी पड़ती है। अनधिकृत समाचार प्रकाशित होने का एक विश्वविख्यात उदाहरण है। 'स्टर्न' नाम के एक जर्मन साप्ताहिक पत्रिका ने एडॉल्फ हिटलर की लिखावट में लिखी अनेक दैनंदिनियाँ खरीदीं और उन्हें अन्य प्रकाशन कंपनियों को बेचा। हिटलर की तथाकथित हस्तलिखित दैनंदिनी बरामद होने का समाचार प्रकाशित हुआ परंतु कालांतर में यह सिद्ध हुआ कि वे दैनंदिनियाँ जाली थीं। अतः प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी का उपयोग करते समय सावधानी रखनी पड़ती है।

५.५ संबंधित व्यावसायिक क्षेत्र

समाचारपत्रों को प्रतिदिन के ताजा समाचार पाठकों तक पहुँचाने होते हैं। यह कार्य करते समय 'समाचार के पीछे के समाचार' बताने पड़ते हैं। किसी समाचार की विस्तार में समीक्षा करते समय यदि विगत समय में इसी प्रकार की कोई घटना अन्यत्र घटी थी तो समाचारपत्र उसे समाचार के बीच में चौखट में छापते हैं। परिणामस्वरूप पाठकों को अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होती है और उस घटना की जड़ तक पहुँचना आसान हो जाता है।

समाचारपत्रों के अलग-अलग स्तंभों में पचास वर्ष पूर्व, सौ वर्ष पूर्व जैसे स्तंभ होते हैं। वे इतिहास के साधन होते हैं और इतिहास पर आधारित होते हैं। ऐसे स्तंभों द्वारा हमें भूतकाल में घटित आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक घटनाओं का बोध होता है। भूतकाल की पृष्ठभूमि में वर्तमान समय को समझने में सहायता प्राप्त होती है।



समाचारपत्रों को विशेष अवसरों पर संस्करण अथवा विशेषांक निकालने पड़ते हैं। जैसे-१९१४ ई. में प्रथम विश्वयुद्ध प्रारंभ हुआ। इस घटना को २०१४ ई. में १०० वर्ष पूरे हुए। इस युद्ध की समग्र समीक्षा करने वाला संस्करण निकालते समय उस घटना का इतिहास ज्ञात होना आवश्यक होता है। १९४२ ई. के 'भारत छोड़ो' आंदोलन को २०१७ ई. में ७५ वर्ष पूर्ण हुए। ऐसे अवसरों पर समाचारपत्र लेख, संपादकीय लेख, दिनविशेष, समीक्षा द्वारा उस घटना को दोहराया जाता है। ऐसे समय इतिहास का अध्ययन उपयोगी सिद्ध होता है।



करके देखें-

वर्ग पहेली के लिए भी समाचारपत्र इतिहास की सहायता लेते हैं। आप भी अलग-अलग प्रकार की वर्ग पहेलियाँ तैयार कर सकते हैं। जैसे-किलों और गढ़ों के नाम।

आकाशवाणी के लिए भी इतिहास महत्वपूर्ण विषय है। जैसे - १५ अगस्त १९४७ अथवा उसके पश्चात स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा किए गए भाषण आकाशवाणी के संग्रह में हैं और समकालीन स्थिति को समझने के लिए उन भाषणों का उपयोग होता है।

समझ लें

१९४२ ई. के आंदोलन में भूमिगत रेडियो केंद्रों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई; उसकी जानकारी शिक्षकों की सहायता से प्राप्त कीजिए।

कुछ विशेष अवसरों पर आकाशवाणी को इतिहास के अध्येताओं की आवश्यकता अनुभव होती है। राष्ट्रीय नेताओं का जन्मदिन अथवा

पुण्यतिथि, किसी ऐतिहासिक घटना को १ वर्ष, २५ वर्ष, ५० वर्ष, १०० वर्ष पूर्ण होने पर अथवा इसी क्रम में अधिक वर्ष पूर्ण होने पर उसकी चर्चा करने के लिए उस घटना की जानकारी की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय नेताओं के कार्यों पर वक्तव्य देने के लिए वक्ताओं को इतिहास की सहायता लेनी पड़ती है। आकाशवाणी पर भी दिन विशेष कार्यक्रम प्रसारित होते हैं।

दूरदर्शन और इतिहास का घनिष्ठ संबंध है। इतिहास के प्रति रुचि और जागरूकता निर्माण करने का महत्वपूर्ण कार्य दूरदर्शन और अन्य चैनल करते हैं। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित रामायण, महाभारत जैसे पौराणिक धारावाहिकों तथा भारत-एक खोज, राजा शिवछत्रपति जैसे ऐतिहासिक धारावाहिकों ने बहुत बड़े दर्शक वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया। रामायण-महाभारत जैसे धारावाहिकों का निर्माण करते समय तत्कालीन वातावरण, वेशभूषा, शस्त्र-अस्त्र, रहन-सहन, भाषा के विषय में तज्ञों की आवश्यकता होती है। इसके लिए इतिहास का सूक्ष्मता से अध्ययन करना पड़ता है।

आधुनिक समय में डिस्कवरी, नैशनल जियोग्राफी, हिस्ट्री जैसे चैनलों पर प्रसारित होने वाले धारावाहिकों द्वारा विश्व भर के इतिहास का कोष दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। उसके द्वारा लोग विश्व के इतिहास और भूगोल को घर बैठे समझ सकते हैं। इन धारावाहिकों को अधिक रोचक बनाने के लिए कई बार इतिहास के चुनिंदा प्रसंगों को चरित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे-पराक्रमी स्त्री-पुरुष, खिलाड़ी, सेनानी आदि। इसके अतिरिक्त वास्तु, किलों-गढ़ों, साम्राज्यों का उदय और अस्त। यही नहीं अपितु लोग पाककला के इतिहास पर आधारित धारावाहिक भी बड़े कौतूहल से देखते हैं।

उपर्युक्त सभी क्षेत्रों के लिए इतिहास के गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है।

समझ लें

भारत के प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास के संदर्भ में दूरदर्शन द्वारा प्रसारित 'भारत - एक खोज' धारावाहिक महत्वपूर्ण है। यह धारावाहिक पंडित नेहरू की 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' पुस्तक पर आधारित था। श्याम बेनेगल ने इसका निर्देशन किया था। इस धारावाहिक द्वारा प्राचीन कालखंड से लेकर आधुनिक कालखंड का सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास प्रस्तुत किया गया। यह धारावाहिक सूक्ष्म अनुसंधान और प्रस्तुति के स्तर पर रोचक सिद्ध हुआ।

इस धारावाहिक द्वारा हड़प्पा संस्कृति, वैदिक कालखंड, रामायण-महाभारत का अन्वयार्थ,

मौर्य कालखंड, तुर्कियों-अफगानियों और मुगलों के आक्रमण, मुगलों का कालखंड और मुगल शासकों का योगदान, भक्ति आंदोलन, छत्रपति शिवाजी महाराज का कार्य, समाजसुधार के आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम जैसी अनेक घटनाओं को प्रस्तुत किया गया।

इस धारावाहिक में नाट्य, लोककला, जागरणपर जानकारी की सहायता से नेहरू के रूप में कलाकार रोशन सेठ प्रस्तावना करते और अन्वयार्थ बताते। इतिहास की ओर पंडित नेहरू का देखने का दृष्टिकोण और उसकी प्रभावशाली प्रस्तुति के फलस्वरूप यह धारावाहिक संपूर्ण भारत में प्रशंसा का पात्र बना।



स्वाध्याय

१. (अ) दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए।

- (१) भारत में पहला अंग्रेजी समाचारपत्र ने प्रारंभ किया।
(अ) जेम्स ऑगस्टस हिकी
(ब) सर जॉन मार्शल (क) एलन ह्यूम
- (२) दूरदर्शन माध्यम है।
(अ) दृश्य (ब) श्रव्य
(क) दृश्य-श्रव्य

(ब) निम्न में से असत्य जोड़ी में सुधार करें और पुनः लिखिए।

- (१) प्रभाकर - आचार्य प्र.के.अत्रे
(२) दर्पण - बालशास्त्री जांभेकर
(३) दीनबंधु - कृष्णराव भालेकर
(४) केसरी - बाल गंगाधर तिलक

२. टिप्पणी लिखिए।

- (१) स्वतंत्रता संग्राम में समाचारपत्रों का योगदान
(२) प्रसार माध्यमों की आवश्यकता
(३) प्रसार माध्यमों से संबंधित व्यावसायिक क्षेत्र

३. निम्न कथन कारणसहित स्पष्ट कीजिए।

- (१) प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषणात्मक आकलन करना पड़ता है।
(२) समाचारपत्रों को इतिहास विषय की आवश्यकता अनुभव होती है।
(३) सभी प्रसार माध्यमों में दूरदर्शन अत्यंत लोकप्रिय माध्यम है।

४. निम्न प्रश्नों के उत्तर २५ से ३० शब्दों में लिखिए।

- (१) समाचारपत्रों के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए।
(२) आकाशवाणी के लिए इतिहास विषय किस प्रकार महत्वपूर्ण है? इसे स्पष्ट कीजिए।

५. निम्न अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

आकाशवाणी : स्वतंत्रतापूर्व समय में १९२४ ई. में 'इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी' (आईबीसी) नाम से प्रतिदिन कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाला एक निजी रेडियो केंद्र प्रारंभ हुआ। बाद में अंग्रेज सरकार ने इस कंपनी का 'इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेस' (आईएसबीएस) नामकरण किया। ८ जून १९३६ ई. को इस कंपनी का नामकरण 'ऑल इंडिया रेडियो' (एआईआर) हुआ।

भारत स्वतंत्र होने के पश्चात AIR भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण विभाग का एक अंग बना । इसका प्रारंभिक स्वरूप सरकारी कार्यक्रमों और उपक्रमों की जानकारी देने वाला अधिकृत केंद्र था। विख्यात कवि पंडित नरेंद्र शर्मा के सुझाव पर इसे 'आकाशवाणी' नाम दिया गया । आकाशवाणी द्वारा विविध मनोरंजनपर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं । इसी तरह; किसान, मजदूर, युवा वर्ग और महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं । लोकप्रिय रेडियो सेवा 'विविधभारती' द्वारा २४ भाषाओं और १४६ बोली भाषाओं में कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं । वर्तमान समय में निजी रेडियो सेवाएँ शुरू हुई हैं । जैसे-रेडियो मिरची ।

- (१) आकाशवाणी का समावेश किस विभाग के अंतर्गत होता है ?
- (२) IBC का बाद में नामकरण क्या हुआ ?
- (३) विविधभारती द्वारा कितनी भाषाओं और बोली भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं ?
- (४) आकाशवाणी नाम कैसे मिला ?

६. संकल्पनाचित्र बनाइए ।

	समाचारपत्र	आकाशवाणी	दूरदर्शन
प्रारंभ/ पृष्ठभूमि			
जानकारी का/ कार्यक्रमों का स्वरूप			
कार्य			

उपक्रम

तुमने देखे हुए किसी ऐतिहासिक धारावाहिक का समीक्षण कीजिए ।



६. मनोरंजन के माध्यम और इतिहास

- ६.१ मनोरंजन की आवश्यकता
- ६.२ लोकनाट्य
- ६.३ मराठी रंगमंच
- ६.४ भारतीय फिल्म जगत
- ६.५ मनोरंजन क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर

मन को बहलाने वाली बातें अर्थात मनोरंजन के साधन । मनोरंजन में अलग-अलग शौक-रुचियाँ, खेल, नाटक-फिल्म आदि मनोरंजन के साधन, लिखना-पढ़ना जैसी आदतों आदि का अंतर्भाव होता है ।

६.१ मनोरंजन की आवश्यकता

व्यक्ति की स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए विशुद्ध और उत्तम श्रेणी का मनोरंजन बहुत महत्वपूर्ण होता है । एक ही ढर्रे पर जीवन जीते-जीते जो ऊब और उकताहट पैदा होती है; मनोरंजन उसे दूर कर मन में चेतना, ताजगी तथा शरीर में शक्ति और स्फूर्ति का निर्माण करता है । अपनी रुचि/शौक अथवा खेलों में वृद्धि करने से व्यक्तित्व का विकास होता है । भारत में प्राचीन और मध्ययुग में उत्सव-पर्व, तीज-त्योहार, खेल, नाच-गाना आदि मनोरंजन के साधन थे ।

वर्तमान समय में मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध हैं ।

सूची बनाएँ-

मनोरंजन के विविध प्रकार बताकर उनका वर्गीकरण कीजिए ।

मनोरंजन का वर्गीकरण दो प्रकारों में किया जा सकता है । कृतियुक्त और कृतिमुक्त । कृतियुक्त मनोरंजन से तात्पर्य किसी कृति अथवा कार्य में उस व्यक्ति का प्रत्यक्ष शारीरिक-मानसिक सहभाग रहता है । हस्तव्यवसाय, खेल ये कृतियुक्त मनोरंजन के

उदाहरण हैं ।

जब हम किसी खेल का मैच देखते हैं, संगीत सुनते हैं, फिल्म देखते हैं तब ये कृतियाँ कृतिमुक्त स्तर पर रहती हैं । इन कृतियों में हम मात्र दर्शक होते हैं ।



करके देखें-

इतिहास विषय से संबंधित कृतियुक्त और कृतिमुक्त मनोरंजन की सारिणी तैयार कीजिए ।

६.२ लोकनाट्य

कठपुतलियों का खेल : मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा, ग्रीक (यूनान) और इजिप्त में हुए उत्खनन में मिट्टी की पुतलियों, मूर्तियों के अवशेष पाए गए हैं । उनका



कठपुतलियों का खेल

कठपुतलियों की तरह उपयोग किए जाने की संभावना है । इसके आधार पर यह ध्यान में आता है कि यह खेल प्राचीन है । इस खेल का पंचतंत्र और महाभारत में उल्लेख मिलता है ।

प्राचीन भारत में ये कठपुतलियाँ बनाने के लिए लकड़ी, ऊन, चमड़ा, सींगों और हाथी के दाँतों का उपयोग किया जाता था । इस खेल की दो पद्धतियाँ -राजस्थानी और दक्षिणी हैं ।

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल राज्यों में कठपुतली का खेल दिखाने वाले कलाकार हैं। कठपुतली का खेल प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सूत्रधार के बोलने का कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसमें छोटा रंगमंच, प्रकाश व्यवस्था और ध्वनि का सटीक और सूचक उपयोग करते हैं। इसके छाया-कठपुतली, हथ-कठपुतली, काष्ठ-कठपुतली और सूत्र-कठपुतली प्रकार हैं।

दशावतारी नाटक : दशावतारी नाटक महाराष्ट्र के लोकनाट्य का एक भेद है। फसल के कटने के बाद कोंकण और गोआ में दशावतारी नाटकों को खेला जाता है। दशावतारी नाटक मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्की इन दस अवतारों पर आधारित होते हैं। सबसे पहले नाटक का सूत्रधार विघ्नहर्ता गणेश जी का आवाहन करता है।

दशावतारी नाटक के पात्रों का अभिनय, रंगभूषा, वेशभूषा पारंपरिक होती है। नाटक का अधिकांश हिस्सा काव्यात्मक होता है। कुछ संवाद पात्र स्वयं अपनी ओर से बोलते हैं। देवताओं के लिए लकड़ी के मुखौटे उपयोग में लाते हैं। नाटक की समाप्ति हांडी फोड़कर दही तथा अन्य सामग्री बाँटकर और आरती उतारकर होती है।



दशावतारी नाटक

१८ वीं शताब्दी में श्याम जी नाईक काले ने दशावतारी नाटक दिखाने वाली एक मंडली स्थापित की थी। उस मंडली को लेकर वे पूरे महाराष्ट्र में घूमते थे।

विष्णुदास भावे ने दशावतारी नाट्य तकनीक को संस्कारित करके अपने पौराणिक नाटक प्रस्तुत किए। फलस्वरूप मराठी नाटक की पूर्वपीठिका दशावतारी नाटकों तक पहुँचती है।

भजन : करताल, मृदंग अथवा पखावज आदि वाद्यों के साथ ईश्वर के गुणों का वर्णन और नाम स्मरण के रूप में पद्य रचनाओं का गायन करना भजन कहलाता है। भजन के दो प्रकार - चक्री भजन और सोंगी (स्वांग भरना) भजन हैं।

चक्री भजन : बिना रुके चक्राकार रूप में घूमते हुए भजन गाना।

सोंगी (स्वांग भरते हुए) भजन : देवभक्तों की भूमिका निभाते हुए संवाद रूप में भजन गाना।

वर्तमान समय में संत तुकड़ोजी महाराज ने 'खंजिरी (खंजड़ी) भजन' को बहुत लोकप्रिय बनाया।

उत्तर भारत में संत तुलसीदास, महाकवि सूरदास, संत मीराबाई और संत कबीर के भजन प्रसिद्ध हैं।



करके देखें-

संत तुलसीदास, संत सूरदास, संत मीराबाई और संत कबीर के भजन सुनिए और उन्हें संगीत शिक्षकों अथवा जानकारों की सहायता से समझ लीजिए।

कर्नाटक में पुरंदरदास, कनकदास, विजयदास, बोधेंद्रगुरु स्वामी, त्यागराज आदि की रचनाओं को भजन स्वरूप में गाया जाता है।

गुजरात में संत नरसी मेहता ने भक्ति संप्रदाय को प्रोत्साहन दिया। महाराष्ट्र में संत नामदेव ने वारकरी पंथ के माध्यम से भजन-कीर्तन को प्रेरित किया। वारकरी संप्रदाय ने नाम स्मरण के रूप में भजन को महनीय बना दिया।

कीर्तन : परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कीर्तन परंपरा के आदि प्रवर्तक नारदमुनि थे। संत नामदेव महाराष्ट्र के आदि कीर्तनकार माने जाते हैं। उनके बाद अन्य संतों ने इस परंपरा का प्रसार किया।

कीर्तनकार को हरिदास अथवा कथेकरीबुवा

(कथावाचक) कहते हैं । कीर्तनकार को वेशभूषा, विद्वत्ता, वक्तृत्व, गायन, वादन, नृत्य, चुटकुलेबाजी का ध्यान रखना पड़ता है । उसके स्वभाव में बहु-श्रुतता का गुण होना आवश्यक होता है । कीर्तन मंदिर में अथवा मंदिर के परिसर में किया जाता है ।

मालूम कर लें

कीर्तन की नारदीय अथवा हरिदासी और वारकरी ये दो मुख्य परंपराएँ हैं । हरिदासी कीर्तन एकपात्रीय नाट्य प्रस्तुति जैसा होता है । इस कीर्तन में 'पूर्वरंग' और 'उत्तररंग' ये दो हिस्से होते हैं । नमन, निरूपण का अभंग (पद) और उसके निरूपण को पूर्वरंग कहते हैं और उसके दृष्टांत अथवा उदाहरण के रूप में जो कोई आख्यान अथवा कहानी बताई जाती है; उसे उत्तररंग कहते हैं । वारकरी कीर्तन में सामूहिकता पर बल दिया जाता है । कीर्तनकारों के साथ करतालियों/झाँझियों का सहभाग भी महत्त्वपूर्ण होता है । स्वतंत्रता आंदोलन के समय में राष्ट्रीय कीर्तन के नाम से एक प्रकार उदित हुआ । यह कीर्तन नारदीय कीर्तन की तरह ही प्रस्तुत किया जाता है । इसमें स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित नेताओं, वैज्ञानिकों, समाज सुधारकों जैसे महान व्यक्तियों के चरित्रों के आधार पर सामाजिक पुनर्जागरण किए जाने पर बल दिया जाता है । इसका प्रारंभ वाई के दत्तोपंत पटवर्धन ने किया ।

इसके अतिरिक्त महात्मा जोतीराव फुले द्वारा संचालित सत्यशोधक समाज ने भी कीर्तन द्वारा सामाजिक जागृति का कार्य किया । संत गाडगे महाराज के कीर्तन सत्यशोधकवालों के कीर्तन से मेल रखते थे । वे अपने कीर्तनों द्वारा जातिभेद निर्मूलन, स्वच्छता, नशीले पदार्थों से मुक्ति जैसे विषयों पर जनजागरण का कार्य करते थे ।

ललित (लळित) : महाराष्ट्र में प्रचलित मनोरंजन का एक पुराना प्रकार ललित (लळित) है । इस प्रकार का समावेश नारदीय कीर्तन परंपरा में होता है । इसका कोंकण और गोआ में बहुत महत्त्व है ।

ललित (लळित) की प्रस्तुति में धार्मिक पर्व के अवसर पर उत्सवदेवी सिंहासन विराजमान हैं;

ऐसा मानकर उसकी प्रार्थना की जाती है । 'ज्याला जे हवे असेल त्याला ते मिळो । सगळा गाव आनंदाने पुढच्या लळितापर्यंत नांदो । आपापसांतले कलह लळितात मिटोत । कोणाच्याही मनात किल्मिष न उरो । निकोप मनाने व्यवहार चालोत । सदाचरणाने समाज वागो ।' प्रार्थना का स्वरूप इस प्रकार का होता है ।

ललित (लळित) को नाट्य प्रवेश की तरह प्रस्तुत किया जाता है । इसमें कृष्ण और रामकथा तथा भक्तों की कथाएँ बताई जाती हैं । कुछ ललित (लळित) हिंदी भाषा में भी हैं । आधुनिक मराठी रंगमंच को ललित (लळित) की पृष्ठभूमि प्राप्त है ।

भारुड : आध्यात्मिक और नैतिक सीख देने वाले मराठी के रूपकात्मक गीतों को भारुड कहते हैं । भारुड पथनाट्य (नुक्कड़ नाटक) की तरह प्रयोगशील होता है । महाराष्ट्र में संत एकनाथ के भारुड विविधता, नाट्यमयता, मनोविनोद और गेयता जैसे तत्त्वों के कारण लोकप्रिय हो गए । भारुडों को रचने के पीछे संत एकनाथ का उद्देश्य लोकशिक्षा था ।

तमाशा : 'तमाशा' शब्द मूलतः फारसी (पर्शियन) भाषा का शब्द है । इसका अर्थ मन अथवा चित्त को प्रसन्नता प्रदान करने वाला दृश्य होता है । विभिन्न लोककलाओं और अभिजात कलाओं की धाराओं को अपने में समेटकर अठारहवीं शताब्दी तक तमाशा विकसित हुआ । पारंपरिक तमाशा के दो प्रकार हैं—संगीत बारी और ढोलकी मंडली । संगीत बारी में नाट्य की अपेक्षा नृत्य और संगीत पर अधिक बल दिया जाता है । तमाशा में प्रमुखतः नृत्य-संगीत को स्थान था परंतु कालांतर में 'वग' इस नाट्यरूप अर्थात् नाटक का समावेश किया गया । यह वग अर्थात् नाटक उत्स्फूर्त हास-परिहास और चुटकुलेबाजी के आधार पर क्रमशः रोचक बनता जाता है । तमाशा के आरंभ में 'गण' अर्थात् गणेश वंदना की जाती है । इसके पश्चात् 'गवळण' (भगवान श्रीकृष्ण और राधा-गोपियों के बीच की छेड़छाड़ और क्रीड़ाएँ) प्रस्तुत की जाती हैं । तमाशा के दूसरे भाग में 'वग' अर्थात् मुख्य

नाटक प्रस्तुत किया जाता है। मराठी रंगमंच पर 'विच्छा माजी पुरी करा' और 'गाढवाचे लग्न' नाटकों ने बड़ी धूम मचाई। ये दोनों नाटक तमाशा के बदले हुए आधुनिक स्वरूप को दर्शाते हैं।

पोवाड़ा (कड़खा अथवा वीरगान) : यह गद्य-पद्य मिश्रित काव्य प्रस्तुति का प्रकार है। पोवाड़ा में वीर स्त्री-पुरुषों की वीरता और पराक्रम का आवेशयुक्त और स्फूर्तिदायी भाषा में कथन किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के अज्ञानदास कवि द्वारा रचित अफजल खान वध से संबंधित पोवाड़ा और तुलसीदास द्वारा रचित सिंहगढ़ युद्ध का पोवाड़ा प्रसिद्ध हैं।

अंग्रजों के शासनकाल में उमाजी नाईक, चाफेकर बंधु, महात्मा गांधी पर पोवाड़े रचे गए। संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में अमर शेख, अण्णाभाऊ साठे और गवाणकर जैसे शाहिरो (वीरगान लिखने एवं गाने वाले) द्वारा रचित पोवाड़ों ने महाराष्ट्र में धूम मचाई और पोवाड़ों के माध्यम से जागृति पैदा की गई।

६.३ मराठी रंगमंच

रंगमंच : व्यक्ति अथवा समूह द्वारा ललित कला को जहाँ प्रस्तुत किया जाता है; उस स्थान को रंगमंच अथवा रंगभूमि कहते हैं। ललित कला में कलाकार और दर्शक; इन दोनों का सहभाग आवश्यक रहता है। नाट्यकथा, नाट्यनिर्देशक, कलाकार, रंगभूषा, वेशभूषा, रंगमंच, नेपथ्य, प्रकाश योजना, नाटक का दर्शक और समीक्षक जैसे अनेक घटक रंगमंच से जुड़े रहते हैं। नाटक में नृत्य और संगीत का भी समावेश रह सकता है। प्रायः नाटक संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है परंतु कुछ नाटकों में मूक अभिनय भी होता है। इसे मूकनाट्य कहा जाता है।

छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महात्मा जोतीराव फुले, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के जीवन पर आधारित नाटकों की जानकारी प्राप्त कीजिए।

तंजौर के भोसले राजवंश ने मराठी और दक्षिणी भाषाओं के नाटकों को प्रोत्साहन दिया। इस राजवंश के राजाओं ने स्वयं नाटक लिखे तथा संस्कृत नाटकों का अनुवाद किया।

महाराष्ट्र के रंगमंच के विकास में १९ वीं शताब्दी का महत्त्वपूर्ण स्थान है। विष्णुदास भावे मराठी रंगमंच के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उनके द्वारा रंगमंच पर लाया गया 'सीता स्वयंवर' प्रथम नाटक है। विष्णुदास भावे के लिखे नाटकों के पश्चात महाराष्ट्र में ऐतिहासिक, पौराणिक नाटकों के साथ-साथ हल्के-फुल्के और प्रहसन स्वरूप के नाटक भी रंगमंच पर आए। इसमें रंजक और विनोदपूर्ण पद्धति से सामाजिक विषय प्रस्तुत किए जाते थे।

प्रारंभ में नाटकों की संहिता लिखित स्वरूप हुआ नहीं करती थी। कई बार उनमें गीत लिखे होते थे परंतु गद्य संवाद स्वयंस्फूर्ति से बोले जाते थे। १८६१ ई. में वि. ज. कीर्तने द्वारा लिखा 'थोरले माधवराव पेशवे' (ज्येष्ठ माधवराव पेशवा) वह प्रथम नाटक है; जिसकी संहिता मुद्रित स्वरूप में उपलब्ध हुई थी। इस नाटक के कारण संपूर्ण लिखित संहितावाले नाटकों की परंपरा प्रारंभ हुई।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर हिंदुस्तान के ख्याल संगीत को महाराष्ट्र में रचाने-बसाने का कार्य बालकृष्णबुवा इचलकरंजीकर ने किया। उनके बाद उस्ताद अल्लादिया खाँ, उस्ताद अब्दुल करीम खाँ और उस्ताद रहमत खाँ ने महाराष्ट्र के रसिकों में संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न की। इसका परिणाम यह हुआ कि संगीत रंगमंच का उदय हुआ। किल्लोस्कर मंडली नाटक कंपनी के संगीत नाटक लोकप्रिय हुए। उनमें अण्णासाहेब किल्लोस्कर के लिखे 'संगीत शाकुंतल' नाटक ने बहुत धूम मचाई। संगीत नाटकों में गोविंद बल्लाल देवल का लिखा 'संगीत शारदा' नाटक बहुत महत्त्वपूर्ण माना जाता है। नाटक में जरठकुमारी (वृद्ध का कुँआरी लड़की से विवाह) विवाह जैसी तत्कालीन अनिष्ट परंपरा पर हास्य-व्यंग्यात्मक रूप में परंतु पैनी आलोचना की थी। इसके अतिरिक्त श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर

का 'मूकनायक', कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर का लिखा 'संगीत मानापमान', राम गणेश गडकरी का लिखा 'एकच प्याला' (एक ही प्याला) नाटक रंगमंच के इतिहास में महत्वपूर्ण हैं।



क्या, आप जानते हैं ?

महाभारत महाकाव्य की घटना को लेकर खाडिलकर ने 'कीचकवध' नाटक लिखा। इसमें उन्होंने अंग्रेजों के साम्राज्यवाद की प्रतीकात्मक आलोचना की थी। कीचकवध की द्रौपदी से तात्पर्य अबला भारतमाता थीं। युधिष्ठिर से तात्पर्य नरम दल, भीम से तात्पर्य गरम दल और कीचक अर्थात् सत्तांध वाइसराय लॉर्ड कर्जन था। इस प्रकार रूपक खड़ा किया गया था और दर्शक इस नाटक को इसी रूपक में देखते थे। परिणामस्वरूप उनके मन में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रति आक्रोश उत्पन्न होता था।

मराठी रंगमंच की गिरती अवस्था में आचार्य अत्रे के 'साष्टांग नमस्कार', 'उदयाचा संसार' (कल का घर संसार), 'घराबाहेर' (घर के बाहर) जैसे लोकप्रिय नाटकों ने रंगमंच को सँभालने-सँवारने में सहायता की। वर्तमान समय में वसंत कानेटकर के लिखे 'रायगडाला जेव्हा जाग येते', 'इथे ओशाळला मृत्यू', विजय तेंडुलकर का लिखा 'घाशीराम कोतवाल', विश्राम बेडेकर का लिखा 'टिळक आणि आगरकर' आदि नए ढंग के नाटक प्रसिद्ध हैं।

विविध विषयों पर लिखे गए नाटकों तथा नाट्य प्रकारों में हुए आविष्कारों के कारण मराठी रंगमंच समृद्ध हुआ। नाट्य कलाकार के रूप में मुख्य रूप से गणपतराव जोशी, बालगंधर्व अर्थात् नारायणराव राजहंस, केशवराव भोसले, चिंतामणराव कोल्हटकर, गणपतराव बोडस आदि के नाम लिये जा सकते हैं। उनके मराठी नाटक खुले मैदान में खेले जाते थे। अंग्रेजों ने सब से पहले मुंबई में 'प्ले हाउस', 'रिपन', 'विक्टोरिया' नाट्यगृहों का निर्माण करवाया। उसके पश्चात धीरे-धीरे मराठी

नाटकों का मंचन बंद नाट्यगृहों में होने लगा।



क्या, आप जानते हैं ?

विख्यात साहित्यकार वि.वा.शिरवाडकर अर्थात् कुसुमाग्रज ने शेक्सपियर के 'किंग लियर' नाटक के आधार पर 'नटसम्राट' नाटक लिखा। यह नाटक बहुत चर्चित रहा। इस नाटक का त्रासदपूर्ण नायक गणपतराव बेलवलकर है। शिरवाडकर ने इस नायक पात्र का निर्माण बहुत पहले ख्यातिप्राप्त रह चुके श्रेष्ठ अभिनेता गणपतराव जोशी और नानासाहेब फाटक के व्यक्तित्वों में निहित अभिनय की रंगछटाओं का मिश्रण कर किया था।

६.४ भारतीय फिल्म जगत

फिल्म : फिल्म कलात्मकता और तकनीकी विज्ञान का समन्वय साधनेवाला माध्यम है। चलित फिल्मांकन की खोज होने पर फिल्म कला का जन्म हुआ। इसमें से गूँगी फिल्मों का युग प्रारंभ हुआ। कालांतर में ध्वनिमुद्रण (रेकॉर्डिंग) करना संभव हुआ और बोलने वाली फिल्मों का युग आया।



क्या, आप जानते हैं ?

फिल्मों के प्रकार - हास्य-व्यंग्यात्मक फिल्में, समाचारपर, जागृतिपर फिल्में, ख्यातिपर फिल्में, बालफिल्में, सैनिकीपर फिल्में, शैक्षिक फिल्में, कहानीप्रधान फिल्में आदि।

भारत में पूरी लंबाई की पहली फिल्म बनाने का और उसे प्रदर्शित करने का श्रेय महाराष्ट्र को प्राप्त है। 'भारतीय फिल्मों की जननी' के रूप में महाराष्ट्र की ख्याति है। भारतीय फिल्मों के विकास में मदनराव माधवराव चितले, कल्याण का पटवर्धन परिवार और हरिश्चंद्र सखाराम भाटवड़ेकर उर्फ सावेदादा का योगदान रहा है।

आगे चलकर निर्देशक गोपाल रामचंद्र अर्थात् दादासाहेब तोरणे और अ.प.करंदीकर, एस.एन. पाटणकर, वी.पी.दिवेकर ने विदेशी तकनीशियनों की



दादासाहेब तोरणे

सहायता से कहानीप्रधान फिल्म 'पुंडलिक' १९१२ ई. में मुंबई में दिखाई। १९१३ ई. में दादासाहेब फालके ने स्वयं निर्देशित और फिल्म निर्माण से संबंधित सभी प्रक्रियाएँ भारत में पूर्ण की हुई 'राजा हरिश्चंद्र' फिल्म

को मुंबई में प्रदर्शित किया। इस फिल्म के बाद उन्होंने मोहिनी-भस्मासुर, सावित्री-सत्यवान ये गूँगी फिल्में बनाई। साथ ही; वेरुल (एलोरा) की गुफाओं तथा त्र्यंबकेश्वर और नाशिक तीर्थस्थानों पर आधारित जागृतिपर फिल्में बनाई। यहाँ से ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों पर फिल्में बनाने की परंपरा प्रारंभ हुई।



दादासाहेब फालके

कालांतर में भारत में पहला सिने-कैमरा बनाने वाले आनंदराव पेंटर ने फिल्म निर्माण में रुचि दिखाई। उनके मौसेरे भाई बाबूराव पेंटर अर्थात् मिस्त्री ने १९१८ ई. में 'सैरंध्री' फिल्म बनाई। उन्होंने पहली ऐतिहासिक गूँगी फिल्म 'सिंहगड' बनाई। इसके पश्चात उन्होंने कल्याणचा खजिना, बाजीप्रभू देशपांडे, नेताजी पालकर जैसी ऐतिहासिक फिल्में बनाई। इसके अतिरिक्त 'सावकारी पाश'

मालूम कर लें

सिनेमागृह में पहले सिनेमा प्रारंभ होने से पूर्व जागृतिपर फिल्म अथवा समाचार फिल्म दिखाई जाती थी। इन फिल्मों के निर्माण हेतु भारत सरकार ने 'फिल्म्स डिवीजन' की स्थापना की थी। इन जागृतिपर और समाचारपर फिल्मों का उपयोग लोगों के सामाजिक पुनर्जागरण हेतु किया जाता था। इस विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए।

(साहूकारी फंदा) यह पहली यथार्थवादी फिल्म बनाई। १९२५ ई. में भालजी पेंढारकर ने 'बाजीराव-मस्तानी' फिल्म बनाई। भालजी पेंढारकर की ऐतिहासिक फिल्मों द्वारा राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा है; यह अंग्रेजों के ध्यान में आने पर अंग्रेजों ने फिल्मों पर प्रतिबंध लगाए।

कमलाबाई मंगरुलकर मराठी की पहली स्त्री फिल्म निर्मात्री थी। उन्होंने 'सावळ्या तांडेल' और हिंदी में 'पन्नादाई' ये बोलने वाली फिल्में बनाई। १९४४ ई. में प्रभात कंपनी की 'रामशास्त्री' फिल्म का बहुत बोलबाला रहा। स्वतंत्रता पश्चात के समय में आचार्य अत्रे ने 'महात्मा फुले' के जीवन पर, विश्राम बेडेकर ने वासुदेव बलवंत फडके के जीवन पर आधारित फिल्में बनाई। दिनकर द. पाटील ने 'धन्य ते संताजी धनाजी' (धन्य हैं वे संताजी-धनाजी) फिल्म बनाई। प्रभाकर पेंढारकर द्वारा निर्मित 'बाल शिवाजी' का अपना अलग महत्त्व है।

भारतीय फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलवाने वाली पहली फिल्म संत तुकाराम है। यह फिल्म पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित हुई। इस फिल्म में विष्णुपंत पागनीस ने संत तुकाराम की भूमिका निभाई थी।

चलिए ढूँढ़ेंगे

इस पाठ में जिन फिल्मों का उल्लेख नहीं हुआ है परंतु उनका संबंध इतिहास से है, ऐसी फिल्मों की सूची अंतरजाल की सहायता से तैयार कीजिए।

जिस प्रकार मराठी भाषा में ऐतिहासिक फिल्में बनाई गई। वैसे ही हिंदी भाषा में भी अनेक ऐतिहासिक फिल्में बनाई गई। स्वतंत्रतापूर्व समय में बनाई गई हिंदी फिल्मों में सिकंदर, तानसेन, सम्राट चंद्रगुप्त, पृथ्वीवल्लभ, मुगल-ए-आजम आदि फिल्में इतिहास पर आधारित थीं। 'डॉ. कोटणीस की अमर कहानी' फिल्म सत्य घटना पर आधारित थी। स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित 'आंदोलन', 'झाँसी की रानी' फिल्में महत्त्वपूर्ण मानी जाती हैं।

बॉम्बे टॉकिज, फिल्मीस्तान, राजकमल प्रॉडक्शन्स, आर.के.स्टूडियोज, नवकेतन आदि कंपनियों ने फिल्म निर्माण क्षेत्र में ठोस कार्य किया है।

चलिए, ढूँढ़ेंगे

अंतरजाल की सहायता से १९७० ई. से २०१५ तक की इतिहास विषय से संबंधित मराठी/हिंदी फिल्में ढूँढ़िए।

६.५ मनोरंजन क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर

इतिहास के छात्रों को रंगमंच और फिल्म क्षेत्रों में अनेक अवसर उपलब्ध हैं।

नाटक : (१) नेपथ्य, वेशभूषा, केशभूषा, रंगभूषा आदि की अचूक जानकारी आवश्यक होती है। इसके लिए ऐतिहासिक कालखंड की चित्रकला, शिल्पकला,

स्थापत्य विषयों का सूक्ष्म अध्ययन करने वाले तज्ञ कला निर्देशन का नियोजन कर सकते हैं अथवा इसके लिए परामर्शदाता के रूप में भी काम करते हैं।

(२) संवाद लेखन की प्रक्रिया में लेखक और उनके परामर्शदाता के रूप में भाषा और संस्कृति के इतिहास के जानकारों की आवश्यकता होती है।

फिल्म : (१) फिल्म की कहानी से संबंधित समय का वातावरण निर्माण करने का तथा पात्रों की वेशभूषा, केशभूषा, रंगभूषा आदि का नियोजन करने का कार्य कला निर्देशक करता है। इस क्षेत्र में भी इतिहास तज्ञ प्रत्यक्ष कला निर्देशक अथवा कला निर्देशक के परामर्शदाता के रूप में काम कर सकते हैं।

(२) फिल्म के संवाद लेखन के लिए भाषा और संस्कृति के तज्ञ व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।



स्वाध्याय

१. (अ) दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए।

(१) महाराष्ट्र के आद्य कीर्तनकार के रूप में को माना जाता है।

- (अ) संत ज्ञानेश्वर (ब) संत तुकाराम
(ब) संत नामदेव (क) संत एकनाथ

(२) बाबूराव पेंटर ने फिल्म बनाई।

- (अ) पुंडलिक (ब) राजा हरिश्चंद्र
(क) सैरंध्री (ड) बाजीराव-मस्तानी

(ब) निम्न में से असत्य जोड़ी में सुधार कीजिए और पुनः लिखिए।

- (१) रायगडाला जेव्हा जाग येते - वसंत कानेटकर
(२) टिळक आणि आगरकर - विश्राम बेडेकर
(३) साष्टांग नमस्कार - आचार्य अत्रे
(४) एकच प्याला - अण्णासाहेब किर्लोस्कर

२. निम्न सारिणी को पूर्ण कीजिए।

	भजन	कीर्तन	ललित	भारुड़
गुण विशेषताएँ				
उदाहरण				

३. टिप्पणी लिखिए।

- (१) मनोरंजन की आवश्यकता
(२) मराठी रंगमंच
(३) रंगमंच और फिल्म क्षेत्रों से संबंधित व्यवसाय के अवसर

४. निम्न कथनों को कारणसहित स्पष्ट कीजिए।

- (१) फिल्म माध्यम में इतिहास विषय महत्वपूर्ण है।
(२) संत एकनाथ के भारुड़ लोकप्रिय हुए।

५. निम्न प्रश्नों के उत्तर २५ से ३० शब्दों में लिखिए।

- (१) भारतीय फिल्म जगत की जननी के रूप में महाराष्ट्र को ख्याति क्यों प्राप्त है?
(२) पोवाड़ा किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए।

उपक्रम

संत एकनाथ का 'विंचू चावला' (बिच्छू डस गया) यह भारुड़ प्राप्त कीजिए और विद्यालय के सांस्कृतिक समारोह में साभिनय प्रस्तुत कीजिए।



372RE2



७. खेल और इतिहास

७.१ खेलों का महत्त्व

७.२ खेलों के प्रकार

७.३ खेलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण

७.४ खेलों की सामग्री और खिलौने

७.५ खिलौने और इतिहास

७.६ खेल और संबंधित साहित्य तथा फिल्में

७.७ खेल और व्यवसाय के अवसर

मनोरंजन और शारीरिक व्यायाम की दृष्टि से की जाने वाली कृति को खेल कहते हैं।

मानव जितना प्राचीन है; खेलों का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है क्योंकि खेलना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है। मानव के प्रारंभिक समय में विविध प्रकार के खेल खेले जाते थे। जिस प्रकार शिकार करना आजीविका का साधन था; उसी प्रकार वह खेल और मनोरंजन का भी हिस्सा था। भारत के प्राचीन साहित्य और महाकाव्यों में द्यूत, कुश्ती, रथों और घोड़ों की दौड़ तथा शतरंज का उल्लेख मिलता है।



दंगल (कुश्ती)



क्या, आप जानते हैं ?

वड़ोदरा के ख्यातिप्राप्त पहलवान जुम्मा दादा और माणिकराव की व्यायामशाला (अखाड़ा), पटियाला का क्रीड़ा विश्वविद्यालय, गुजरात का 'स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय', कोल्हापुर की खासबाग आणि मोतीबाग तालीम (अखाड़ा), अमरावती का हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, पुणे की बालेवाड़ी का श्री शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल दंगल (कुश्ती) और अन्य खेलों के प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं।



क्या, आप जानते हैं ?



खेल और ग्रीक (यूनानी) लोगों के बीच का संबंध प्राचीन समय से है। ग्रीकों ने

खेलों को नियमित और सुसंगठित स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने दौड़, थाली फेंक, रथों और घोड़ों की दौड़, दंगल, मुक्केबाजी जैसे खेलों के मैचों का प्रारंभ किया। प्राचीन ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन ओलंपिया इस ग्रीक शहर में किया जाता था। इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी बनना और विजय प्राप्त करना सम्मान की बात समझी जाती है।

७.१ खेलों का महत्त्व

हमारे जीवन में खेलों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में व्याप्त दुख और चिंताओं को भुला देने की सामर्थ्य खेलों में है। खेल मन बहलाने और मन को ताजगी तथा स्फूर्ति से भर देने का कार्य करते हैं। जिस खेल में बहुत परिश्रम और शारीरिक गतिविधियाँ करनी पड़ती हैं; उन खेलों के कारण खिलाड़ियों का व्यायाम होता है। शरीर स्वस्थ और बलिष्ठ बनने में खेलों से सहायता प्राप्त होती है। खेलों के कारण मानसिक धैर्य, जीवटता और खिलाड़ीपन जैसे गुणों में वृद्धि होती है। सामूहिक खेल खेलने से पारस्परिक सहयोग और मेल-जोल की भावना में वृद्धि होती है और नेतृत्व गुणों का विकास होता है।

७.२ खेलों के प्रकार

खेलों के घरेलू और मैदानी खेल ये दो प्रकार हैं ।

घरेलू खेल : घर में अथवा किसी एक स्थान पर बैठकर खेले जाने वाले खेलों को घरेलू अथवा बैठकवाले खेल कहते हैं । जैसे-शतरंज, ताश, पाँसेवाले खेल, कैरम, कौड़ियोंवाले खेल । ये खेल कहीं पर भी बैठकर खेले जा सकते हैं । प्रायः लड़कियाँ सागरगोटे (एक प्रकार का खेल) यह बैठकवाला खेल खेलती हैं । घर-घर खेलना अथवा गुड्डा-गुड़िया का खेल खेलना छोटी लड़कियों का खेल समझा गया है परंतु उसमें घर के सभी लोग सम्मिलित हो सकते हैं । विशेष रूप से गुड्डा-गुड़िया की शादी का खेल तो पारिवारिक आनंद का समारोह होता है ।



शतरंज

मैदानी खेल : मैदानी खेलों में देशी और विदेशी खेल ये दो प्रकार हैं । देशी खेलों में लंगड़ी, कबड्डी, आट्यापाट्या, खो-खो आदि खेलों का समावेश होता है ।



कबड्डी

लड़के-लड़कियों में कंचे, लगोरी (गड्डी का खेल) गुल्ली-डंडा, चकई अथवा घिरनी चलाना,



लंगड़ी



क्या, आप जानते हैं ?

झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई की दिनचर्या :

“बाईसाहेबांस शरीराचा शोक फार होता. पहाटेस उठोन मल्लखांबासी जाऊन दोन घटका कसरत करून नंतर घोडा मंडळावर धरून लागलीच हत्तीवर बसून हत्तीस फेरफटका करून चार घटका दिवसास खुराखाचे खाणे व दूध पिणे करून स्नान होत असे.”

‘बाईसाहेब को व्यायाम का बहुत शौक था । तड़के जागकर मलखम पर कुछ समय कसरत करतीं, घुड़सवारी करतीं । इसके तुरंत बाद हाथी पर बैठकर हाथी को घुमा लातीं । प्रातःकाल खुराक (पौष्टिक आहार) खाकर एवं दूध पीकर स्नान करतीं । (विष्णुभट गोइसे की ‘माझा प्रवास’ पुस्तक से)

लट्टू घुमाना, झिम्मा (लड़कियाँ एक-दूसरे को ताली देकर वृत्त में घूमती हुई नाचती हैं) लंगड़ी जैसे खेल लोकप्रिय हैं ।

विदेशी मैदानी खेलों में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो आदि खेलों का समावेश होता है ।

मैदानी खेलों में धावन की दौड़ विश्व भर में लोकप्रिय है । इसमें १०० मीटर, २०० मीटर, मैरेथॉन



टेबल-टेनिस



फुटबॉल

और बाधा दौड़ का समावेश होता है ।

शारीरिक कौशलों पर आधारित मैदानी खेलों में गोला फेंक, थाली फेंक, लंबी कूद और ऊँची कूद, पानी के खेलों में तैरने की स्पर्धाएँ, वॉटर पोलो, नौकायान स्पर्धाएँ तथा शारीरिक व्यायाम के खेलों में मलखम (मलखंभ), रस्सी के ऊपर खेला जाने वाला मलखम, जिम्नास्टिक आदि का समावेश होता है ।



मलखम (मलखंभ)



क्या, आप जानते हैं ?

श्रीमती मनिषा बाठे द्वारा किए गए शोधकार्य के अनुसार दंगल (कुश्ती) के लिए पूरक मलखम का खेल और उसकी पकड़ें-दाँवपेंच इसकी उत्पत्ति पेशवाई के उत्तरार्ध में मल्लविद्यागुरु बालभट्ट देवधर द्वारा हुई । श्रीमती बाठे ने यह स्पष्ट किया है कि बालभट्ट को यह व्यायाम प्रकार पेड़ों पर कूदने-लाँघने और फाँदने वाले बंदरों को देखकर सूझा ।



स्केटींग

साहसिक खेल - स्केटींग आणि स्किइंग (फिसलने की दौड़), आईस हॉकी ये लोकप्रिय खेल हैं ।

साहसिक और रोमांचक खेलों में पर्वतारोहण, ग्लाइडिंग, मोटरसाइकिल, मोटर कार की दौड़ का समावेश होता है ।

चलिए ढूँढ़ेंगे

शिक्षक, अभिभावक और अंतरजाल की सहायता से कुश्तीबाज खाशाबा जाधव, मारुती माने, भारतरत्न सचिन तेंडुलकर के जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए ।

खेल प्रतियोगिताएँ : संपूर्ण विश्व में खेल प्रतियोगिताओं को मान्यता प्रदान की गई है । ओलिंपिक, एशियाई, दिव्यांगों का ओलिंपिक, विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताएँ, हॉकी, दंगल, शतरंज आदि खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन विश्व स्तर पर किया जाता है । हमारे देश में हॉकी और क्रिकेट लोकप्रिय खेल हैं । हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है । इन खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन



क्रिकेट

स्थानीय, नगरीय, तहसील, जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी उसी क्षेत्र में उत्तम भविष्य (करीयर) बना सकता है।



क्या, आप जानते हैं ?

मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के खिलाड़ी और टीम के कप्तान थे। उनके नेतृत्व में १९३६ ई. में भारतीय हॉकी टीम ने बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। इसके पहले भारतीय हॉकी टीम ने १९२८ ई. और १९३२ ई. में भी स्वर्ण पदक जीते थे। इन मैचों में ध्यानचंद भारतीय टीम में खिलाड़ी के रूप में खेले थे। २९ अगस्त उनका जन्मदिन है तथा इस दिन को 'राष्ट्रीय खेल दिवस' के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को 'हॉकी का जादूगर' कहा जाता है। उन्होंने हॉकी में जिस बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया; उस कारण उन्हें १९५६ ई. में 'पद्मभूषण' सम्मान से विभूषित किया गया।

७.३ खेलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण

बीसवीं-इक्कीसवीं शताब्दी में खेलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ। ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल, विंबल्डन जैसी प्रतियोगिताओं में समाविष्ट खेले जाने वाले क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस आदि खेलों के मैचों का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और दूसरे चैनलों पर पूरे विश्व में एक ही समय में किया जाता है। इन खेलों में जो देश सहभागी नहीं होते हैं; उन देशों के लोग भी इन खेलों का आनंद लेते हैं। जैसे-विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत के फाइनल में पहुँचने पर विश्व भर के लोगों ने यह मैच देखा था। विश्व के दर्शकों ने खेल की आर्थिक नीतियाँ बदल दी हैं। शौकिया खिलाड़ी सीखने की दृष्टि से ये मैच देखते हैं। दर्शक मनोरंजन के रूप में देखते हैं। विविध कंपनियाँ इन मैचों की ओर विज्ञापन के अवसरों के रूप में देखती हैं। खेल से

संन्यासप्राप्त खिलाड़ी दर्शकों को मैच की जानकारी देकर समझाने के लिए आते हैं।

७.४ खेलों की सामग्री और खिलौने

छोटे बच्चों का मनोरंजन होने और उन्हें शिक्षा प्राप्त होने की दृष्टि से रंग-बिरंगे विभिन्न साधन और उपकरण उपलब्ध होते हैं; उन्हें खिलौने कहते हैं। प्राचीन स्थानों पर हुए उत्खनन में मिट्टी से बनाए गए खिलौने पाए गए हैं। इन खिलौनों को साँचे में अथवा हाथ से कसकर दबाकर बनाया जाता था।

प्राचीन समय में भारतीय साहित्य में पुतलियों का उल्लेख मिलता है। शूद्रक के एक नाटक का शीर्षक मृच्छकटीक है। मृच्छकटीक का अर्थ मिट्टी की गाड़ी है।



क्या, आप जानते हैं ?

कथासरित्सागर ग्रंथ में अनेक मनोरंजक खेलों और खिलौनों का वर्णन मिलता है। इसमें उड़नेवाली लकड़ी की गुड़ियों का वर्णन आता है। कल दबाने पर ये गुड़ियाँ ऊपर उड़ती हैं। तो कुछ नाचती हैं और कुछ आवाज प्रकट करती हैं।

चलिए ढूँढ़ेंगे

पहले भारत के अनेक भागों में लकड़ी की गुड़ियाँ बनाई जाती थीं। महाराष्ट्र में 'ठकी' नाम से जानी जाने वाली रंगीन लकड़ी की गुड़ियाँ बनाई जाती थीं।

ऐसी लकड़ी की गुड़ियाँ बनाने की परंपरा भारत के अन्य किन प्रदेशों में प्रचलित थी अथवा है; यह ढूँढ़ेंगे।

इन गुड़ियों को उस-उस प्रांत में किन नामों से जाना जाता है; यह भी ढूँढ़ेंगे।

७.५ खिलौने और इतिहास

खिलौनों के माध्यम से इतिहास और तकनीकी विज्ञान पर प्रकाश डाला जा सकता है। धार्मिक

और सांस्कृतिक परंपराओं का बोध होता है। महाराष्ट्र में दीपावली में मिट्टी के किले/गढ़ बनाने की लंबी परंपरा है। इन मिट्टी के किलों/गढ़ों पर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सहयोगियों की प्रतिमाएँ रखते हैं। महाराष्ट्र का इतिहास जिन किलों/गढ़ों के कारण निर्मित हुआ; उस इतिहास का स्मरण करने का यह एक माध्यम है।

इटली के पॉपेई शहर में हुए उत्खनन में एक भारतीय हस्तिदंत से बनाई हुई गुड़िया पाई गई। यह गुड़िया पहली शताब्दी की होनी चाहिए; ऐसा इतिहासकारों का अनुमान है। इसके आधार पर भारत और रोम के बीच चलने वाले संबंधों का अनुमान किया जा सकता है। इस रूप में उत्खनन में पाए गए खिलौने प्राचीन समय में विभिन्न देशों के बीच के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डाल सकते हैं।

७.६ खेल और संबंधित साहित्य तथा फिल्में

खेल और उससे जुड़ा साहित्य यह एक नवीन ज्ञानशाखा है। खेलों से संबंधित पुस्तकों, कोशों को नए-से बनाया जा रहा है। अभी-अभी मराठी भाषा में मलखम का इतिहास प्रकाशित हुआ है। व्यायाम पर कोश पाया जाता है। खेल विषय पर निरंतर कलम चलाने वाली 'षटकार' नाम की पत्रिका का पहले प्रकाशन होता था। अंग्रेजी में 'खेल' विषय से संबंधित साहित्य विपुल मात्रा में पाया जाता है। खेल का लगातार प्रसारण करने वाले अनेक चैनल दूरदर्शन पर हैं।

वर्तमान समय में 'खेल' और खिलाड़ियों के जीवन पर हिंदी और अंग्रेजी फिल्में बनी हैं। जैसे- मेरी कोम और दंगल। मेरी कोम ओलंपिक में भाग लेने वाली और कांस्य पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला मुक्केबाज और फोगट बहनें प्रथम महिला कुश्ती पहलवान के रूप में जानी जाती हैं। ये दोनों फिल्में उनके जीवन पर आधारित हैं।

फिल्म का निर्माण करते समय फिल्म का कालखंड, उस समय बोली जानेवाली भाषा, परिधान, सामान्य जनजीवन का सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ता है। इन घटकों का गहन अध्ययन करना इतिहास

के विद्यार्थियों के लिए संभव होता है। कोश, समाचारपत्र अथवा अन्य स्थानों पर 'खेलकूद' विषय पर लिखते समय खेलों के इतिहास की जानकारी होना आवश्यक है।

७.७ खेल और व्यवसाय के अवसर

खेल और इतिहास को सरसरी दृष्टि से देखने पर ये दोनों भिन्न-भिन्न लगते हैं परंतु उनके बीच घनिष्ठ संबंध है। इतिहास के विद्यार्थियों को 'खेलकूद' के क्षेत्र में अनेक अवसर उपलब्ध हैं। ओलंपिक अथवा एशियाई खेलों तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप की खेल प्रतियोगिताओं के संदर्भ में लेखन, समीक्षण करने के लिए इतिहास के तज्ञों की सहायता लेनी पड़ती है।

खेल प्रतियोगिताओं के चलते उन खेल प्रतियोगिताओं का समीक्षापूर्ण निवेदन करने अथवा आँखों देखा हाल बताने के लिए तज्ञों की आवश्यकता होती है। इन तज्ञों को दर्शकों/श्रोताओं के सम्मुख खेल का इतिहास, पिछले आँकड़े, खेल में हुए अब तक के कीर्तिमान, ख्यातिप्राप्त खिलाड़ी, खेल से संबंधित ऐतिहासिक स्मृतियाँ जैसी बातों की जानकारी रखना आवश्यक होता है।

दूरदर्शन पर हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, शतरंज आदि खेलों का सीधा प्रसारण होता रहता है। अलग-अलग चैनलों के कारण इन खेलों से संबंधित जानकारी/आँकड़ों का विवरण रखनेवालों को महत्त्व प्राप्त हुआ है। खेलकूद से संबंधित चैनलों का २४ घंटे प्रसारण चलता रहता है। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हैं।

खेल प्रतियोगिता में पंचों का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। पंच (अंपायर) के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए परीक्षाएँ ली जाती हैं। योग्यताप्राप्त पंचों को जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। सरकारी और गैरसरकारी स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन देने के प्रयास जारी हैं। खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गई है। सरकारी और निजी कार्मिक विभागों में आरक्षित स्थान रखे गए हैं।



क्या, आप जानते हैं ?



पहले मराठी भाषा में क्रिकेट मैचों का आँखों देखा हाल अर्थात् निवेदन बाल ज.पंडित करते थे । आकाशवाणी से इस धाराप्रवाह निवेदन (रनिंग कमेंट्री) को लोग कानों में प्राण लाकर सुनते थे । यह धाराप्रवाह निवेदन करते समय बाल ज.पंडित उस मैदान का इतिहास, खेल से संबंधित यादें और पहले किए गए कीर्तिमानों की जानकारी देते थे । उन्हें क्रिकेट और इस खेल के इतिहास का उत्तम ज्ञान था । परिणामस्वरूप उनका धाराप्रवाह निवेदन रोचक और आकर्षक होता था ।



स्वाध्याय

१. (अ) दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए ।

(१) ओलिंपिक प्रतियोगिताओं का प्रारंभ में हुआ ।

- | | |
|-----------|---------|
| (अ) ग्रीक | (ब) रोम |
| (क) भारत | (ड) चीन |

(२) महाराष्ट्र में बनाई जाने वाली लकड़ी की गुड़िया को कहते हैं ।

- | | |
|-------------|----------------|
| (अ) ठकी | (ब) कालिचंडिका |
| (क) गंगावती | (ड) चंपावती |

(ब) निम्न में से असत्य जोड़ी में सुधार कीजिए और पुनः लिखिए ।

- (१) मलखम - शारीरिक व्यायाम का खेल
- (२) वॉटर पोलो - पानी में खेला जाने वाला खेल
- (३) स्केटींग - साहसिक खेल
- (४) शतरंज - मैदानी खेल

३. टिप्पणी लिखिए ।

- (१) खिलाइने और उत्सव
- (२) खेल और फिल्में

४. निम्न कथन कारणसहित स्पष्ट कीजिए ।

- (१) वर्तमान समय में खेलों से संबंधित आर्थिक नीतियों में परिवर्तन आ गया है ।
- (२) खिलाइनों द्वारा इतिहास पर प्रकाश पड़ता है ।

५. निम्न प्रश्नों के उत्तर २५ से ३० शब्दों में लिखिए ।

- (१) खेलों का महत्त्व स्पष्ट कीजिए ।
- (२) खेलों के माध्यम से व्यवसाय के रोजगार किस प्रकार प्राप्त होते हैं ?

६. निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए ।

- (१) भारत के खेल साहित्य के इतिहास के विषय में जानकारी लिखिए ।
- (२) खेल और इतिहास के बीच के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट कीजिए ।
- (३) मैदानी खेल और घरेलू खेल के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए ।

उपक्रम

- (१) अपने पसंद के खेल और उस खेल से संबंधित खिलाड़ियों की जानकारी प्राप्त कीजिए ।
- (२) खिलाड़ियों पर आधारित पुस्तकों, जानकारीपर फिल्मों अथवा फिल्मों द्वारा खिलाड़ियों को उस खेल के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है; इसपर विचार-विमर्श कीजिए ।



378HFP

८. पर्यटन और इतिहास

८.१ पर्यटन की परंपरा

८.२ पर्यटन के प्रकार

८.३ पर्यटन का विकास

८.४ ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण और संवर्धन

८.५ पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर

८.१ पर्यटन की परंपरा

प्राचीन समय से हमारे देश में पर्यटन की परंपरा चली आ रही है। तीर्थाटन करना, स्थानीय धार्मिक-सांस्कृतिक मेलों में जाना, विद्यार्जन हेतु दूर के प्रदेश में जाना, व्यापार करने के लिए दूर-दूर तक जाना आदि कारणों से पूर्व समय में पर्यटन हो जाता था। संक्षेप में कहना हो तो; मनुष्य को बहुत पहले से घूमना अच्छा लगता है।



क्या, आप जानते हैं ?

लोगों में जागृति उत्पन्न करने के लिए स्वयं गौतम बुद्ध ने भारत के अनेक प्राचीन नगरों का पर्यटन किया। यह उल्लेख बौद्ध वाङ्मय में मिलता है। बौद्ध भिक्षुओं को निरंतर भ्रमण करते रहना आवश्यक था। साथ ही; जैन मुनि और साधु भी लगातार भ्रमण करते रहते थे।

६३० ई. में चीनी यात्री युआन श्वांग चीन से भारत आया था। मध्ययुग में संत नामदेव, संत एकनाथ, गुरु नानकदेव, रामदास स्वामी भारत भ्रमण करते थे।

पर्यटन : विशिष्ट उद्देश्य को लेकर दूर-दूर के स्थानों की सैर करने जाना ही पर्यटन कहलाता है।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में थॉमस कुक ने ६०० लोगों की लीस्टर से लाफबरो इस रेल सैर का आयोजन किया। संपूर्ण यूरोप की भव्य वृत्ताकार



क्या, आप जानते हैं ?

संसार के प्रथम यूरोपीय खोजी यात्री के रूप में बेंजामिन ट्यूडेला विख्यात है। उसका जन्म स्पेन में हुआ। ११५९ ई. से ११७३ ई. के बीच उसने फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीक, सीरिया, अरबस्तान, इजिप्त, इराक, पर्शिया (ईरान), भारत और चीन देशों की यात्राएँ कीं। उसने अपनी यात्रा के अनुभव दैनंदिनी (डायरी) में लिखे। यह दैनंदिनी इतिहास का महत्वपूर्ण अभिलेख (दस्तावेज) है।

मार्को पोलो : तेरहवीं शताब्दी में इतालवी यात्री मार्को पोलो ने एशिया महाद्वीप और विशेष रूप से चीन का यूरोप से परिचय कराया। वह १७ वर्ष चीन में रहा। एशिया की प्रकृति, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन और व्यापार का परिचय संसार से कराया। इस कारण यूरोप और एशिया के बीच संवाद और व्यापार प्रारंभ हुआ।

इब्न बतूता : चौदहवीं शताब्दी का एक यात्री इब्न बतूता है; जिसने इस्लामी विश्व की प्रदीर्घ यात्रा कराई। इब्न बतूता तीस वर्षों तक पूरे संसार में घूमता रहा। उसने अपनी नीति बनाई थी कि एक ही मार्ग से दो बार यात्रा नहीं करनी है। मध्ययुगीन इतिहास और सामाजिक जीवन को समझने के लिए बतूता का लेखन उपयुक्त है।

गेरहार्ट मर्केटर : सोलहवीं शताब्दी में गेरहार्ट मर्केटर संसार का मानचित्र और संसार का भूगोलक बनाने वाले मानचित्र आरेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उसके कारण यूरोप में शोध अभियानों को गति प्राप्त हुई।

सैर सफलतापूर्वक संपन्न कराई। कुक ने ही पर्यटक टिकट बेचने का एजेंसी व्यवसाय प्रारंभ किया। इसके द्वारा आधुनिक युग का आरंभ हुआ।



क्या, आप जानते हैं ?

तीर्थाटन करने हेतु देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल यात्रा करने की परंपरा भारत में पहले से प्रचलित थी। विष्णुभट गोडसे ने महाराष्ट्र से उत्तर में अयोध्या तक और वहाँ से पुनः महाराष्ट्र तक की यात्रा का वर्णन लिख रखा है। उनके इस यात्रावर्णन की पुस्तक का नाम 'माझा प्रवास' (मेरी यात्रा) है। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि विष्णुभट ने यह यात्रा १८५७ ई. के राष्ट्रीय विद्रोह के कालखंड में की थी। राष्ट्रीय विद्रोह की अनेक बातों के वे गवाह थे। अतः इस पुस्तक द्वारा राष्ट्रीय विद्रोह और विशेष रूप से रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होती है। यही नहीं अपितु अठारहवीं शताब्दी में प्रचलित मराठी भाषा का स्वरूप भी हमारे ध्यान में आता है। यह पुस्तक तत्कालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण साधन है।

८.२ पर्यटन के प्रकार

आधुनिक समय में पर्यटन एक स्वतंत्र स्थानीय, अंतर्देशीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का स्वरूप धारण कर चुका है। देश और विदेश की पुरातन वास्तुओं, इतिहासविख्यात और प्रकृतिरम्य स्थानों, प्राचीन कलानिर्माण के केंद्रों, तीर्थस्थानों, औद्योगिक और अन्य परियोजनाओं आदि की सैर करना पर्यटन में निहित मुख्य प्रेरणा होती है। प्रकृतिनिर्मित और मानवनिर्मित बातों की रम्यता और भव्यता का प्रत्यक्ष अनुभव लेने की इच्छा संसारभर के पर्यटकों में होती है। अतः बर्फीले शिखर, समुद्री किनारे, घने जंगल जैसे उपेक्षित क्षेत्रों का समावेश पर्यटन में हुआ है। उनपर दृश्य-श्रव्य प्रसार माध्यमों

द्वारा कार्यक्रम बनाए जाने लगे। मोटे तौर पर पर्यटन के स्थानीय, अंतर्देशीय, अंतर्राष्ट्रीय, धार्मिक, ऐतिहासिक, स्वास्थ्यपूरक, विज्ञान, कृषि, प्रासंगिक, क्रीड़ा पर्यटन ये प्रकार हैं।

स्थानीय और अंतर्देशीय पर्यटन : यह यात्रा बड़ी सुगम होती है। यह यात्रा देश के भीतर ही चलती है। इस यात्रा में भाषा, मुद्रा, कागजात की अधिक बाधा नहीं होती है। विशेष बात तो यह होती है कि हमारे पास उपलब्ध समय के अनुसार हम ऐसी यात्रा का नियोजन कर सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन : जहाज, रेल और विमान के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन करना पहले की अपेक्षा आसान हो गया है। जहाजों के कारण समुद्री तट के देश एक-दूसरे से जोड़े गए। रेल की पटरियों ने यूरोप को जोड़ दिया। विमानों द्वारा पूरी दुनिया एक-दूसरे के समीप आ गई। आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत से विदेश में जाने वालों और विदेश से आने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। अध्ययन, मनोरंजन, स्थलदर्शन, व्यावसायिक कार्य (बैठकें, अनुबंध करना आदि) फिल्मों की शूटिंग जैसे कामों के लिए देश-विदेश में आने-जाने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है।

ऐतिहासिक पर्यटन : यह पूरे विश्व का महत्वपूर्ण पर्यटन प्रकार है। लोगों को इतिहास के संदर्भों को लेकर जो जिज्ञासा होती है; उसे ध्यान में रखकर ऐतिहासिक पर्यटन-सैर का आयोजन किया जाता है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित किलों/गढ़ों का दुर्ग अध्येता गोपाल नीलकंठ दांडेकर दुर्गभ्रमण सैर का आयोजन करते थे। भारत में राजस्थान के किले, महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के आश्रम, १८५७ ई. के राष्ट्रीय विद्रोह से संबंधित स्थान जैसे ऐतिहासिक स्थानों की सैर का आयोजन किया जाता है।

भौगोलिक पर्यटन : विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं का निरीक्षण करने हेतु पर्यटन किया जाता है। अभयारण्य, वैली ऑफ फ्लावर्स (उत्तराखंड),

समुद्री किनारे, भौगोलिक वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान (जैसे- बुलढाणा की लोणार झील, निघोज के रांजणखलगे (कुंभगर्तिका) आदि का समावेश भौगोलिक पर्यटन में होता है। इनमें से अनेक स्थानों की प्रकृति का अवलोकन करने की इच्छा और कुतूहल को लेकर अनेक पर्यटन इन स्थानों पर जाते हैं।



वैली ऑफ फ्लॉवर्स

मालूम कर लें

विश्व के विभिन्न समाज के लोग अनेक स्थानों पर बिखरे हुए हैं। उनमें प्रचलित पुराणकथाएँ और उन पुराणकथाओं से जोड़े गए भौगोलिक स्थानों के कारण उनके बीच एकात्मता की भावना बनी रहती है। अतः उन स्थानों पर जाना महत्त्वपूर्ण बन जाता है। परिणामस्वरूप धार्मिक पर्यटन को प्रारंभ होता है। जैसे - चार धामों, बारह ज्योतिर्लिंगों की यात्रा। इनमें से अधिकांश स्थानों पर लोगों को सुविधाएँ प्राप्त हों; इसलिए पुण्यश्लोक अहल्याबाई होलकर ने अपने व्यक्तिगत धन से समाजोपयोगी कार्य किए हैं।

स्वास्थ्य पर्यटन : भारत में मिलनेवाली चिकित्सा संबंधी सेवाएँ और सुविधाएँ पाश्चात्यों की दृष्टि से सस्ती और उत्तम श्रेणी की होती हैं। परिणामस्वरूप विदेशी लोग भारत में आने लगे हैं। भारत में विपुल मात्रा में सूर्यप्रकाश होता है। उसका लाभ प्राप्त करने के लिए अनगिनत लोग भारत में आते हैं। योग शिक्षा और आयुर्वेदिक उपचार हेतु विदेशी पर्यटक भारत में आते हैं।

कृषि पर्यटन : शहरी संस्कृति में पले-बढ़े और कृषि जीवन से अनजान लोगों के लिए कृषि पर्यटन एक प्रकार है। वर्तमान समय में कृषि पर्यटन शीघ्रता से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान समय में किसान दूर-दूर के कृषि अनुसंधान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि क्षेत्र में नव-नवीन प्रयोगों द्वारा नया तकनीकी विज्ञान विकसित करने वाले इजरायल जैसे देशों में कृषि के आधुनिक तकनीकी विज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए जाने लगे हैं।

क्रीड़ा पर्यटन : बीसवीं शताब्दी में खेल पर्यटन इस नए पर्यटन का उदय हुआ है। विश्व स्तर पर ओलंपिक, विंबल्डन और विश्व शतरंज प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की प्रतियोगिताएँ तो भारतीय स्तर पर हिमालयीन कार रैली और महाराष्ट्र के स्तर पर महाराष्ट्र केसरी कुश्ती प्रतियोगिता जैसी प्रतियोगिताओं के प्रकार हैं। इन प्रतियोगिताओं को देखने जाना खेल पर्यटन कहलाता है।

प्रासंगिक पर्यटन : मनुष्य पर्यटन अर्थात् घूमने के कारण ढूँढ़ता रहता है। इक्कीसवीं शताब्दी में ऐसे अनेक अवसर उपलब्ध हुए हैं। जैसे-विश्व के अनेक देशों में फिल्म फेस्टिवल्स, सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनियाँ आदि। इन उद्देश्यों को लेकर लोग विभिन्न स्थानों पर जाते रहते हैं। महाराष्ट्र के साहित्यप्रेमी भी प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलनों में सम्मिलित होने के लिए जाते हैं।

चलिए... खोजेंगे

उपर्युक्त प्रकारों के अतिरिक्त विज्ञानविषयक पर्यटन, मनोरंजन, सांस्कृतिक पर्यटन और समूह पर्यटन प्रकारों की जानकारी शिक्षक और अंतरजाल (इंटरनेट) की सहायता से खोजेंगे।

८.३ पर्यटन का विकास

देशी और विदेशी पर्यटकों में उद्बोधन अथवा जनजागरण उत्पन्न करना सब से महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।

पर्यटन में पर्यटकों अथवा सैलानियों को परिवहन और सुरक्षा यात्रा में मिलने वाली सुख-सुविधाएँ, उत्तम श्रेणी के निवास स्थानों की उपलब्धता, यात्रा में स्वच्छतागृहों की सुविधाएँ जैसी बातों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। इसमें दिव्यांग पर्यटकों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

मालूम कर लें

स्वच्छ भारत अभियान की जानकारी प्राप्त कीजिए।

ऐतिहासिक विरासत का संवर्धन करने हेतु हमें कुछ बातों की सावधानी रखना आवश्यक है। ऐतिहासिक विरासत के स्थानों का विद्रूपीकरण करना, उन स्थानों की दीवारों पर लिखना अथवा पेड़ों पर उकेरकर लिखना, पुरानी वास्तु को भड़कीले रंगों में रँगना, परिसर स्थानों पर सुविधाओं का अभाव होना जिससे अस्वच्छता बढ़ती/फैलती है; जैसी बातों को टालना चाहिए।



बताइए तो ?

- हमें पर्यटकों के लिए कौन-कौन-सी सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए ?
- पर्यटकों के साथ स्थानीय व्यक्ति के नाते आप कैसा व्यवहार करेंगे ?

विश्व स्तर की महत्वपूर्ण भाषाओं में जानकारी पुस्तिकाएँ, मार्गदर्शिकाएँ, मानचित्र, इतिहासविषयक पुस्तकें उपलब्ध करा देना आवश्यक है। पर्यटकों को गाड़ी में घुमाने ले जानेवाले वाहन चालकों को दुभाषिये का प्रशिक्षण देना, मार्गदर्शक के रूप में उनका काम करना जैसी बातें की जा सकती हैं।

८.४ ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण और संवर्धन

ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण और संवर्धन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे देश को प्राचीन, मध्ययुगीन और

आधुनिक ऐतिहासिक स्थानों की विरासत प्राप्त है। साथ ही; हमें प्राकृतिक संपन्नता की विरासत भी प्राप्त है। इस विरासत के दो प्रकार- प्रकृतिनिर्मित (प्राकृतिक) और मानवनिर्मित (सांस्कृतिक) हैं। भारत में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनको पूरे विश्व में गौरवान्वित किया गया है। उनमें ताज महल और जंतर-मंतर वेधशाला के साथ-साथ महाराष्ट्र की अजिंठा (अजंता), वेरुल (एलोरा), घारापुरी (एलिफंटा) की गुफाएँ, छत्रपति शिवाजी महाराज रेल स्थानक, पश्चिम घाट में कास पठार का समावेश है।



घारापुरी की गुफाएँ



करके देखें-

अंतरजाल की सहायता से भारत के सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित ऐतिहासिक विरासत स्थानों के चित्रों का संग्रह बनाइए।



कास पठार

वैश्विक विरासत स्थानों की सैर करने की इच्छा विश्वभर के पर्यटकों को होती है। इन विरासत स्थानों को देखने के लिए विदेश से असंख्य लोग आते हैं। वैश्विक विरासत स्थानों में भारत के किसी स्थान को चुने जाने पर हमारी छाती तन जाती है, परंतु जब हम सैर के बहाने ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? स्थानों के परिसर में पर्यटक द्वारा खड़िया-कोयले से अपने नाम लिखे गए हैं, चित्र बनाए हैं। इसका विपरीत परिणाम हमारे देश की छवि पर होता है। पर्यटन स्थानों के संरक्षण हेतु निम्न संकल्प करना आवश्यक है।

(१) मैं पर्यटन स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखूँगा/रखूँगी। कूड़ा-करकट कहीं नहीं फेंकूँगा/फेंकूँगी।

(२) किसी भी ऐतिहासिक वास्तु के सौंदर्य को नष्ट नहीं करूँगा/करूँगी।

८.५ पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर

पर्यटन सर्वाधिक रोजगार निर्माण करने वाला उद्योग बन सकता है। यदि हम पर्यटन की ओर व्यावसायिक दृष्टिकोण से ध्यान देंगे तो यह एक स्थायी स्वरूप का व्यवसाय है। इसमें नव-नवीन प्रयोग करने के लिए विपुल अवसर हैं।

पर्यटन के कारण अनगिनत लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। विदेशी पर्यटक जब हवाई अड्डे पर पाँव रखता है; उसके पहले से वह उस देश को आय प्राप्त करा देना शुरू करता है; जिस देश में वह पर्यटन करने हेतु जाता है। उसके द्वारा दी गई वीजा फीस के कारण हमारे देश को राजस्व प्राप्त होता है। यात्रा व्यय, होटल में रहना, खाना, दुभाषिये की सहायता लेना, समाचारपत्र, संदर्भ साहित्य खरीदना, स्मृति के रूप में स्थानीय वस्तुएँ खरीदना जैसी बातें वह विदेशी पर्यटक अपने देश जाने तक करता है।

पर्यटन केंद्रों के परिसर में बाजार फैलते जाते हैं। वहाँ हस्त उद्योग और कुटीरोद्योग का विकास होता है। उन उद्योगों की वस्तुओं के क्रय-विक्रय

में वृद्धि होती है। जैसे-स्थानीय खाद्य पदार्थ, हस्तकला की वस्तुएँ आदि। पर्यटक इन वस्तुओं को बड़े चाव से खरीदते हैं। परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों के रोजगार में वृद्धि होती है।

विरासत की घुमक्कड़ी (हेरीटेज वॉक) :

ऐतिहासिक विरासत स्थानों की सैर करने जाने को 'हेरीटेज वॉक' कहते हैं। जहाँ इतिहास घटित हुआ है; वहाँ प्रत्यक्ष जाकर इतिहास को समझना; यह बोध हेरीटेज वॉक में आता है।

इस प्रकार के उपक्रम संपूर्ण विश्व में चलाए जाते हैं। भारत का इतिहास शताब्दियों का रहा है। भारत के प्रत्येक राज्य में ऐतिहासिक स्थान हैं। उनमें प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक स्थानों का समावेश होता है। गुजरात के अहमदाबाद शहर का हेरीटेज वॉक प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में मुंबई-पुणे आदि शहरों में ऐसे उपक्रमों का आयोजन किया जाता है। फलतः ऐतिहासिक वास्तु/भवनों का संरक्षण करना, उनकी जानकारी इकट्ठी करना और उसे विविध माध्यमों द्वारा विश्वभर में पहुँचाना आदि उपक्रम चलाए जाते हैं। ऐतिहासिक महापुरुषों के निवासस्थान भी ऐतिहासिक विरासत होते हैं। कहीं-कहीं ऐसे स्थानों पर नीली तख्तियाँ लगाने की पद्धति प्रचलित है।



करके देखें-

अपने परिसर के ऐतिहासिक स्थानों की सैर पर जाने के लिए शिक्षकों की सहायता से विरासत घुमक्कड़ी का आयोजन कीजिए।

महाराष्ट्र में पर्यटन का विकास : पर्यटन की दृष्टि से महाराष्ट्र वैभवशाली विरासत प्राप्त राज्य है। अजिंठा, वेरुल, घारापुरी (एलिफंटा) जैसी विश्वविख्यात श्रेणी की गुफाएँ, चित्र और शिल्प, पंढरपुर, शिर्डी, शेगाँव, तुलजापुर, कोल्हापुर,

नाशिक, पैठण, त्र्यंबकेश्वर, देहू, आलंदी, जेजुरी आदि अनेक धार्मिक स्थान, हाजी मलंग, नांदेड़ का गुरुद्वारा, मुंबई का माउंट मेरी चर्च, महाबलेश्वर, पाचगणी, खंडाला, लोणावला, माथेरान, चिखलदरा ये ठंडी हवा के स्थान, कोयनानगर, जायकवाड़ी, भाटघर, चाँदोली बाँध, दाजीपुर, सागरेश्वर, ताड़ोबा अभयारण्य ये सभी महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थान हैं ।

१९७५ ई. में 'महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल' (निगम) की स्थापना की गई । परिणामस्वरूप पर्यटन विकास को प्रोत्साहन मिला है । इस महामंडल की ओर से राज्य में ४७ स्थानों पर पर्यटकों के निवास की सुविधा की गई है । इसमें लगभग चार हजार से अधिक पर्यटकों के रहने की व्यवस्था हो जाती है । इसी के साथ-साथ; इस व्यवसाय में अनेक निजी व्यवसायी भी उतर आए हैं ।



क्या, आप जानते हैं ?

भारत में प्रथम अनूठा 'पुस्तकांचे गाँव' (पुस्तकों का गाँव)



महाबलेश्वर के निकट भिलार नामक गाँव है । यह गाँव प्राकृतिक सुंदरता और स्ट्रॉबेरी की मिठास लिये हुए है । इस पुस्तक के गाँव में अनेक घरों में पर्यटकों के लिए पुस्तकें उपलब्ध हैं । वाचन आंदोलन का प्रचार हो, मराठी भाषा के नए-पुराने लेखक,

संत साहित्य, कहानी-उपन्यास, कविताएँ, ललित साहित्य, चरित्र-आत्मचरित्र, नारी साहित्य, खेलकूद, बालसाहित्य से खिले हुए हरे-भरे विश्व में आप 'वाचन आनंद' लें; इसके लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह परियोजना चलाई गई है ।

यदि आप घूमने के लिए महाबलेश्वर गए तो भिलार गाँव अर्थात् पुस्तक के गाँव में अवश्य जाइए ।



क्या, आप जानते हैं ?

महाबलेश्वर, पाचगणी ठंडी हवा के स्थान हैं । यहाँ हजारों पर्यटक चले आते हैं । यहाँ मार्गदर्शक पर्यटकों को कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी बताते हैं । कुछ स्थानों पर ले जाते हैं । कुछ विशिष्ट स्थानों पर फोटोग्राफर फोटो खींच देते हैं । घोड़ेवाले घोड़े पर चक्कर लगवा देते हैं । घोड़ागाड़ी में घुमा ले आते हैं । इन कामों से उन्हें अच्छा रोजगार प्राप्त होता है । इस प्रकार पर्यटन उनकी आजीविका का साधन बन जाता है ।

समझ लें

उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों में जाना, किसी स्थान की स्थानीय संस्कृति, इतिहास, परंपरा और ऐतिहासिक स्मारकों की सैर करना, वहाँ के लोगों द्वारा पाई गई सफलता का अध्ययन करना तथा वहाँ के नृत्य, संगीत और महोत्सव में हिस्सा लेना आदि उद्देश्यों को लेकर किया गया पर्यटन सांस्कृतिक पर्यटन कहलाता है ।



बताइए तो ?

- पर्यटन के कारण आपके परिसर में कौन-कौन-से व्यवसाय प्रारंभ हुए हैं?
- पर्यटन के कारण परिसर में रहनेवाले लोगों के रहन-सहन में क्या परिवर्तन दिखाई देता है ?



१. (अ) दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए ।

- (१) कुक ने बेचने का व्यवसाय प्रारंभ किया ।
 (अ) हस्तकला की वस्तुएँ
 (ब) खिलौने
 (क) खाद्य वस्तुएँ
 (ड) पर्यटन के टिकट

- (२) महाबलेश्वर के निकट भिलार गाँव के रूप में प्रसिद्ध है ।
 (अ) पुस्तकों का (ब) वनस्पतियों का
 (क) आमों का (ड) किलों का

(ब) निम्न में से असत्य जोड़ी में सुधार कीजिए और पुनः लिखिए ।

- (१) माथेरान - ठंडी हवा का स्थान
 (२) ताड़ोबा - गुफाएँ
 (३) कोल्हापुर - धार्मिक स्थान
 (४) अजिंठा (अजंता) - विश्व विरासत स्थान

२. निम्न कथन कारणसहित स्पष्ट कीजिए ।

- (१) वर्तमान समय में विदेश जाने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है ।
 (२) हमें अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना चाहिए ।

३. टिप्पणी लिखिए ।

- (१) पर्यटन की परंपरा (२) मार्को पोलो
 (३) कृषि पर्यटन

४. निम्न प्रश्नों के उत्तर २५ से ३० शब्दों में लिखिए ।

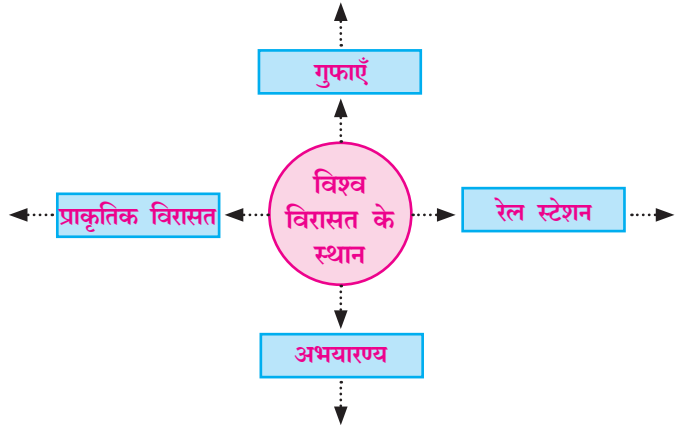
- (१) पर्यटन के विकास हेतु कौन-सी सावधानी रखना आवश्यक है?

(२) पर्यटन व्यवसाय के कारण स्थानीय स्तर पर रोजगार किस प्रकार निर्माण होता है ?

(३) पर्यटन की दृष्टि से आप अपने परिसर का किस प्रकार विकास करेंगे ?

५. निम्न संकल्पनाचित्र को स्पष्ट कीजिए ।

महाराष्ट्र के विश्व विरासत के घोषित पर्यटन स्थान...



६. निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए ।

- (१) पर्यटन से संबंधित व्यवसाय क्षेत्रों की जानकारी दीजिए ।
 (२) पर्यटन के कोई तीन प्रकार स्पष्ट कीजिए ।

उपक्रम

ऐतिहासिक स्थानों के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए । इसके लिए कौन-कौन-सी उपाय योजना की जा सकती है, इसपर विचार-विमर्श कीजिए ।



९. ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण

९.१ इतिहास के साधन और उनका संरक्षण

९.२ कुछ विख्यात संग्रहालय

९.३ ग्रंथालय और अभिलेखागार

९.४ कोश

आज हमारे पास इतिहास के अनेक साधन और उन साधनों के आधार पर लिखे गए ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। यह सब अनेक इतिहासकारों द्वारा किए गए अथक परिश्रम का फल है। यह अत्यंत अमूल्य ऐतिहासिक धरोहरें हैं। इनका संरक्षण-संवर्धन करने और उनमें से विशिष्ट दस्तावेजों (अभिलेख), ग्रंथों, पुरावस्तुओं को प्रदर्शित करने का कार्य संग्रहालय, उनसे संबंधित अभिलेखागार और ग्रंथालय करते हैं। उनके कार्यों की वैज्ञानिक जानकारी लोगों तक पहुँचे; इसके लिए उनके द्वारा शोधकार्यात्मक पत्र-पत्रिकाएँ तथा अन्य साहित्य प्रकाशित किया जाता है।

जिन दस्तावेजों और प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित नहीं किया जाता परंतु वे ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं; उन्हें अभिलेखागार में संरक्षित रखा जाता है। इन दस्तावेजों और प्राचीन वस्तुओं को अनुसंधानकर्ताओं अथवा शोधकर्ताओं को उनकी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाता है। ग्रंथालय इन ग्रंथों का संरक्षण और प्रबंधन का कार्य करते हैं।

९.१ इतिहास के साधन और उनका संरक्षण

इतिहास के साधन प्राप्त करना, उनका अंकन/लेखन कर उनकी सूची बनाना, पांडुलिपियों, प्राचीन ग्रंथों, पुरातन वस्तुओं के स्वरूप भौतिक साधनों की साफ-सफाई करना और उन्हें प्रदर्शित करना जैसी बातें बहुत सावधानी और ध्यानपूर्वक करनी पड़ती हैं। उन कार्यों के लिए विभिन्न विषयों की कृतियों का प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ही ये कार्य किए जा सकते हैं।

१. मौखिक साधन

- लोकपरंपरा के गीतों, कहानियों आदि का संकलन करना।
- संकलित साहित्य/सामग्री का वर्गीकरण और विश्लेषण करना, अन्वयार्थ स्थापित करना।
- अनुसंधानित मौखिक साहित्य का प्रकाशन करना।

आवश्यक प्रशिक्षण : (१) समाज विज्ञान (२) सामाजिक मानव विज्ञान (३) मिथक और भाषा विज्ञान (४) ग्रंथालय प्रबंधन (५) इतिहास और इतिहास अनुसंधान पद्धति (६) अनुसंधानपर लेखन।

२. लिखित साधन

- ताम्रपट, कार्यालयीन (दफ्तर) दस्तावेज, निजी पत्र और दैनंदिनी (डायरी), ऐतिहासिक ग्रंथ, पांडुलिपियाँ, चित्र, फोटो, प्राचीन ग्रंथ आदि अभिलेखों/दस्तावेजों का संग्रहण एवं संपादन करना।
- दस्तावेजों का संरक्षण करने हेतु आवश्यक साफ-सफाई करना तथा अन्य रासायनिक प्रक्रियाएँ करना।
- दस्तावेजों का ऐतिहासिक मूल्यांकन करना।
- विशिष्ट दस्तावेजों को प्रदर्शित करना।
- संपादित साहित्य और अनुसंधान के निष्कर्ष प्रकाशित करना।

आवश्यक प्रशिक्षण

१. ब्राह्मी, घसीटा (सर्पा), फारसी (पर्शियन) जैसी लिपियों और उनके विकास क्रम का ज्ञान।
२. इतिहासकालीन समाज संरचना और परंपराएँ, साहित्य और संस्कृति, राजसत्ताएँ, शासनव्यवस्था आदि का प्राथमिक ज्ञान।
३. विविध चित्रशैलियों, शिल्पकला की शैलियों और उनके विकास क्रम का ज्ञान।
४. कागजों के प्रकार, स्याही और रंगों का ज्ञान।

५. उकेरे हुए लेखों के लिए उपयोग में लाया गया पत्थर, धातुओं के स्वरूप के बारे में जानकारी ।
६. दस्तावेजों/अभिलेखों की स्वच्छता और संवर्धन के लिए आवश्यक रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए लगने वाले उपकरण और रसायनों की जानकारी ।
७. संग्रहालय की दीर्घाओं में प्रदर्शनी का प्रबंधन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी ।
८. अनुसंधानपर लेखन ।

३. भौतिक साधन

- प्राचीन वस्तुओं का संग्रहण, कालखंड और प्रकारों के अनुसार वर्गीकरण करना, सूची बनाना ।
- पुरातन वस्तुओं का संवर्धन करने के लिए आवश्यक साफ-सफाई और अन्य रासायनिक प्रक्रियाएँ करना ।
- चुनिंदा पुरातन वस्तुओं अथवा उनकी प्रतिकृतियों की प्रदर्शनी आयोजित करना ।
- पुरातन वस्तुओं से संबंधित अनुसंधानपर लेखों को प्रकाशित करना ।
- वनस्पतियों और प्राणियों के जीवाश्मों का वर्गीकरण करना । सूची बनाना ।
- चुनिंदा जीवाश्मों अथवा उनकी प्रतिकृतियों की प्रदर्शनी का आयोजन करना ।

आवश्यक प्रशिक्षण

१. पुरातत्त्ववीय अध्ययन प्रणाली, सिद्धांत और प्राचीन संस्कृति का परिचय ।
२. पुरातन वस्तुएँ बनाने के लिए उपयोग में लाये गए पत्थरों, खनिजों, धातुओं, चिकनी मिट्टी जैसे साधनों के प्रादेशिक स्रोतों और उनकी रसायन विज्ञान से संबंधित विशेषताओं का ज्ञान ।
३. पुरातन वस्तुओं की साफ-सफाई और अन्य रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए लगनेवाले उपकरणों और रसायनों की जानकारी ।
४. विभिन्न कला शैलियों और उनके विकास क्रम का ज्ञान ।
५. पुरातन वस्तुएँ और जीवाश्मों की प्रतिकृतियाँ बनाने का कौशल ।

६. संग्रहालय की दीर्घाओं में प्रदर्शनी का प्रबंधन करना और सूचना एवं प्रौद्योगिकी ।
७. अनुसंधानपर लेखन ।

९.२ कुछ विख्यात संग्रहालय

मध्ययुग में यूरोप के राजघरानों के लोग और संपन्न व्यक्ति कलावस्तुओं का संग्रह करते थे । इन कलावस्तुओं के प्रबंधन की आवश्यकता अनुभव हुई । इसी आवश्यकता में से संग्रहालय की अवधारणा का उदय हुआ ।

लुव्र संग्रहालय, फ्रांस : लुव्र संग्रहालय की स्थापना पैरिस नगरी में हुई । यह स्थापना अठारहवीं शताब्दी में हुई । फ्रांस के राजघराने के व्यक्तियों द्वारा एकत्रित की कलावस्तुओं का संग्रह पहले लुव्र संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया । उसमें विश्वविख्यात इतालवी चित्रकार लियोनार्दो-द-विंसी द्वारा चित्रित



मोनालिसा

बहुचर्चित चित्र 'मोनालिसा' का समावेश है । सोलहवीं शताब्दी में प्रथम फ्रांसिस फ्रांस नरेश था । लियोनार्दो-द-विंसी फ्रांस नरेश प्रथम फ्रांसिस के आश्रय में था । नेपोलियन बोनापार्ट अपने आक्रमणों के समय स्वदेश में बड़ी मात्रा में कला वस्तुएँ

ले आया था । इन कला वस्तुओं के कारण लुव्र संग्रहालय के संग्रह में बड़ी मात्रा में वृद्धि हो गई । इस समय इस संग्रहालय में अश्मयुग से लेकर आधुनिक समय तक की ३ लाख ८० हजार से अधिक कला वस्तुएँ हैं ।

ब्रिटिश संग्रहालय, इंग्लैंड : ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना लंदन में ई.स. की अठारहवीं शताब्दी में हुई । तत्कालीन प्रकृति वैज्ञानिक सर हैस स्लोअन ने अपने संग्रह की लगभग इकहत्तर हजार वस्तुएँ इंग्लैंड नरेश द्वितीय जॉर्ज को सुपुर्द कीं । उनमें अनेक चित्र, ग्रंथ, वनस्पतियों के नमूने आदि का समावेश था । आगे चलकर अंग्रेजों द्वारा अपने आधिपत्यवाले

विभिन्न उपनिवेशों से स्वदेश में लाई गई कला वस्तुओं और प्राचीन अवशेषों के कारण ब्रिटिश संग्रहालय में वस्तुओं की संख्या बढ़ती गई। इस समय इस संग्रहालय में लगभग ८० लाख वस्तुएँ संग्रहित हैं। इस संग्रहालय में भारत की अनेक पुरातन वस्तुओं का समावेश है।



ब्रिटिश संग्रहालय, इंग्लैंड

नैशनल म्यूजियम ऑफ नैचरल हिस्ट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका : यह प्राकृतिक इतिहास का संग्रहालय है। इसका प्रारंभ पहले १८४६ ई. में अमेरिका के स्मिथ सोनियन इन्स्टिट्यूशन संस्थान के प्रबंधन में हुआ। यहाँ वनस्पतियों, प्राणियों के अवशेषों और जीवाश्म खनिजों, पत्थरों, मानव प्रजातियों के जीवाश्मों और पुरातन वस्तुओं के १२ करोड़ से अधिक नमूने संग्रहित हैं।



नैशनल म्यूजियम ऑफ नैचरल हिस्ट्री

समझ लीजिए :

भारत के प्रसिद्ध संग्रहालय

इंडियन म्यूजियम-कोलकाता; नैशनल म्यूजियम-दिल्ली; छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय-मुंबई; सालारजंग म्यूजियम-हैदराबाद; द कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्स्टाइल्स-अहमदाबाद भारत के विख्यात संग्रहालयों में से कुछ संग्रहालय हैं।

भारत के संग्रहालय : कोलकाता का 'भारतीय संग्रहालय' भारत के प्रथम संग्रहालय-‘एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगाल’ संस्थान द्वारा १८१४ ई. में स्थापित हुआ। चेन्नई में १८५१ ई. में शुरू हुआ ‘गवर्मेंट म्यूजियम’ भारत का दूसरा संग्रहालय है। १९४९ ई. में दिल्ली के ‘राष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय’ (नैशनल म्यूजियम) की स्थापना हुई। इस समय भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक संग्रहालय हैं। अधिकांश बड़े संग्रहालयों के अपने अभिलेखागार और ग्रंथालय होते हैं। कुछ संग्रहालय विश्वविद्यालयों के साथ संलग्न होते हैं। ऐसे संग्रहालयों के माध्यम से ‘संग्रहालय विज्ञान’ विषय से संबंधित विविध पाठ्यक्रमों का अध्यापन किया जाता है।

भारत में कुछ प्रमुख संस्थान और विश्वविद्यालय हैं; जो संग्रहालय विज्ञान से संबंधित स्नातक और पदविका पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं :

१. राष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय, दिल्ली
२. महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय, वड़ोदरा
३. कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता
४. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
५. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
६. जिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, मुंबई : १९०४ ई. में मुंबई के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों ने इकट्ठे आकर प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के स्मरणार्थ एक वस्तु संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया। १९०५ ई. के नवंबर महीने में इस संग्रहालय के भवन की नींव रखी गई तथा इस संग्रहालय का नाम 'प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया' निश्चित किया गया। १९९८ ई. में संग्रहालय का नाम बदलकर 'छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय' किया गया।



छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, मुंबई

संग्रहालय की वास्तु का निर्माण कार्य इंडो-गोथिक शैली में किया गया है। इस वास्तु को मुंबई नगरी की 'प्रथम श्रेणी की सांस्कृतिक विरासत इमारत' का दर्जा दिया गया है। संग्रहालय में कला, पुरातत्त्व और प्रकृति का इतिहास इन तीन वर्गों में विभाजित लगभग पचास हजार पुरातन वस्तुएँ संग्रहित की गई हैं।

९.३ ग्रंथालय और अभिलेखागार

ज्ञान और जानकारी के भंडारगृह ग्रंथालय हैं। ग्रंथालय विज्ञान का प्रबंधन विज्ञान, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा विज्ञान जैसे विषयों के साथ निकटतम संबंध है। ग्रंथालयों द्वारा ग्रंथों का संकलन करना, उनका वैज्ञानिक ढंग से आयोजन करना, उनका संरक्षण और संवर्धन करना, जानकारी के स्रोतों का प्रसारण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए जाते

हैं। उनमें बहुत-से कार्य अद्यतन संगणकीय प्रणाली द्वारा किए जाते हैं। पाठकों को उनकी आवश्यकतानुसार निश्चित ग्रंथ उपलब्ध करा देना; यह ग्रंथालय प्रबंधन में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है।

माना जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का ग्रंथालय (ईसा पूर्व लगभग पाँचवीं शताब्दी से ई.स.की पाँचवीं शताब्दी), मेसोपोटेमिया के असीरियन साम्राज्य का सम्राट असुरबानीपाल का ग्रंथालय (ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी) और इजिप्त के अलेक्जेंड्रिया का ग्रंथालय (ईसा पूर्व चौथी शताब्दी) संसार के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथालय थे।

तमिलनाडु के तंजौर का 'सरस्वती महल ग्रंथालय' ई. स. की सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी के नायक राजाओं के कार्यकाल में बाँधा गया। १६७५ ई. में व्यंकोजीराजे भोसले ने तंजौर को जीत लिया और अपना स्वयं का राज्य स्थापित किया। व्यंकोजीराजे भोसले और उनके वंशजों ने सरस्वती महल ग्रंथालय अधिकाधिक संपन्न बनाया। उनमें सरफोजी राजे भोसले का महत्वपूर्ण योगदान था। उनकी स्मृति में १९१८ ई. में इस ग्रंथालय को उनका नाम दिया गया। इस ग्रंथालय के संग्रह में लगभग उनचास हजार ग्रंथ हैं।

भारत में अनेक ग्रंथालयों में से कुछ ग्रंथालय विशेष उल्लेख करने योग्य हैं। उनमें कोलकाता की 'नैशनल लाइब्रेरी', दिल्ली की 'नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी', हैदराबाद की 'स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी', मुंबई की 'लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी' और 'डेविड ससून लाइब्रेरी' आदि ग्रंथालयों का समावेश होता है।

अभिलेखागारों का प्रबंधन रखना तकनीकी दृष्टि से ग्रंथालय प्रबंधन का ही एक अंग है। महत्वपूर्ण अंकनवाले कागजातों/दस्तावेजों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करते हुए उन्हें सुरक्षित रखना, उनकी सूचियाँ बनाना और जब आवश्यकता हो तब उपलब्ध करा देना जैसे कार्य अभिलेखागार प्रबंधन में महत्वपूर्ण होते हैं। अतः ये अभिलेख अथवा दस्तावेज ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत विश्वसनीय

माने जाते हैं। संगणकीय प्रणालियों के उपयोग के कारण ग्रंथालय और अभिलेखागार का आधुनिक समय में प्रबंधन करना अनिवार्य रूप से सूचना एवं प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा गया है।

भारत का प्रथम सरकारी अभिलेखागार कोलकाता में १८९१ ई. में 'इंपीरियल रेकॉर्ड डिपार्टमेंट' के नाम से स्थापित हुआ। १९११ ई. में उसे दिल्ली में स्थानांतरित किया गया।

१९९८ ई. में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर.नारायणन ने घोषणा की कि इस अभिलेखागार को 'राष्ट्रीय अभिलेखागार' के रूप में जनता के लिए खोल दिया गया है। यह भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। यहाँ १७४८ ई. के पश्चात के दस्तावेज/अभिलेख क्रमिक रूप में लगाकर रखे हैं। उनमें अंग्रेजी, अरबी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, उर्दू भाषाओं और घसीटा (सर्पाफा) लिपि में अंकित बातों का समावेश है। इन अंकित बातों का वर्गीकरण चार प्रकारों-सार्वजनिक, प्राच्य विद्याविषयक, पांडुलिपियाँ और निजी कागजात/दस्तावेज में किया गया है।

इसके अतिरिक्त भारत के प्रत्येक राज्य सरकार का स्वतंत्र अभिलेखागार है। महाराष्ट्र राज्य शासन के अभिलेखागार संचालनालय की शाखाएँ मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद और नागपुर में हैं। पुणे के अभिलेखागार में मराठों के इतिहास से संबंधित लगभग पाँच करोड़ घसीटा (सर्पाफा) लिपि में लिखे गए कागजात/दस्तावेज हैं। इसे 'पेशवे दफ्तर' (पेशवाओं के कागजात) कहते हैं।

१.४ कोश

शब्दों, विविध जानकारीयों अथवा ज्ञान का वैज्ञानिक ढंग से किए गए संग्रह को कोश कहते हैं। विभिन्न प्रकार के ज्ञान का विशिष्ट पद्धति द्वारा किया गया संकलन और प्रस्तुति को कोश कहते हैं। कोश का उद्देश्य उपलब्ध ज्ञान का प्रबंधन करना और सुलभ ढंग से उसको उपलब्ध कराने की सुविधा निर्माण करना है।

कोश की आवश्यकता : कोश के कारण पाठकों तक ज्ञान पहुँचाया जाता है। उनकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया जाता है। किसी मुद्दे को विस्तार में स्पष्ट किया जाता है। पाठकों को अपने अध्यावसाय में वृद्धि करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। अध्येताओं, शोधकर्ताओं के लिए कोश ज्ञान का पूर्वसंग्रह उपलब्ध कराकर उसमें और अधिक जोड़ने की तथा अनुसंधान करने की आवश्यकता निर्माण करते हैं। कोश राष्ट्रीय, सांस्कृतिक स्थिति का प्रतीक होते हैं। समाज की बौद्धिक और सांस्कृतिक आवश्यकता जिस प्रकार की होगी; उस प्रकार के कोश का निर्माण उस-उस समाज में होता रहता है।

कोश में जानकारी देते समय अचूकता, सटीकता, वस्तुनिष्ठता, बद्धता और अद्यतनता जैसी बातों की आवश्यकता होती है। अद्यतनता को बनाए रखने के लिए निश्चित समय के उपरांत कोश के संशोधित संस्करण अथवा पूरक संस्करण निकाले जाते हैं।

कोश का निर्माण करते समय अक्षरों की बनावट और विषयवार ये दो पद्धतियाँ मोटे तौर पर उपयोग में लाई जाती हैं। यह करते समय पाठकों को सुविधा प्राप्त होगी और जानकारी खोजने में सरलता होगी; इन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। कोश के अंत में यदि सूची दी गई होगी तो पाठकों के लिए उत्तम सुविधा हो जाती है।

उपरोक्त पद्धति की कोशनिर्मिति कोई व्यक्ति अथवा संपादक मंडल कर सकता है। कोश का लेखन करते समय विविध विषयों के तज्ञों की आवश्यकता अनुभव होती है।

कोशों के प्रकार : कोशों का सामान्यतः चार विभागों में वर्गीकरण किया जा सकता है। (१) शब्दकोश (२) विश्वकोश (३) कोशसदृश वाङ्मय (४) सूची वाङ्मय।

(१) शब्दकोश : इसमें शब्दों का संग्रह, शब्दों के अर्थ, पर्यायवाची शब्द, शब्दों की व्युत्पत्ति दी जाती है। शब्दकोशों के महत्वपूर्ण प्रकारों में

सर्वसंग्राहक, विशिष्ट शब्दकोश, पारिभाषिक शब्दकोश, व्युत्पत्तिकोश, समानार्थी अथवा विरुद्धार्थी शब्दकोश, मुहावरे-कहावतों का संग्रहकोश आदि ।

(२) विश्वकोश : विश्वकोश के दो भेद हैं ।

(अ) सर्वसंग्राहक (जैसे-इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, मराठी विश्वकोश आदि)
(आ) विशिष्ट विषयपर कोश - यह किसी विशिष्ट विषय से संबंधित होते हैं । जैसे-भारतीय संस्कृति कोश, व्यायाम ज्ञानकोश आदि ।

(३) कोशसदृश वाङ्मय : इसमें किसी विषय की समग्र प्रस्तुति की जाती है । इसमें किसी विशिष्ट विषय से संबंधित लेख तज्ञों द्वारा लिखवाए जाते हैं और ग्रंथ का निर्माण किया जाता है । जैसे-महाराष्ट्र जीवन खंड-१,२, शहर पुणे खंड-१,२, ईयर बुक (मनोरमा, टाइम्स ऑफ इंडिया)

(४) सूची वाङ्मय : ग्रंथ के अंत में उस ग्रंथ के व्यक्ति, विषय, स्थान और ग्रंथों की सूची, शब्दों की क्रमबद्धता को सूची कहते हैं । यह सूची संबंधित ग्रंथ को पढ़ने में सहायता पहुँचाती है । जैसे-दाते द्वारा मराठी पत्रिकाओं की सिद्ध की हुई सूची ।

कोश और इतिहास : इतिहास विषय और कोश में वस्तुनिष्ठता को महत्त्व है । यह इन दोनों के बीच की समान डोर है । प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक भाषा के विश्वकोश अलग-अलग होते हैं क्योंकि उनका प्राथमिकताक्रम अलग-अलग होता है । कोश पर स्वराष्ट्र के उद्देश्य-नीतियों, जीवनमूल्यों, आदर्शों का प्रभाव पड़ता है । कोश पर दर्शन और परंपराओं का भी प्रभाव पड़ता है । कोशों द्वारा राष्ट्रीय अस्मिता को जागृत करने का प्रयास भी किया जा सकता है । जैसे-महादेव शास्त्री जोशी द्वारा संपादित भारतीय संस्कृति कोश । जीवन के विविध क्षेत्रों का ज्ञान सभी के विकास के लिए उपलब्ध कराना कोश निर्माण की एक प्रेरणा होती है । ज्ञानार्जन और ज्ञानप्रसार को जीवन श्रद्धा मानकर कोश निर्माण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्वरूप में प्रयास किए जाते हैं । अतः कोश को समाज का गौरव चिह्न मानना चाहिए ।



क्या, आप जानते हैं ?

पश्चिमी देशों में (१) 'नैचरल हिस्ट्री' (ई. की प्रथम शताब्दी) यह प्रथम प्लिनी द्वारा रचित कोश है ।

(२) १८ वीं शताब्दी का फ्रेंच विश्वकोश जो डिडेरॉ द्वारा लिखित है; महत्त्वपूर्ण कोश है ।

(३) इन्साइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका यह विश्वकोश सबसे पहले १७६७ ई. में प्रकाशित हुआ । यह विश्वकोश कोशनिर्माण की प्रगति यात्रा में अत्यंत महत्त्वपूर्ण चरण माना जाता है ।

संस्कृत भाषा में निघंटू, धातुपाठ जैसे शब्दकोशों की परंपरा प्राचीन है । मध्ययुग में महानुभाव पंथियों की कोशरचना, छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में बनाया गया राज्यव्यवहारकोश महत्त्वपूर्ण हैं ।

कोशरचना में समाज की प्रज्ञा और प्रतिभा की प्रातिनिधिक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है ।

इतिहास विषय से संबंधित कोश : इतिहास के विषय की कोश परंपरा समृद्ध है । रघुनाथ भास्कर गोडबोले द्वारा रचित भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश (१८७६) आद्यकोश है । भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश में प्राचीन कालखंड के व्यक्तियों और स्थानों का अंतर्भाव है । इस कोश में 'भरतवर्ष में पहले हमारे बीच जो-जो विख्यात लोग हुए हैं; उनका, उनकी पत्नियाँ, उनके पुत्र, उनके धर्म, उनके देश और राजधानियाँ तथा उन देशों की नदियाँ और पर्वत इत्यादि सहित... जो इतिहास है; वह' इसमें दिया गया है ।

श्रीधर व्यंकटेश केतकर द्वारा रचित 'महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश' के तेईस खंड हैं । मराठी लोगों को बहुश्रुत बनाएँ, उनके ज्ञान का दायरा फैले, उनके विचारों का क्षेत्र अधिक व्यापक हो और विश्व के उन्नत लोगों के साथ-साथ हमारे लोग प्रगल्भ बनें; यह ज्ञानकोश निर्माण के पीछे केतकर की भूमिका थी । इन खंडों

द्वारा केतकर ने व्यापक इतिहास की प्रस्तुति की ।

इसके बाद का महत्त्वपूर्ण कोश अर्थात् भारतवर्षीय चरित्रकोश है । सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव ने 'भारतीय चरित्रकोश मंडल' की स्थापना कर उसके द्वारा भारतवर्षीय प्राचीन चरित्रकोश (१९३२ ई.), भारतवर्षीय मध्ययुगीन चरित्रकोश (१९३७ ई.), भारतवर्षीय अर्वाचीन चरित्रकोश (१९४६ ई.) इन तीन चरित्रकोशों का संपादन करके प्रकाशित कराए । इन कोशों का अनुमान करने के लिए प्राचीन चरित्रकोश में अंकित विवरणों को देखा जा सकता है । इस कोश में श्रुति, स्मृति, सूत्र, वेदांग, उपनिषद्, पुराण तथा जैन एवं बौद्ध साहित्य में निर्देशित व्यक्तियों की जानकारी दी गई है ।



क्या, आप जानते हैं ?

कुछ वैशिष्ट्यपूर्ण कोश

- (१) संगीत शास्त्रकार एवं कलाकार का इतिहास (लक्ष्मण दत्तात्रय जोशी)
- (२) क्रांतिकारियों का चरित्रकोश (शं.रा.दाते) जिसमें भारत के लगभग २५० क्रांतिकारियों के चरित्र और तस्वीरें हैं ।
- (३) स्वतंत्रता सेनानी: चरित्रकोश (न.र.फाटक) इस कोश में स्वतंत्रता युद्ध में प्रत्यक्ष प्राणदंड, बंदीगृह भोगे हुए और स्वतंत्रतापूर्व समय में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किए हुए स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी है ।

स्थल कोश : इतिहास का अध्ययन करने के लिए भूगोल का महत्त्व है । विविध ऐतिहासिक स्थानों के संदर्भ में जानकारी देने वाले कोश हैं ।

(१) महानुभाव पंथ के मुनि व्यास द्वारा रचित स्थानपोथी (१४ वीं शताब्दी) ग्रंथ में महानुभाव पंथ के प्रवर्तक श्रीचक्रधर स्वामी जिन गाँवों में गए; उन गाँवों का विवरण अंकित है । इस ग्रंथ द्वारा तत्कालीन महाराष्ट्र की कल्पना की जा सकती है । लीलाचरित्र की विविध घटनाएँ कब, कहाँ और किन प्रसंगों के

कारण घटित हुई; यह भी स्थान पोथीकार बताते हैं । अतः श्रीचक्रधर स्वामी का चरित्र लिखने के लिए यह उत्तम संदर्भ ग्रंथ है ।

(२) प्राचीन भारतीय स्थलकोश (१९६९ ई.) : इस कोश का निर्माण सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव ने किया है । इस कोश में वैदिक साहित्य, कौटिलीय अर्थशास्त्र, पाणिनि का व्याकरण, वाल्मीकि-रामायण, महाभारत, पुराण, मध्ययुगीन संस्कृत और शब्दकोश साहित्य तथा फारसी, जैन, बौद्ध, ग्रीक और चीनी साहित्य में उल्लिखित भौगोलिक स्थानों की जानकारी दी गई है ।

विश्वकोश : महाराष्ट्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण थे । उन्होंने मराठी भाषा और साहित्य की अभिवृद्धि के लिए महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल की ओर से मराठी विश्वकोश निर्माण को प्रोत्साहन दिया । तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी के मार्गदर्शन में विश्व कोश निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ । इन कोशों में विश्वभर का ज्ञान सार रूप में लाया गया है । इतिहास विषय से संबंधित महत्त्वपूर्ण विवरण इसमें अंकित है ।

भारतीय संस्कृति कोश : महादेव शास्त्री जोशी के संपादकत्व में भारतीय संस्कृति कोश के दस खंड बनाए गए । इन कोशों में आसेतुहिमाचल जैसे भारत का इतिहास, भूगोल, भिन्न-भिन्न भाषाई लोग, उनके द्वारा रचा गया इतिहास, तीज-त्योहार, सांस्कृतिक बातों का उल्लेख किया गया है ।

संज्ञा कोश : इतिहास की संज्ञाएँ अथवा अवधारणाएँ अलग कर उन्हें स्पष्ट और समझाकर बताने वाले कोश इतिहास में तैयार किए जाते हैं । अध्ययनकर्ताओं को उसका उपयोग होता है ।

इतिहास विषय के अध्ययनकर्ताओं को कोश निर्माण कार्य में भरपूर अवसर उपलब्ध हैं । किसी भी विषय से संबंधित कोश हो; उसे इतिहास से जोड़ना आवश्यक होता है । प्रत्येक विषय का अपना इतिहास होता है । इतिहास के अध्ययनकर्ता कोशों के अध्ययन द्वारा घटना कोश, दिनविशेष, व्यक्ति

कोश, संज्ञा कोश, स्थान कोश आदि कोश तैयार करने में सहभागी बन सकते हैं।

इस पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करने के पश्चात आपके ध्यान में आया होगा कि इतिहास विषय में प्रवीणता प्राप्त करें तो अनेक क्षेत्रों में व्यवसाय के

अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। इस पाठ्यपुस्तक में दी गई जानकारी का उपयोग कर आप अपनी रुचि और पसंद के अनुसार भविष्य के कार्यक्षेत्र का चुनाव कर सकेंगे।



स्वाध्याय

१. (अ) दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए।

- (१) विश्वविख्यात इतालवी चित्रकार लियोनार्दो-द-विंसी द्वारा खींचा हुआ चित्र का समावेश लुव्र संग्रहालय में है।
 (अ) नेपोलियन (ब) मोनालिसा
 (क) हैस स्लोअन (ड) द्वितीय जॉर्ज
- (२) कोलकाता का भारत का प्रथम संग्रहालय है।
 (अ) गवर्मेंट म्यूजियम
 (ब) राष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय
 (क) छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय
 (ड) भारतीय संग्रहालय

(ब) निम्न में से असत्य जोड़ी में सुधार कीजिए और पुनः लिखिए।

- (१) महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय - दिल्ली
 (२) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय - वाराणसी
 (३) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी - अलीगढ़
 (४) जिवाजी विश्वविद्यालय - ग्वालियर

२. निम्न कथन कारणसहित स्पष्ट कीजिए।

- (१) अभिलेखागार और ग्रंथालय पत्रिकाएँ और अन्य साहित्य प्रकाशित करते हैं।
 (२) विविध विषयों से संबंधित कार्य करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

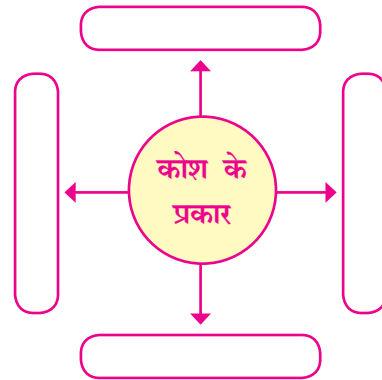
३. टिप्पणी लिखिए।

- (१) स्थल कोश (२) विश्वकोश
 (३) संज्ञा कोश (४) सरस्वती महल ग्रंथालय

४. निम्न प्रश्नों के उत्तर २५ से ३० शब्दों में लिखिए।

- (१) ग्रंथालय प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है?
 (२) अभिलेखागार प्रबंधन में कौन-से कार्य महत्वपूर्ण माने जाते हैं?

५. निम्न संकल्पना चित्र को पूर्ण कीजिए।



उपक्रम

अंतरजाल की सहायता से महाराष्ट्र के प्रमुख ग्रंथालयों की जानकारी प्राप्त कीजिए। अपने परिसर के ग्रंथालय में जाइए और वहाँ की कार्यप्रणाली को समझिए।



राजनीति विज्ञान

अनुक्रमणिका

संविधान की प्रगति

क्र.	पाठ का नाम	पृष्ठ क्रमांक
१.	संविधान की प्रगति	६९
२.	चुनाव प्रक्रिया	७५
३.	राजनीतिक दल	८२
४.	सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन	९१
५.	भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियाँ	९७

क्षमता विधान

अ.क्र.	घटक	क्षमताएँ
१.	संविधान की प्रगति	■ संविधान के कारण भारतीय लोकतंत्र सशक्त हुआ; इसका बोध करना । ■ संविधान की प्रगति सामाजिक परिवर्तन की दिशा में हो रही है, इसे बता सकना ।
२.	चुनाव प्रक्रिया	■ निर्वाचन आयोग के महत्त्व को समझना । ■ चुनाव में प्रत्येक मतदाता वोट दे और यह उसका संवैधानिक उत्तरदायित्व है; यह बोध विकसित करना । ■ चुनाव प्रक्रिया में जनता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है; उसे पहचानना । ■ चुनाव प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो क्लिप की सहायता लेना । ■ निर्वाचन क्षेत्र के मानचित्र में स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र को ढूँढ़ना । लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को ढूँढ़ना और दर्शाना ।
३.	राजनीतिक दल (राष्ट्रीय)	■ राजनीतिक दलों की जिम्मेदारियों एवं कार्यों को समझना । ■ नवगठित राजनीतिक दलों की कारण मीमांसा करना आना । ■ भारत के राजनीतिक दलों की नीतियों के बीच तुलना करके निष्कर्ष निकालना। ■ राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्नों की संग्रह सारिणी बनाना ।
४.	राजनीतिक दल (प्रादेशिक)	■ महाराष्ट्र के प्रादेशिक दलों के सिद्धांत और कार्य को बताना । ■ किसी दल के नेताओं, उनकी सभाओं से संबंधित समाचारों का संग्रह करना । ■ क्षेत्रीय दल प्रबल क्यों बनते हैं, उसपर विचार-विमर्श करना आना ।
५.	सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन	■ सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का अर्थ ग्रहण करना । ■ सामाजिक आंदोलन जनजागृति के लिए कौन-कौन-से मार्गों को अपनाते हैं, उसे पहचानना आना । ■ महिला और अन्य दुर्बल वर्गों के सक्षमीकरण का अर्थ बताना आना । ■ किसानों और श्रमिकों की माँगों की जानकारी प्राप्त करना । ■ विद्यार्थी आंदोलन से संबंधित समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों को संग्रहित करना ।
६.	भारत के सामने चुनौतियाँ	■ 'विविधता में एकता' का अर्थ स्पष्ट करना आना । ■ भारत की विविधता के प्रति सम्मान करने की वृत्ति को विकसित करना । ■ विभिन्न चुनौतियों का वस्तुनिष्ठ स्वरूप स्पष्ट करना । ■ आंतरिक चुनौतियों का सामना किस प्रकार किया जाता है, इसका विवेचन करना आना ।

१. संविधान की प्रगति

राजनीति विज्ञान की अब तक की पाठ्यपुस्तकों में हमने स्थानीय शासन संस्थाओं, भारतीय संविधान में निहित विभिन्न मूल्यों और उनके द्वारा अभिव्यक्त सिद्धांतों के साथ-साथ संविधान द्वारा निर्मित शासन प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत का स्थान आदि की विस्तृत समीक्षा की है। भारतीय संविधान ने भारत को पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने का उद्देश्य रखा है। नागरिकों को न्याय मिले, उनकी स्वतंत्रता अबाधित रहे; इसके लिए संविधान में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। सामाजिक न्याय और समता पर आधारित प्रगत एवं विकसित समाज निर्माण के साधन के रूप में भारतीय संविधान की ओर देखा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार २६ जनवरी १९५० से शासन चलाना प्रारंभ हुआ। तब से लेकर वर्तमान समय तक संविधान के आधार पर जिस प्रकार की शासन व्यवस्था रही; उसके द्वारा भारतीय लोकतंत्र का व्यापक होता गया प्रारूप, भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन और सामाजिक न्याय तथा समता को स्थापित करने की दृष्टि से जो कदम उठाए गए; उसकी प्रस्तुत प्रकरण में हम संक्षेप में समीक्षा करेंगे। यह पाठ्यांश (१) लोकतंत्र (२) सामाजिक न्याय और समता (३) न्यायव्यवस्था इन तीन मुद्दों तक सीमित है।

लोकतंत्र

राजनीतिक परिपक्वता : लोकतंत्र में मात्र लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की संरचना ही महत्वपूर्ण नहीं होती है अपितु उस संरचना के आधार पर प्रत्यक्ष रूप में व्यवहार किए जाने पर ही लोकतंत्र समाज के राजनीतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। उसी के अनुसार हमारे देश में लोगों को सीधे-सीधे प्रतिनिधित्व प्रदान करनेवाली संसद, राज्य विधान सभाएँ और स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाएँ हैं। यदि

इनमें समाज का सहभाग और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पर विचार करें तो भारत में लोकतंत्र व्यापक स्तर पर सफल हुआ दिखाई देता है। निर्धारित समय के बाद पारदर्शक और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न होनेवाले चुनाव हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनसंख्या और विस्तार को ध्यान में लें तो हमारे विशाल देश में विभिन्न स्तरों पर चुनाव संपन्न कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। निरंतर होनेवाले चुनावों के कारण भारतीय मतदाताओं की राजनीतिक समझ अधिक परिपक्व होने में सहायता प्राप्त हुई है। चुनावों के बीच घोषित होने वाली सार्वजनिक नीतियों और समस्याओं के विषय में भारतीय मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सार्वजनिक समस्याओं के विकल्पों पर सोच-विचार करके मतदान करने की मानसिकता में वृद्धि हुई है।

मताधिकार : भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया ही गया था। उसके अनुसार मताधिकार का दायरा मूलतः व्यापक था। मताधिकार के संकुचित करनेवाले जो प्रावधान स्वतंत्रतापूर्व काल में प्रचलित थे, वे सभी पूर्णतः नष्ट किए गए तथा स्वतंत्र भारत में देश के प्रत्येक भारतीय स्त्री-पुरुष के लिए २१ वर्ष आयु की शर्त निर्धारित करके उन्हें संविधान द्वारा मतदान का अधिकार प्रदान किया गया था। इस अधिकार को और व्यापक करके मतदाता की आयु २१ वर्ष से १८ वर्ष तक कम की गई। फलस्वरूप स्वतंत्र भारत की युवा पीढ़ी को राजनीतिक क्षितिज प्राप्त हुआ। लोकतंत्र की व्याप्ति बढ़ानेवाले इस परिवर्तन के कारण भारतीय लोकतंत्र को संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। विश्व में सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या केवल भारत में पाई जाती है। यह परिवर्तन केवल संख्यात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक भी है। कई राजनीतिक दल

इन्हीं युवा मतदाताओं के समर्थन से सत्ता की प्रतियोगिता में उतर आए हैं। इस कारण भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप भी बदल गया है। लोगों की इच्छाओं-आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से आज कई राजनीतिक दल इस प्रतिद्वंद्विता में दिखाई देते हैं।

लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण : सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र का मौलिक घटक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण होने से सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के साथ-साथ सामान्य जनता को भी सत्ता में सहभागी होने के अवसर प्राप्त होते हैं। लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में संविधान के दिशानिदेशक सिद्धांतों में प्रावधान किए गए हैं। स्थानीय स्तर की शासन संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार प्रदान करके उनके द्वारा वास्तविक लोकतंत्र को प्रत्यक्ष रूप देने का दिशानिदेशक सिद्धांत उसमें निहित है। उसको ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए कई प्रयत्न किए गए। इनमें सबसे बड़ा प्रयत्न ७३ और ७४ वें संविधान संशोधन का था। इन संशोधनों से स्थानीय शासन संस्थाओं को संविधान की स्वीकृति तो मिली इसके साथ-साथ उनके अधिकारों में अधिक मात्रा में वृद्धि भी हो गई।

क्या आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित परिवर्तन किन कारणों से हुए हैं ?

- सत्ता में महिलाओं का सहभाग बढ़ाने हेतु उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे गए।
- दुर्बल समाज वर्ग सत्ता में सहभागी हो सकें; इस उद्देश्य से उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे गए।
- राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया।
- संविधान में ११ एवं १२ इन दो नए परिशिष्टों का समावेश किया गया।

सूचना का अधिकार (R.T.I.2005) : लोकतंत्र में नागरिकों का सक्षमीकरण कई रूपों में होना चाहिए। नागरिकों को सहभागी होने का अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उनके साथ सरकार

का संवाद बढ़ाना चाहिए। सरकार और नागरिकों के बीच जितनी दूरी कम रहेगी और संवाद अधिक होगा; उतनी मात्रा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुदृढ़ और प्रबल होती जाती है। सरकार द्वारा पारस्परिक विश्वास बढ़ाने हेतु कौन-से कदम उठाए जाते हैं, इसकी जानकारी नागरिकों को मिलनी चाहिए। सुशासन की दो विशेषताओं - पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को प्रत्यक्ष रूप में उतारने के लिए भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया। सूचना के अधिकार के कारण सरकारी कार्यवाही में रखी जानेवाली गोपनीयता कम हो गई तथा सरकारी कामकाज में स्पष्टता और पारदर्शिता आने में मदद मिल गई।

२००० ई. के बाद नागरिकों के लिए सुधार उपलब्ध कराते समय, वह उनका अधिकार है; यह मानकर सुधार की तरफ ध्यान दिया गया। उसके अनुसार सूचना, शिक्षा और खाद्यान्न सुरक्षा का अधिकार भारतीयों को मिला। इन अधिकारों से भारतीय लोकतंत्र निश्चित रूप से प्रबल हुआ है।



क्या, आप जानते हैं ?

अधिकांशित दृष्टिकोण (Rights based approach) : स्वतंत्रता के पश्चात कुछ दशकों तक

भारत में लोकतांत्रिकीकरण हो; इसके लिए कई सुधार किए गए परंतु उसमें नागरिकों को 'लाभार्थी' की दृष्टि से देखा गया। पिछले कुछ दशकों में हो रहे सुधार 'नागरिकों के वे अधिकार हैं,' इस भूमिका से किए जा रहे हैं।

इस प्रकार का दृष्टिकोण रखने से शासन और नागरिकों के संबंधों में कौन-कौन-से परिवर्तन आ सकते हैं। इसपर आपका क्या मत है ?

चर्चा कीजिए-

क्या आपको ऐसा लगता है कि भारतीय नागरिकों को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए ?

आपकी दृष्टि से सभी को आवास का अधिकार मिल गया तो अपने देश के लोकतंत्र पर उसके क्या परिणाम होंगे ?

सामाजिक न्याय और समता

सामाजिक न्याय और समता हमारे संविधान के प्रमुख उद्देश्य हैं। इन दो मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का निर्माण करना हमारा प्रमुख ध्येय है। संविधान में भी इस दिशा में अग्रसर होने का मार्ग स्पष्ट किया गया है और इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।

सामाजिक न्याय को प्रस्थापित करने से तात्पर्य है जिन सामाजिक कारणों से व्यक्तियों पर अन्याय होता है, उस अन्याय को दूर करना और व्यक्ति के रूप में, सभी का स्तर समान होता है; इसका आग्रह करना। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान, वंश, संपत्ति के आधार पर ऊँच-नीच का भेदभाव न करते हुए सभी को विकास के समान अवसर प्रदान करना न्याय और समता के प्रमुख उद्देश्य हैं।

सामाजिक न्याय और समता प्रस्थापित करने के लिए समाज में सभी स्तरों पर प्रयत्न करने पड़ते हैं परंतु सरकार की नीतियों और अन्य प्रयत्नों को विशेष महत्त्व है। लोकतंत्र को अधिकाधिक सर्वसमावेशक बनाने के लिए सभी सामाजिक घटकों का मुख्य प्रवाह में आना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र सभी समाज घटकों को समाहित कर लेने की प्रक्रिया है। ऐसे ही समावेशित लोकतंत्र के कारण समाज में निहित संघर्ष कम होते हैं। इस दिशा में हमारे देश में कौन-कौन से कदम उठाए गए, उसकी हम चर्चा करेंगे।

● **आरक्षित स्थानों की नीति :** जो जन समूह अथवा सामाजिक वर्ग शिक्षा और रोजगारों के अवसरों से दीर्घकाल से वंचित रहे हैं, ऐसे सामाजिक वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की नीति बनाई गई। उसके अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में कुछ स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। उसी प्रकार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षित स्थानों का प्रावधान है।

● **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करनेवाला कानून :** सामाजिक न्याय और समता प्रस्थापित करने के



करके देखें-

उपर्युक्त कानून में निहित प्रावधान पढ़िए। अध्यापकों की मदद से उसे समझ लीजिए। अत्याचार न हो; इसके लिए अन्य किन उपायों की जरूरत है?

उद्देश्य से यह एक महत्त्वपूर्ण कानून बनाया गया। इस कानून द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार के होनेवाले अन्याय पर प्रतिबंध लगाया गया। यदि किसी प्रकार का अत्याचार होता है तो दंड का प्रावधान किया गया है।

● **अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधान :** भारतीय संविधान द्वारा अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा हेतु कई प्रावधान किए गए। अल्पसंख्यक लोगों को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्राप्त हों, इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ क्रियान्वित की गई हैं। भारतीय संविधान द्वारा जाति, धर्म, वंश, भाषा और प्रदेश के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अल्पसंख्यकों के विषय में यह प्रावधान व्यापक रूप में है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अन्याय और शोषण के विरुद्ध का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों के फलस्वरूप अल्पसंख्यक वर्ग को मौलिक रूप से संरक्षण प्राप्त हुआ है।

● **महिलाओं से संबंधित कानून और प्रतिनिधित्व विषयक प्रावधान :** स्वातंत्र्योत्तर समय से महिला सक्षमीकरण हेतु प्रयासों की शुरुआत हुई। महिलाओं में व्याप्त निरक्षरता को दूर करना और उन्हें विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करना, उसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखकर कुछ नीतियाँ निर्धारित की गईं।

महिलाओं की उन्नति और अधिकारों की रक्षा करने के लिए उसे पिता और पति की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा, दहेज प्रतिबंधक कानून, यौन

अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करनेवाला कानून तथा घरेलू हिंसा प्रतिबंधक कानून जैसे महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। इन प्रावधानों के फलस्वरूप महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता को अबाधित रखने और स्वयं का विकास साधने हेतु अनुकूल वातावरण बन गया।

हमारे देश में राजनीति और राजनीतिक संस्थाओं में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व शुरू से ही कम है। विश्व के कई देशों ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए। भारत में भी इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। ७३ और ७४ वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए ३३% स्थान आरक्षित किए गए। तत्पश्चात

यह अनुपात महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में ५० प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। राज्य में भी राज्य महिला आयोग है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करनेवाला कानून लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्त्री की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को बनाए रखने की आवश्यकता इस कानून द्वारा अधोरेखांकित की गई। परंपरागत वर्चस्व और अधिकारतंत्र को विरोध करनेवाले इस निर्णय से भारतीय लोकतंत्र और व्यापक हो गया। उसमें होने वाला समावेशन (inclusion) अधिक अर्थपूर्ण हुआ।



करके देखें-

लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

अ. क्र.	वर्ष	महिला सांसदों की संख्या	महिला सांसदों का प्रतिशत
१.	१९५१-५२	२२	४.५०%
२.	१९५७	२२	४.४५%
३.	१९६२	३१	६.२८%
४.	१९६७	२९	५.५८%
५.	१९७१	२८	५.४१%
६.	१९७७	१९	३.५१%
७.	१९८०	२८	५.२९%
८.	१९८४	४३	७.९५%
९.	१९८९	२९	५.४८%
१०.	१९९१	३९	७.३०%
११.	१९९६	४०	७.३७%
१२.	१९९८	४३	७.९२%
१३.	१९९९	४९	९.०२%
१४.	२००४	४५	८.२९%
१५.	२००९	५९	१०.८७%
१६.	२०१४	६६	१२.१५%

साथवाली तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

- किस वर्ष के चुनाव में महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी?
- किस वर्ष के चुनाव में महिला सांसदों की संख्या सर्वाधिक थी?
- तालिका में निहित जानकारी के आधार पर लोकसभा चुनाव में जीतकर आई महिला सांसदों का (१९५१-२०१४) वृत्तालेख (Pie Chart)/ स्तंभालेख (Bar Chart) तैयार कीजिए।

क्या लगता है आपको?

सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की दृश्यता (visibility) कम ही रही है। अगर महिलाओं के लिए परिवार संरचना, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र की निर्णय प्रक्रिया में अधिकाधिक अवसर दिए जाएँ तो समग्र राज्य शासन को नई दिशा मिलेगी। इसके लिए प्रातिनिधिक संस्थाओं में महिलाओं का सहभाग बढ़ना चाहिए।

न्यायालय की भूमिका

लोकतंत्र को सशक्त बनाने की प्रक्रिया में और

सामाजिक न्याय व समता जैसे उद्देश्यों की पूर्ति करने की दिशा में देश को सफल बनाने में भारतीय

न्यायालयों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। न्यायालय ने संविधान में निहित प्रावधानों की व्याख्या करते समय संविधान में निहित मूल उद्देश्यों और संविधानकारों के उद्दिष्टों को प्रधानता दी है। इस संदर्भ में न्यायालय का जो योगदान रहा है, उसे हम निम्न मुद्दों के आधार पर समझेंगे।

(१) संविधान का मौलिक ढाँचा : संविधान प्रवहमान होता है। उसका स्वरूप किसी जीवित दस्तावेज (living document) की तरह होता है। परिस्थितियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन करने पड़ते हैं और वह अधिकार अर्थात् संसद को प्राप्त है। संसद के इस अधिकार को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने संविधान के अधिकारों की सीमाओं का बोध संसद को कराया है। संविधान में परिवर्तन करते समय संसद संविधान के मौलिक ढाँचे (Basic structure of the Constitution) को चोट अथवा क्षति नहीं पहुँचा सकती; यह भूमिका न्यायालय ने अपनाई।

यह भी समझ लें।

संविधान के मौलिक ढाँचे में सामान्यतः निम्न प्रावधानों का समावेश होता है।

- शासन का गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप
- संविधान का संघराज्यात्मक स्वरूप
- देश की एकता और एकात्मकता का संवर्धन
- देश की संप्रभुता
- पंथनिरपेक्षता और संविधान की सर्वश्रेष्ठता

(२) महत्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय : संविधान में निहित मौलिक अधिकारों द्वारा नागरिकों को प्राप्त संरक्षण को और अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए न्यायालय ने कई निर्णय किए हैं। न्यायालय ने जिन महत्वपूर्ण विषयों के संदर्भ में अनेक निर्णय किए हैं; उनमें बालकों का अधिकार, मानवाधिकारों का संरक्षण, महिलाओं की प्रतिष्ठा और उनके प्रति आदर बनाए रखने की आवश्यकता, व्यक्ति की

समझ लें! कुछ महत्वपूर्ण हैं -

लोकतंत्र के लिए सुशासन का होना आवश्यक है। उसके लिए निम्नलिखित विशेषताओं का समावेश आवश्यक है। सुशासन की इन विशेषताओं को लोकतंत्र में लाने के लिए क्या करना चाहिए?

- उत्तरदायित्व/जिम्मेदारी को भलीभाँति समझनेवाली सरकार
- प्रभावी और कार्यक्षम सरकार
- प्रतिसादात्मक सरकार
- पारदर्शी प्रशासन
- न्यायपूर्ण और सर्वसमावेशक विकास
- प्रशासकीय व्यवस्था और निर्णय प्रक्रिया में जनता की सहभागिता

स्वतंत्रता, आदिवासियों का सक्षमीकरण जैसे विषयों का समावेश किया जा सकता है। इन विषयों के संदर्भ में न्यायालय ने जो निर्णय किए हैं; उन निर्णयों के कारण भारत की राजनीतिक प्रक्रिया परिपक्व होने में सहायता प्राप्त हुई है।

मालूम कर लें

वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय ने ऊपरी विषयों के संदर्भ में कौन-से निर्णय किए हैं; उन्हें ढूँढ़िए और उनपर विचार-विमर्श कीजिए।

भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में संविधान और उसपर आधारित सरकार द्वारा की गई प्रगति की हमने यहाँ समीक्षा की है। फिर भी भारतीय लोकतंत्र के सामने अनेक चुनौतियाँ हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों से सभी समस्याओं का हल हो गया। आज भी हमारे सामने अनेक नई समस्याएँ हैं परंतु लोकतंत्र के लिए आवश्यक ऐसा जनमानस उत्पन्न हुआ है।

अगले प्रकरण में हम भारतीय चुनाव प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करेंगे।



१. निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए ।

- (१) महाराष्ट्र में स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए..... स्थान आरक्षित रखे गए हैं ।
 (अ) २५% (ब) ३०%
 (क) ४०% (ड) ५०%
- (२) निम्न में से किस कानून ने महिलाओं को स्वतंत्रता का संरक्षण करने और स्वयं का विकास साधने के लिए अनुकूल परिस्थिति निर्माण की है?
 (अ) सूचना का अधिकार कानून
 (ब) दहेज प्रतिबंधक कानून
 (क) खाद्यान्न सुरक्षा का कानून
 (ड) इनमें से कोई नहीं ।
- (३) लोकतंत्र का मूल आधार अर्थात्
 (अ) वयस्क मताधिकार
 (ब) सत्ता का विकेंद्रीकरण
 (क) आरक्षित स्थानों की नीति
 (ड) न्यायालयीन निर्णय

२. निम्न कथन सत्य या असत्य है, सकारण स्पष्ट कीजिए ।

- (१) भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है ।
- (२) सूचना के अधिकार के कारण शासन व्यवस्था में गोपनीयता बढ़ गई है ।
- (३) संविधान का स्वरूप किसी जीवित दस्तावेज की तरह होता है ।

३. टिप्पणी लिखिए -

- (१) अल्पसंख्यक संबंधी प्रावधान
 (२) आरक्षित स्थान संबंधी नीति
 (३) लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

४. निम्न संकल्पनाओं को स्पष्ट कीजिए -

- (१) अधिकाराधिष्ठित दृष्टिकोण
 (२) सूचना का अधिकार

५. निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए -

- (१) मतदाता की आयु सीमा २१ वर्ष से घटाकर १८ वर्ष करने के क्या परिणाम हुए ?
- (२) सामाजिक न्याय को पुनर्स्थापित करने का अर्थ क्या है ?
- (३) न्यायालय द्वारा दिए गए किन निर्णयों से महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा हुई है ?

उपक्रम

- (१) सूचना के अधिकार द्वारा हम कौन-कौन-सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अध्यापकों के सहयोग से जानकारी प्राप्त कीजिए ।
- (२) अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए शासन द्वारा कौन-कौन-सी सुविधाएँ दी जाती हैं, उनकी सूची तैयार कीजिए ।
- (३) राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अधिकृत संकेत स्थल (वेबसाइट) से निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए ।
- (४) अपने क्षेत्र की स्थानीय शासन संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करनेवाली महिला प्रतिनिधियों से साक्षात्कार कीजिए ।



3J8M2J

२. चुनाव प्रक्रिया

भारतीय लोकतंत्र की दिशा में जो प्रगति हुई है; उसमें चुनावों का बहुत बड़ा योगदान है। चुनाव और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और चुनावों के माध्यम से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, यह तो हम जानते ही हैं। चुनावों के कारण शांतिपूर्ण मार्ग से सत्ता परिवर्तन होता है। विभिन्न राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का अवसर प्राप्त होता है। शासन की नीतियों में परिवर्तन आता है और समाज जीवन में भी परिवर्तन होता है। हम जिन प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, वे कार्यक्षम, ईमानदार, विश्वासपात्र और लोगों की भावनाओं का सम्मान करें, ऐसी हमारी सोच होती है। जिस चुनाव प्रक्रिया द्वारा हम अपने प्रतिनिधियों को चुनने वाले हैं, वह चुनाव प्रक्रिया भी खुली, निष्पक्ष और विश्वसनीय होनी चाहिए। इस दृष्टि से भारतीय संविधान द्वारा चुनाव संपन्न कराने के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है।

भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य स्तर पर कार्यरत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा देश में सभी महत्वपूर्ण चुनाव करवाए जाते हैं। निर्वाचन की तारीखों की घोषणा करने से लेकर चुनावों के परिणाम घोषित करने तक की पूरी चुनावी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन और नियंत्रण में चलती है।



क्या, आप जानते हैं ?

प्रतिनिधित्व किसे कहते हैं? आधुनिक लोकतंत्र एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। लोकतंत्र की निर्णय प्रक्रिया में पूरी जनता का समावेश करना संभव नहीं है। इसलिए जनता अपनी ओर से कुछ लोगों को शासन चलाने के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुनने की पद्धति का निर्माण हुआ। प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी रहकर जनकल्याण को प्रधानता देते हुए शासन चलाएँ, ऐसी अपेक्षा की जाती है।

एक बड़े और व्यापक जनतंत्र प्रक्रिया का चुनाव प्रक्रिया एक अविभाज्य घटक है।

प्रस्तुत पाठ में हम निर्वाचन आयोग की संरचना, कार्य और भूमिका आदि की जानकारी प्राप्त करेंगे। चुनावी प्रक्रिया में कौन-कौन-से सुधार होना आवश्यक है, इसकी भी चर्चा हम इस पाठ में करेंगे।

निर्वाचन आयोग

भारतीय चुनाव प्रक्रिया के केंद्र स्थान में निर्वाचन आयोग ही है। भारतीय संविधान की धारा ३२४ द्वारा एक स्वायत्त व्यवस्था का निर्माण किया गया है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दो उपआयुक्त होते हैं।

निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता अबाधित रहे; इसलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को बड़ी सरलता से या किसी राजनीतिक कारण से पद से हटाया नहीं जाता। निर्वाचन आयोग के व्यय के लिए स्वतंत्र वित्तीय प्रावधान किया गया है।



क्या, आप जानते हैं ?



सुकुमार सेन

स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। १९२१ ई. में सेन अंग्रेजों की प्रशासनिक सेवा में दाखिल हुए। कालांतर में १९५० ई. में निर्वाचन आयोग की स्थापना की

गई और उन्हें चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई। बड़ी ही प्रतिकूल और विकट परिस्थिति में भी उन्होंने बड़ी कुशलता से निर्वाचन आयोग का कामकाज संभाला।

निर्वाचन आयोग में स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग नहीं है। अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सहयोग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जाती है।

निर्वाचन आयोग के कार्य

(१) मतदाताओं की सूची तैयार करना : १८ वर्ष पूर्ण आयुवाले हर भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार का उपयोग करने के लिए उसका नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। मतदाताओं की सूची बनाना, उसे अद्यतन बनाए रखना, नए मतदाताओं का समावेश करना आदि कई प्रकार के कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। मतदाताओं को पहचानपत्र देने का अधिकार निर्वाचन आयोग को प्राप्त है।



क्या, आप जानते हैं ?

मतदाता पंजीकरण के लिए विशेष मतदाता जागृति अभियान चलाया जाता है। उसके लिए 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' मनाया जाता है।

(२) चुनावों की समय सारिणी और संपूर्ण कार्यक्रम निर्धारित करना : चुनावों को पूर्ण रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर होने के कारण किस राज्य में कब और कितने चरणों में चुनाव करवाने हैं, इसका निर्णय आयोग लेता है।

(३) प्रत्याशियों/उम्मीदवारों के आवेदनों की छानबीन : चुनावों की तारीखों की घोषणा होने के



ऐसा क्यों करना पड़ता है ?

- प्रत्याशी के चुनाव में खड़े होने के लिए आयु सीमा की शर्त होती है, फिर भी अन्य जानकारी निर्वाचन आयोग को देना क्यों आवश्यक है ?
- प्रत्याशी को अपने पास की संपत्ति का ब्यौरा निर्वाचन आयोग को क्यों देना पड़ता है ?

बाद विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने प्रत्याशियों को चुनाव में खड़े करते हैं। साथ ही; कुछ प्रत्याशी किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन न लेते हुए स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं। ऐसे निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ-साथ सभी प्रत्याशियों को नामांकनपत्र भरना पड़ता है। उसमें स्वयं की संपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी लिखनी पड़ती है। निर्वाचन आयोग द्वारा इन आवेदनपत्रों की कड़ी जाँच पड़ताल/छानबीन की जाती है और पात्र प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है।

(४) राजनीतिक दलों को मान्यता देना : अपने देश में बहुदलीय पद्धति है। साथ ही नए-नए राजनीतिक दलों का गठन होता रहता है। राजनीतिक दलों में फूट पैदा होकर नए राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। ऐसे सभी दलों को निर्वाचन आयोग की मान्यता लेना अनिवार्य होता है। किसी राजनीतिक दल की मान्यता को समाप्त करने का अधिकार भी निर्वाचन आयोग को है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न प्रदान करता है।

क्या आप बता सकते हैं ?

निर्वाचन आयोग किन निकषों पर राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है ?



ऐसा क्यों ?

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित रखे जाते हैं ?
- सभी राजनीतिक दलों के अपने चुनाव चिह्न होते हैं।
- मतदान और मतगणना के समय राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं।
- दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे संचार माध्यमों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को समान अवसर प्राप्त रहता है।

(५) चुनाव से संबंधित विवादों को हल करना : चुनाव के संदर्भ में अगर कोई विवाद छिड़ जाता है, तो उसे हल करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर होती है। तदनुसार किसी चुनाव क्षेत्र में दोबारा चुनाव करवाना या किसी प्रत्याशी को अपात्र घोषित करना जैसे कार्य भी निर्वाचन आयोग करता है।

निर्वाचन क्षेत्र की पुनर्रचना : लोकसभा के कुल ५४३ सदस्य हैं। इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्येक सदस्य एक निर्वाचन क्षेत्र का

प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात् लोकसभा के ५४३ निर्वाचन क्षेत्र हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करने का कार्य चुनाव आयोग की सीमांकन/परिसीमन (Delimitation Commission) समिति द्वारा किया जाता है। यह समिति किसी के भी दबाव

आप क्या करेंगे ?

मतदान करना आपका कर्तव्य है और दायित्व भी !



निम्नलिखित में से किन दो कारणों से आचारसंहिता का भंग होता है, ऐसा आपको लगता है ?

- * प्रत्याशियों का बस्ती के लोगों में घरेलू चीजों का वितरण करना।
- * चुने जाने पर जलापूर्ति की समस्या हल करने का आश्वासन देना।
- * घर-घर जाकर मतदाताओं से मिलना और जिता देने के लिए प्रार्थना करना।
- * जाति या धर्म की दुहाई देकर समर्थन प्राप्त करना।

मतदाताओं के लिए बनाई गई आचारसंहिता में आप अन्य किन नियमों का समावेश करेंगे ?

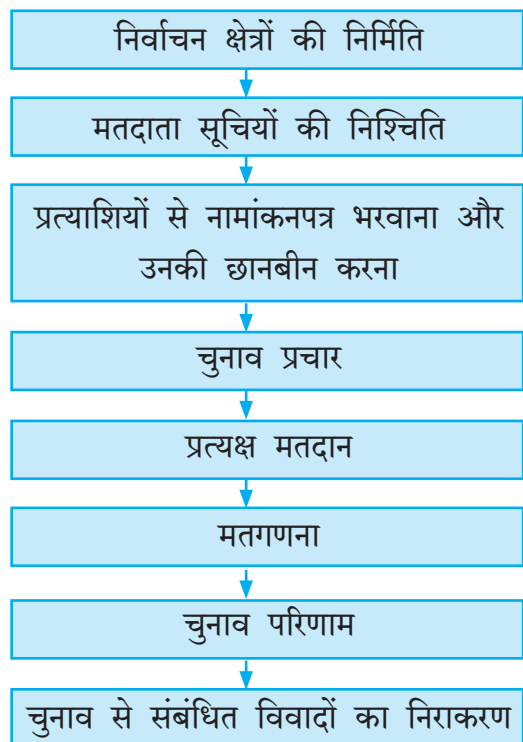
ध्यान में रखो



हिमाचल प्रदेश के निवासी श्यामशरण नेगी भारत के पहले मतदाता बने। २५ अक्टूबर १९५१ को हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने मतदान के अधिकार का उपयोग किया।

में न आते हुए तटस्थ रूप से निर्वाचन क्षेत्र की पुनर्रचना करती है ।

चुनाव प्रक्रिया :



आचारसंहिता किसे कहते हैं ?

भारत में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वातावरण में चुनाव होने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से जिन उपायों का कार्यान्वयन किया गया है, उनमें आचारसंहिता (Code of conduct) का भी समावेश किया जा सकेगा । पिछले कुछ दशकों से निर्वाचन आयोग ने अपने सभी अधिकारों का उपयोग करते हुए चुनाव में जो अनियमितताएँ पाई जाती हैं, उनकी रोकथाम करने की कोशिश की है । चुनाव से कुछ समय पूर्व तथा चुनाव के समय सरकार, राजनीतिक दल और मतदाताओं को चुनाव से संबंधित किन नियमों का पालन करना चाहिए; यह आचारसंहिता में स्पष्ट किया गया है । सरकार भी इन नियमों का भंग नहीं कर सकती । पिछले कुछ चुनावों में आचारसंहिता का पालन न करने पर जो कार्यवाहियाँ की गईं; उससे सामान्य मतदाता आश्चस्त होता दिखाई देता है ।

निष्पक्ष और न्यायपूर्ण चुनाव करवाने में आनेवाली चुनौतियाँ : हमारे देश का विस्तार और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए चुनाव करवाना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है । निर्वाचन आयोग को कानून के दायरे में रहकर इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है । यहाँ कुछ चुनौतियों का उल्लेख किया है ।

- चुनाव के समय बड़ी मात्रा में पैसों का अवैध रूप से लेन-देन होता है । उसकी रोकथाम के लिए निर्वाचन आयोग को कुछ उपाय योजना करनी पड़ती है ।
- कुछ प्रत्याशी आपराधिक प्रवृत्ति के होते हुए भी राजनीतिक दलों द्वारा उन्हें टिकट दिया जाता है और वे जीतकर भी आते हैं । इससे राजनीति का अपराधीकरण होता ही है । साथ ही; निर्वाचन आयोग को भी निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में चुनाव करवाने में कई समस्याएँ आती हैं ।
- चुनाव के समय होनेवाली हिंसा भी एक बड़ी चुनौती है । चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा



क्या, आप जानते हैं ?

प्रथम लोकसभा के चुनाव के समय मतदाता सूची बनाने का काम बहुत ही चुनौती भरा था । हमारे देश में अशिक्षित लोगों का अनुपात अधिक था । इसलिए मतदान के लिए विशेष पद्धति का उपयोग किया गया । मतदान के लिए स्टील की लगभग बीस लाख मतपेटियाँ तैयार की गईं । उन मतपेटियों पर राजनीतिक दलों के चुनावी चिह्न चिपकाए गए । मतदाता को जिस राजनीतिक दल को मतदान करना है, उस दल की चुनाव चिह्नवाली मतपेटी में मतदाता कोरे कागज को मोड़कर डालेगा; इस पद्धति को निर्धारित किया गया । इससे अशिक्षित लोगों को मतदान करना आसान हुआ ।

की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। उसकी रोकथाम के लिए सभी राजनीतिक दलों को आगे बढ़कर निर्वाचन आयोग को सहयोग देना चाहिए।

सोचिए

- परिवारवाद से राजनीतिक दलों की कौन-सी हानि होती होगी?
- ‘एक वोट, एक मूल्य’ इससे आप क्या समझते हैं?

- राजनीति में अपने परिवार का प्रभाव बना रहे, इसके लिए रिश्तेदारों को उम्मीदवारी देने की कोशिश की जाती है, जिससे प्रातिनिधिक संस्थाओं में पारिवारिक एकाधिकार निर्माण हो सकता है।

चुनावी सुधार : चुनाव एक निरंतर चलनेवाली प्रक्रिया है। चुनावों पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर रहता है। उचित सुधार करने पर चुनाव प्रक्रिया की

विश्वसनीयता बढ़ जाती है। यहाँ चुनाव सुधार के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं। आपकी दृष्टि में उनके क्या परिणाम हो सकते हैं?

- राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु राजनीतिक दल ५०% महिलाओं को उम्मीदवारी दें और उन्हें चुनाव में विजयी करवाने की कोशिश करें।
- आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को राजनीतिक दल उम्मीदवारी न दें। इस संदर्भ में न्यायालयीन निर्णयों का सख्ती से पालन हो।
- चुनाव का खर्च सरकार द्वारा किया जाए। जिससे राजनीतिक दल आर्थिक अनियमितता नहीं करेंगे और चुनाव के समय धन के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा।
- जनप्रतिनिधि कानून में भी उस दृष्टि से संशोधन करके आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा; इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।

मतपेटी से ईवीएम मशीन तक की यात्रा

स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव सन १९५१-५२ ई. में संपन्न हुआ। इस कालावधि में चुनावी राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था को शुरुआत हुई। प्रारंभिक कई चुनावों में मतपेटियों का उपयोग किया जाता था। ९० के दशक से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM Machine) उपयोग में लाई जाने लगी। मतदान में यंत्र के उपयोग से कई चीजें साध्य हो गईं। ईवीएम मशीन पर दर्शाए गए प्रत्याशियों में से किसी को भी वोट नहीं देना हो तो



उपरोक्त में से कोई नहीं (None Of The Above-NOTA) का विकल्प मतदाताओं के लिए संभव हुआ। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी मतदान करना आसान हुआ। पर्यावरण सुरक्षा में मदद मिली। विशेषतः वृक्ष कटाई पर प्रतिबंध लगा। साथ ही चुनावी परिणाम जल्दी आने लगे।

यह भी समझ लें -

सार्वजनिक चुनाव - हर पाँच वर्ष बाद होनेवाले लोकसभा के चुनावों को सार्वजनिक अथवा आम चुनाव कहा जाता है।

मध्यावधि चुनाव - निर्वाचित सरकार अपनी कालावधि पूर्ण करने से पहले अल्पमत में आ जाती है या गठबंधनवाली सरकार होने पर अथवा घटक दल यदि समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार अपना बहुमत खो देती है। ऐसी स्थिति में यदि पर्यायी सरकार के गठन की संभावना नहीं रह जाती है; तब ऐसे समय निर्धारित अवधि से पहले ही चुनाव करवाने पड़ते हैं। इन्हें मध्यावधि चुनाव कहा जाता है।

उपचुनाव - विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय शासन संस्था के किसी जनप्रतिनिधि द्वारा त्यागपत्र देने पर या किसी जनप्रतिनिधि की मृत्यु होने पर वह स्थान रिक्त हो जाता है। उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए फिर से चुनाव करवाया जाता है। उसे उपचुनाव कहा जाता है।



क्या, आप जानते हैं ?

८ अक्टूबर २०१० ई. को निर्वाचन आयोग द्वारा विशेषज्ञ व्यक्तियों की एक समिति का गठन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन में 'मतदाता-सत्यापित रसीद' VVPAT (Voter Verified Paper Audit Trail) सुविधा का समावेश करना निश्चित हुआ। इसे सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया। अपने वोट का सही ढंग से पंजीकरण हुआ या नहीं, इसे जाँचने की सुविधा मतदाता को प्राप्त हुई। चुनावी अनियमितताओं को रोकने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।

इस पाठ में हमने चुनावी प्रक्रिया का कई अंगों से अध्ययन किया। अगले प्रकरण में हम भारतीय राजनीतिक दलों का अध्ययन करेंगे।



स्वाध्याय

१. निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए।

- (१) निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति द्वारा की जाती है।
(अ) राष्ट्रपति (ब) प्रधानमंत्री
(क) लोकसभा सभापति (ड) उपराष्ट्रपति
- (२) स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में की नियुक्ति हुई।
(अ) डॉ. राजेंद्रप्रसाद (ब) टी.एन.शेषन
(क) सुकुमार सेन (ड) नीला सत्यनारायण
- (३) निर्वाचन क्षेत्र के गठन का कार्य निर्वाचन आयोग

की समिति द्वारा किया जाता है।

- (अ) नियुक्ति (ब) परिसीमन (सीमांकन)
(क) मतदान (ड) समय सारिणी

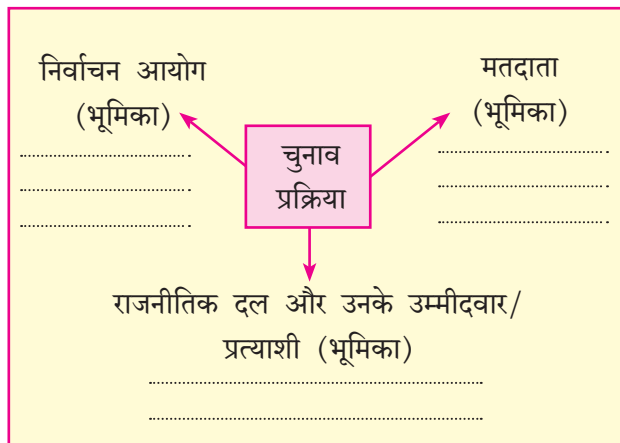
२. निम्न कथन सत्य अथवा असत्य; सकारण बताइए।

- (१) निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के समय आचारसंहिता लागू की जाती है।
- (२) विशेष परिस्थिति में निर्वाचन आयोग किसी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव करवा सकता है।
- (३) किसी राज्य में चुनाव कब और कितने चरणों में लेना है, इसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है।

३. टिप्पणी लिखिए -

- (१) निर्वाचन क्षेत्र की पुनर्रचना
- (२) मतपेटी से ईवीएम मशीन तक की यात्रा

४. निम्न संकल्पनाचित्र पूर्ण कीजिए ।



५. संक्षेप में उत्तर लिखिए ।

- (१) निर्वाचन आयोग के कार्य स्पष्ट कीजिए ।
- (२) निर्वाचन आयुक्त पद के बारे में अधिक जानकारी लिखिए ।
- (३) चुनाव आचार संहिता किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए ।

उपक्रम

अभिरूप (प्रायोगिक) मतदान प्रक्रिया (mock poll) का विद्यालय में आयोजन कीजिए तथा मतदान प्रक्रिया समझ लीजिए ।



३. राजनीतिक दल

पिछले प्रकरण में हमने संविधान की प्रगति और चुनावी प्रक्रिया के प्रारूप का अध्ययन किया। आम जनता, लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और चुनाव इन सबको जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक दल करते हैं। हम राजनीति के बारे में जो सुनते और पढ़ते हैं, वह प्रायः राजनीतिक दलों से संबंधित होता है। राजनीतिक दलों का अस्तित्व सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है अपितु लोकतंत्र के कारण ही राजनीतिक दलों में सत्ता पाने के लिए होड़ लगी रहती है। प्रस्तुत पाठ में हम भारतीय राजनीतिक दल और उनकी पद्धति का परिचय प्राप्त करेंगे।

आपके विद्यालय और क्षेत्र में आपने कई गुट, संस्था अथवा संगठनों को किसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रयत्न करते हुए देखा होगा। सार्वजनिक प्रश्नों को हल करने के लिए कोई संगठन अग्रसर रहता है। विभिन्न आंदोलनों के बारे में भी आप पढ़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि समाज में जिस प्रकार विभिन्न गुट, संस्था, आंदोलन सक्रिय रहते हैं: उसी प्रकार राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए अग्रसर दिखाई देते हैं। समाज में कार्य करने वाली संस्थाओं, संगठनों और राजनीतिक दलों में अंतर होता है। राजनीतिक दल भी सामाजिक संगठन ही होते हैं परंतु उनके उद्देश्य और कार्य पद्धति कुछ भिन्न होती है। इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक सत्ता पाने के लिए जब लोग इकट्ठे आकर चुनावी प्रक्रिया में सहभागी होते हैं, तब उन संगठनों को हम 'राजनीतिक दल' कहते हैं। चुनाव में सहभागी होकर, उसमें विजय पाकर सत्ता प्राप्त करके अपने दल की सरकार बनाने वाले लोगों का गुट 'राजनीतिक दल' कहलाता है।

राजनीतिक दलों की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार से बता सकते हैं।

सत्ता प्राप्त करना : राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से मात्र सत्ता प्राप्त करना ही होता है। इस कारण सत्ता पाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल एक-दूसरे से होड़ लेते हैं। ऐसी स्पर्धा करना कुछ अनुचित नहीं है परंतु स्पर्धा का स्वरूप स्वस्थ होना चाहिए।

विचारधारा का आधार : प्रत्येक राजनीतिक दल विशिष्ट नीतियों और विचारों का समर्थक होता है। सार्वजनिक हितों के प्रश्नों के बारे में उनकी एक विशेष भूमिका होती है। इन सब के समावेश से दल की विचारधारा बनती है। यह विचारधारा जिन लोगों को सही लगती है, वे लोग उस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। दल को लोगों का जो समर्थन मिलता है, उसे उस दल का 'जनाधार' कहा जाता है। वर्तमान समय में सभी राजनीतिक दलों की विचारधारा एक समान लगती है; जिसके कारण विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दलों में अंतर करना कठिन हो गया है।

दलीय कार्यक्रम : अपनी विचारधारा को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए राजनीतिक दल उसपर आधारित कार्यक्रमों को निर्धारित करते हैं। सत्ता प्राप्त होने पर इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता है। सत्ता न मिलने पर भी ये राजनीतिक दल कार्यक्रमों के आधार पर लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं।

सरकार स्थापित करना : राजनीतिक दल सरकार बनाकर देश का राजकाज चलाते हैं अर्थात् यह कार्य वह दल करता है; जिस राजनीतिक दल को चुनाव में बहुमत मिला है। जिन दलों को बहुमत नहीं मिला, वे दल विरोधी दल के रूप में कार्य करते हैं।

सरकार और जनता के बीच की कड़ी :

राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच सेतु या कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। राजनीतिक दल लोगों की माँगों और शिकायतों को सरकार तक पहुँचाने का कार्य करते हैं तथा सरकार विभिन्न दलों द्वारा अपनी नीतियों-कार्यक्रमों के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करती है।

समाचारपत्र के इन समाचारों से आपको क्या आकलन हुआ; यह संक्षेप में बताइए।

- सत्ता पक्ष के विरोध में सभी विरोधी राजनीतिक दलों की सभा मुंबई में हुई। किसानों की समस्याएँ उठाएँगे!
- सत्ताधारी दल ने ग्रामीण क्षेत्रों में संवाद यात्राओं का आयोजन किया।

मान लें, आप विरोधी दल के नेता हैं और आपके दल के ध्यान में यह आया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार अच्छा कार्य नहीं कर रही है। विरोधी दल के नेता के रूप में आप क्या करेंगे?

सोचिए और लिखिए।

महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण ने 'दलरहित' लोकतंत्र की कल्पना प्रस्तुत की थी। वर्तमान समय में ऐसा लोकतंत्र लाने के लिए क्या करना होगा?

भारत में दल पद्धति का बदलता स्वरूप

(१) स्वातंत्र्योत्तर काल में कांग्रेस ही एक सशक्त दल था। कुछ अपवादों को छोड़कर केंद्र और राज्य स्तर पर इसी दल का बहुमत था। भारतीय राजनीति पर इस दल की अच्छी पकड़ थी। इसलिए इस समय में दल पद्धति का वर्णन 'एक प्रबल दल पद्धति' के रूप में किया जाता है।

(२) एक प्रबल दल पद्धति को १९७७ ई. में चुनौती दी गई। यह चुनौती काँग्रेसेतर दलों ने इकट्ठे आकर दी थी।

(३) १९८९ ई. में हुए लोकसभा चुनाव के बाद राजनीति में किसी एक दल का प्राबल्य होना समाप्त हुआ। तत्पश्चात के समय में कई राजनीतिक दलों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाने की शुरुआत की। गठबंधन की सरकार बनाने का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी और काँग्रेस दोनों दलों ने किया। गठबंधन की सरकार होने से अस्थिरता निर्माण होती है, इस मान्यता को हमारे देश की दल पद्धति ने भ्रामक सिद्ध किया। गठबंधन की सरकार अब भारतीय राजव्यवस्था में एक आम बात बन गई है।



क्या, आप जानते हैं?

- एक ही राजनीतिक दल के हाथ में दीर्घ समय तक सत्ता हो और अन्य राजनीतिक दल प्रभावी न हो, तो उस दल पद्धति को 'एक दलीय पद्धति' कहा जाता है।
- राजनीति में दो राजनीतिक दल प्रभावशाली रहें और इन्हीं दो राजनीतिक दलों के हाथों में वैकल्पिक रूप में सत्ता रहे। तब उस शासन पद्धति को 'द्विदलीय पद्धति' कहा जाता है।
- कई राजनीतिक दल सत्ता की होड़ में होते हैं और उन सभी दलों का कम-अधिक मात्रा में राजनीतिक प्रभाव रहता है। इस पद्धति को 'बहुदलीय पद्धति' कहा जाता है।



करके देखें-

यहाँ राजनीतिक दलों के दो प्रमुख गठबंधन दिए हैं। उनमें घटक दलों को खोजिए और उनके नाम लिखिए।

(१) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA)

(२) संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA)

यह भी समझ लें -

राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दल किसे कहा जाता है ?

राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित निम्न निकषों की पूर्ति करना आवश्यक है ।

(अ) चार अथवा उससे अधिक राज्यों में लोकसभा अथवा विधानसभा के पिछले चुनाव में कम-से-कम ६% वैध वोट मिलना आवश्यक है । साथ ही, पिछले चुनाव में किसी भी राज्य या राज्यों से लोकसभा में न्यूनतम चार प्रतिनिधि चुनकर आने चाहिए ।

अथवा

(ब) लोकसभा के कुल निर्वाचन क्षेत्र के कम-से-कम २% निर्वाचन क्षेत्रों से; तथा कम-से-कम तीन राज्यों से प्रत्याशियों का चुनाव जीतना आवश्यक है ।

प्रांतीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निम्न निकषों की पूर्ति करना आवश्यक है ।

(अ) लोकसभा अथवा विधानसभा के पिछले चुनाव में कम-से-कम ६% वोट पाना या कम-से-कम दो प्रतिनिधियों का विधानसभा में चुनकर आना आवश्यक है ।

अथवा

(ब) विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम ३% स्थान अथवा कम-से-कम ३ स्थान प्राप्त करना आवश्यक है ।

भारत के कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों का हम परिचय प्राप्त करेंगे ।

राष्ट्रीय दल

(संदर्भ : Election Commission of India, Notification No. 56/201/PPS-111, dated 13 December 2016)

(१) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : १८८५ ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई । स्थापना के समय कांग्रेस एक सर्वसमावेशक राष्ट्रीय स्वतंत्रता



के लिए प्रयत्न करनेवाला आंदोलन था । इसलिए उसमें विभिन्न विचारधारा के गुट शामिल हुए थे । स्वातंत्र्योत्तर काल में कांग्रेस का एक सबसे प्रभावी दल के रूप में

उदय हुआ । पंथनिरपेक्षता, सर्वांगीण विकास, दुर्बल और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 'समान अधिकार, व्यापक समाजकल्याण' इस दल की पहले से ही नीति रही है । उसके अनुसार इस दल द्वारा कई कार्यक्रमों को भी चलाया गया । इस दल का लोकतांत्रिक समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सामाजिक समता पर विश्वास रहा है ।

(२) भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी : मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित इस पार्टी की स्थापना १९२५ ई. में हुई । भारत में यह बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है । यह पार्टी श्रमिकों, परिश्रमी वर्ग और श्रमिकों के हित के लिए कार्य करती है । इस पार्टी ने हमेशा पूँजीवाद का विरोध किया है ।



लगभग १९६२ ई. को दो साम्यवादी देशों - चीन और सोवियत यूनियन में से किसका नेतृत्व स्वीकार करें, इसपर पार्टी के नेताओं में वैचारिक मतभिन्नता उत्पन्न हुई । परिणामतः भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी में दो फाड़ हुई और भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) इस नई पार्टी की स्थापना हुई ।

(३) भारतीय जनता पार्टी : भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी है ।

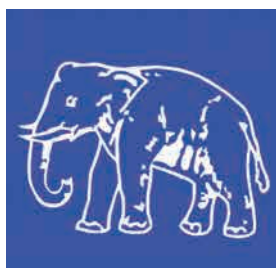


१९५१ ई. में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई । १९७७ ई. में स्थापित जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ का विलय हुआ । जनता पार्टी का यह गठित स्वरूप अधिक समय टिका नहीं । पार्टी विभाजित हुई और १९८० ई. में भारतीय जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की । प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपराओं का संवर्धन करना; इस पार्टी की भूमिका रही है । वित्तीय सुधारों पर भी पार्टी का बल रहा है ।

(४) भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) : यह पार्टी समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन करती है । इस पार्टी का साम्राज्यवाद को हमेशा विरोध रहा है । श्रमिकों, किसानों, खेतिहरों के हितों की रक्षा करना, इस पार्टी की प्रमुख नीति रही है ।



(५) बहुजन समाज पार्टी : बहुजन समाज पार्टी समाजवादी विचारधारा पर आधारित राजनीतिक पार्टी है । बहुजनों के हितों की रक्षा करना इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य रहा है । १९८४ ई. में इस पार्टी की स्थापना हुई । 'बहुजन' शब्द में दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का समावेश होता है । अतः बहुजन समाज को सत्ता में लाना इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य रहा है ।



(६) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी : १९९९ ई. में कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की



स्थापना हुई । लोकतंत्र, समता, पंथनिरपेक्षता आदि मूल्यों पर पार्टी का विश्वास रहा है । १९९९ ई. से लेकर २०१४ ई. तक कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके यह पार्टी

महाराष्ट्र में सत्ता में रही तथा केंद्र में भी २००४ ई. से २०१४ ई. इस दीर्घावधि में यह पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में बने गठबंधन का एक प्रमुख घटक दल रही ।

(७) तृणमूल कांग्रेस : १९९८ ई. में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई । २०१६ ई. में निर्वाचन आयोग द्वारा इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई । लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता और दुर्बल वर्ग के हितों का संरक्षण करना इस पार्टी की प्रमुख नीति रही है ।



लोकसभा चुनाव २००९ ई. और २०१४ ई. में राष्ट्रीय दलों को मिले स्थान

राजनीतिक पार्टी का नाम	प्राप्त स्थान	
	२००९	२०१४
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	२०६	४४
भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी	४	१
भारतीय जनता पार्टी	११६	२८२
भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	१६	९
बहुजन समाज पार्टी	२१	-
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी	९	६



आपने समाचारपत्र में ऐसे समाचार पढ़े होंगे । इससे हमें भारतीय संघराज्य के विभिन्न राज्यों की राजनीतिक पार्टियों की जानकारी मिलती है ।

- ये पार्टियाँ केवल राज्य तक ही सीमित क्यों हैं?
- राज्य के कुछ नेता हमें राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देते हैं तो कुछ नेता केवल राज्य तक प्रभावी ही रहते हैं, ऐसा क्यों ?

आपके इन्हीं प्रश्नों के आधार पर हम यहाँ प्रांतीय पार्टियों की संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे । भारत की चारों दिशाओं में फैले राज्यों में कार्यरत कुछ प्रातिनिधिक पार्टियों के बारे में हम यहाँ विचार करेंगे ।

भारत के विविध प्रांतों में विविध भाषाएँ बोलनेवाले और परंपराएँ-संस्कृति में भी विविधता लिये हुए लोग हैं । हम देखते हैं कि प्रत्येक प्रांत और उसकी अपनी स्वतंत्र भाषा है । प्रदेशों के भौगोलिक रूपों में भी विभिन्नता पाई जाती है । आपने महाराष्ट्र के विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों का अध्ययन किया है । महाराष्ट्र जिस प्रकार मध्यप्रदेश अथवा कर्नाटक से भिन्न है, वैसे ही महाराष्ट्र में भी भौगोलिक, सांस्कृतिक विभिन्नता देखने को मिलती है ।

अपनी भाषा और अपने प्रदेश के बारे में जब आत्मीयता की भावना बढ़ जाती है, तब कुछ समय पश्चात अपनी भाषा और अपने प्रदेश के प्रति अस्मिता उत्पन्न होती है । परिणामस्वरूप 'प्रांतीयता' का निर्माण

होता है । लोग क्रमशः अपने प्रांत के हित और विकास का विचार करने लगते हैं । अपनी भाषा, अपना साहित्य, परंपरा, सामाजिक सुधार का इतिहास, शैक्षिक और सांस्कृतिक आंदोलनों के बारे में गर्व की भावना अनुभव होने लगती है । फलतः भाषाई अस्मिता प्रबल होने लगती है । हमारे प्रदेश का विकास हो, यहाँ की संसाधन-सामग्री और रोजगार के अवसर पर हमारा अधिकार हो; इन्हीं भावनाओं से प्रांतीय अस्मिता का उदय होने लगता है ।

इस प्रकार की भाषाई, प्रांतीय, सांस्कृतिक और उनके प्रति उत्पन्न अस्मिताओं के इकट्ठे होने से प्रांतीयता की भावना प्रबल होने लगती है । इसी में से कई बार स्वतंत्र राजनीतिक पार्टियों का निर्माण होता है, तो कभी विभिन्न दबाव गुट और आंदोलनों का निर्माण होता है । इन सब का एक ही प्रमुख उद्देश्य होता है अर्थात् अपने क्षेत्र के हित संबंधों का संरक्षण करना ।

प्रांतीय दल

विशेष प्रदेश के अलगपन का अभिमान रखनेवाले और उसकी प्रगति के लिए सत्ता की होड़ में उतरे राजनीतिक गुटों को 'प्रांतीय/प्रादेशिक पार्टी' कहा जाता है । उनका प्रभाव अपने-अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहता है । फिर भी अपने प्रदेश में प्रभावशाली भूमिका निभाकर वे राष्ट्रीय राजनीति पर भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं । प्रांतीय दल अपने प्रदेश

की समस्याओं को प्रधानता देते हैं। अपने प्रदेश का विकास साधने के लिए उन्हें अधिकारों के बदले स्वायत्तता महत्वपूर्ण लगती है। केंद्र सरकार को सहयोग देकर अपनी स्वायत्तता का क्षेत्र अबाधित बनाए रखने का काम ये प्रांतीय दल करते हैं।

साथ ही; प्रांतीय समस्याओं को प्रांतीय स्तर पर सुलझाया जाए, सत्ता की बागडोर अपने ही प्रदेश के व्यक्ति के हाथ में रहे, प्रशासन और व्यवसाय में उस प्रांत के नागरिकों को प्रधानता मिले; इसके प्रति प्रांतीय दलों का आग्रह रहता है।

भारतीय प्रांतीय दलों का बदलता स्वरूप : स्वातंत्र्योत्तर समय से भारत में प्रांतीय दलों का अस्तित्व रहा है परंतु उनके स्वरूप और भूमिकाओं में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देते हैं।

(१) प्रारंभिक समय में प्रांतीय अस्मिताओं को लेकर अलगाववादी आंदोलनों का निर्माण हुआ। स्वतंत्र खलिस्तान, द्रविड़स्तान जैसी मांगों का प्रमुख उद्देश्य संघराज्य से विभाजित होकर स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना था। इस संदर्भ में पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर के कुछ प्रांतीय दलों के उदाहरण दिए जा सकते हैं।

(२) प्रांतीय दलों की भूमिका धीरे-धीरे बदलने लगी। स्वतंत्र राज्य की मांग के बजाय वे अधिकाधिक स्वायत्तता पाने के लिए प्रयत्न करने

लगे। यह प्रांतीय दलों की विकासयात्रा का दूसरा चरण है। इस चरण की शुरुआत लगभग १९९० ई. के बाद हुई।

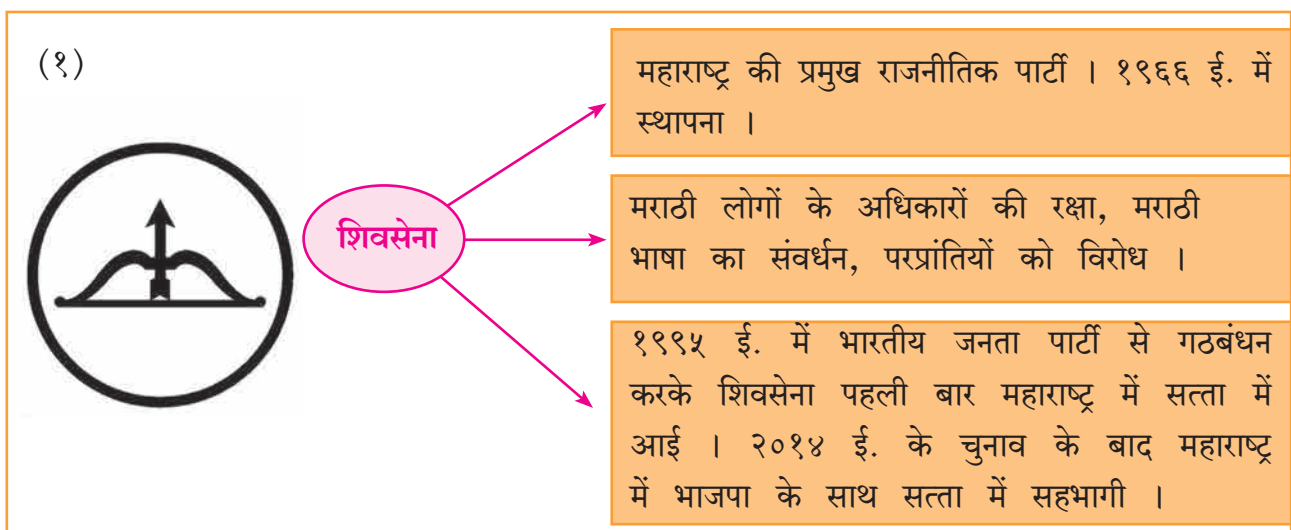
(३) हमारे प्रदेश के विकास के लिए हमारे प्रदेश के नागरिकों को राज्य और केंद्र में सत्ता मिले, ऐसी भूमिका ये प्रांतीय दल अब लेने लगे हैं। उदा. शिवसेना, तेलुगु देसम।

(४) पूर्वोत्तर भारत के प्रांतीय दलों के विकास का एक विशेष दृष्टिकोण दिखाई देता है। इन प्रदेशों के राजनीतिक दलों ने देश से विभाजित होने की मांग छोड़ दी और वे अधिकाधिक स्वायत्तता की मांग करते हुए दिखाई देते हैं। पूर्वोत्तर भारत के सभी प्रांतीय दल धीरे-धीरे प्रमुख राष्ट्रीय प्रवाह में आने लगे हैं।

संक्षेप में कहना हो तो भारतीय प्रांतीय दलों की यात्रा अलगाववाद, स्वायत्तता और प्रमुख राष्ट्रीय प्रवाह में शामिल होना जैसे चरणों से हुई है। साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में भी इनका प्रभाव बढ़ने लगा है। गठबंधन की सरकार यह इसी का एक परिणाम है।

भारत में कई प्रांतीय दल हैं। सभी दलों की जानकारी यहाँ देना संभव नहीं है। इसलिए हम भारत के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तरी क्षेत्र के कुछ प्रातिनिधिक दलों का परिचय प्राप्त करेंगे।

कुछ प्रमुख क्षेत्रीय दल इस प्रकार हैं।



(२)



शिरोमणि
अकाली
दल

पंजाब का महत्वपूर्ण प्रांतीय दल ।
१९२० ई. में स्थापना ।

धार्मिक और प्रांतीय अस्मिता के संवर्धन
को प्राथमिकता ।

पंजाब में कई वर्षों तक सत्ता में ।

(३)

जम्मू और
कश्मीर
नैशनल
कॉन्फरन्स

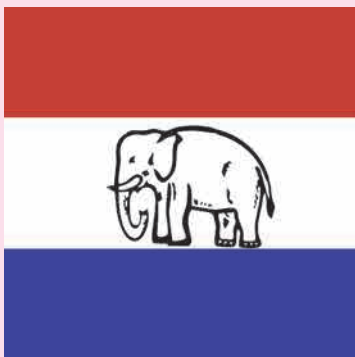
कश्मीर का प्रमुख प्रांतीय दल ।
१९३२ ई. में स्थापना ।

कश्मीरी जनता के हितसंबंधों की पूर्ति
के लिए प्रयत्नशील । स्वायत्तता के
संवर्धन के लिए प्रयत्नशील ।



(४)

असम गण परिषद



१९८५ ई. में सरकार के साथ हुए समझौते से
असम अनुबंध । १९८५ ई. में स्थापना ।

शरणार्थियों के प्रश्नों को हल करना । असम
की सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक धरोहर
की रक्षा करना । आर्थिक विकास हेतु
प्रयत्नशील।

पिछले कई वर्षों तक असम में सत्ताधारी पार्टी।

(५)

द्रविड़ मुन्नेत्र कळघम



१९२० ई. में ब्राह्मणेतर आंदोलन जस्टीस पार्टी का परिवर्तन 'द्रविड़ मुन्नेत्र कळघम' इस राजनीतिक दल में हुआ। १९४४ ई. से जस्टीस पार्टी 'द्रविड़ कळघम' के नाम से जानी जाने लगी। १९४९ ई. में इसमें से एक गुट अलग हुआ और उस गुट ने 'द्रविड़ मुन्नेत्र कळघम पार्टी' की स्थापना की। उसमें से भी एक गुट अलग हुआ और उसने १९७२ ई. में 'ऑल इंडिया अण्णा द्रविड़ मुन्नेत्र कळघम पार्टी' की स्थापना की।

तमिल अस्मिता के संवर्धन का प्रयत्न। केंद्र की गठबंधन सरकार में भी कुछ समय तक सहभागी।

सभी स्तरों के मतदाताओं का पार्टी को समर्थन। दीर्घकाल तक सत्ता में रहने के कारण कई उपाय योजनाओं को क्रियान्वित किया।

भारत के प्रत्येक राज्य में कई प्रादेशिक दल कार्यरत हैं। उन्होंने अपने-अपने राज्य की राजनीति पर प्रभाव डाला है। उसके एक उदाहरण के रूप

में महाराष्ट्र के प्रांतीय दलों का दो चुनावों के संदर्भ में कार्य निम्न तालिका में दिया है।

महाराष्ट्र के प्रांतीय दल (विधानसभा में प्रतिनिधित्व)

पार्टी का नाम	प्राप्त स्थान		पार्टी का नाम	प्राप्त स्थान	
	चुनाव वर्ष २००९	चुनाव वर्ष २०१४		चुनाव वर्ष २००९	चुनाव वर्ष २०१४
शिवसेना	४४	६३	राष्ट्रीय समाज पार्टी	१	१
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना	१३	१	ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहदुल्ल मुस्लिमीन	*	२
शेतकरी कामगार पार्टी	४	३	जनसुराज्य शक्ति	२	—
भारिप बहुजन महासंघ	१	१	लोकसंग्राम	१	—
भारतीय रिपब्लिकन पार्टी	—	—	स्वाभिमानी पार्टी	१	—
समाजवादी पार्टी	४	१			
बहुजन विकास गठबंधन	२	३			

(* यह पार्टी २००९ ई. में अस्तित्व में नहीं थी।)



बताइए तो ?

भारत के सभी राज्यों में प्रांतीय दल हैं। उन सभी की यहाँ चर्चा करना असंभव है। भारत के मानचित्र के आधार पर अन्य कुछ प्रांतीय दलों की जानकारी प्राप्त कीजिए।

प्रस्तुत पाठ में हमने भारत के राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तरों की राजनीतिक पार्टियों की समीक्षा की है। अगले प्रकरण में हम राजनीतिक आंदोलनों का हमारे जीवन में जो महत्त्व रहा है, उसकी जानकारी समझेंगे।



१. निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए ।

- (१) राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए जब लोग इकट्ठे आकर चुनाव प्रक्रिया में सहभागी होते हैं, तब उन संगठनों को कहा जाता है ।
 (अ) सरकार (ब) समाज
 (क) राजनीतिक दल (ड) सामाजिक संस्था
- (२) नेशनल कॉन्फरन्स पार्टी राज्य में है ।
 (अ) ओडिशा (ब) असम
 (क) बिहार (ड) जम्मू और कश्मीर
- (३) जस्टीस पार्टी इस ब्राह्मणेतर आंदोलन का रूपांतरण इस राजनीतिक दल में हुआ ।
 (अ) असम गण परिषद
 (ब) शिवसेना
 (क) द्रविड़ मुन्नेत्र कळघम
 (ड) जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फरन्स

२. निम्न कथन सत्य है या असत्य; सकारण स्पष्ट कीजिए ।

- (१) राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच एक कड़ी का काम करता है ।

- (२) राजनीतिक दल सामाजिक संगठन ही होता है ।
 (३) गठबंधन सरकार के कारण अस्थिरता उत्पन्न होती है ।
 (४) 'शिरोमणि अकाली दल' राष्ट्रीय पार्टी है ।

३. निम्न संकल्पनाएँ स्पष्ट कीजिए ।

- (१) प्रादेशिकता (२) राष्ट्रीय दल

४. निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए ।

- (१) राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषताएँ स्पष्ट कीजिए ।
 (२) भारत में दल पद्धति के स्वरूप में क्या परिवर्तन हुआ है ?

उपक्रम

- (१) आपके माता-पिता का नाम जिस निर्वाचन क्षेत्र में आता है, उस निर्वाचन क्षेत्र को महाराष्ट्र के मानचित्र में दिखाइए ।
 (२) भारत के मानचित्र में प्रमुख प्रांतीय राजनीतिक दलों का कहाँ-कहाँ प्रभाव है; वे स्थान दर्शाइए ।



४. सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन

एक स्थानीय समाचारपत्र का यह समाचार पढ़िए ।

बाल विवाह विरोधी आंदोलन को बहुत बड़ी सफलता मिली है । अब बाल विवाहों में ५०% की कमी आई है । इस आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने बड़ी सजगता से काम किया है ।

दहेज विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने भी उनकी सहायता की है । अब इसी क्षेत्र में कुपोषण विरोधी अभियान शुरू करना आवश्यक है क्योंकि निर्धनता और कुपोषण; ये अधिक ध्यान देने योग्य समस्याएँ हैं ।

- समाचारपत्र के इस समाचार में आंदोलनों का उल्लेख हुआ है । क्या आप उसका अर्थ बता सकते हैं ?
- इस समाचार में प्रत्येक विषय स्वतंत्र दिखाई देता है । अर्थात् क्या सभी आंदोलन एक ही विषय से संबंधित होते हैं ?
- क्या आपको ऐसा लगता है कि आंदोलनों के परस्पर एक-दूसरे को सहयोग करने से वे प्रभावी एवं सफल होंगे ?

पिछले पाठ में हमने राष्ट्रीय और प्रांतीय राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी प्राप्त की । राजनीतिक दल सत्ता की प्रतिद्वंद्विता में रहते हैं और चुनाव में सफलता प्राप्त कर वे सामान्य लोगों के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं । राजनीतिक दलों की भूमिका सर्वसमावेशक होती है । वे किसी एक प्रश्न पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते । सार्वजनिक स्वच्छता से लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान तक के सभी विषयों पर राष्ट्रीय भूमिका को ध्यान में रखकर निर्णय लेना पड़ता है । समाज के सभी वर्गों की समस्याओं के लिए राजनीतिक दलों के पास विशिष्ट कार्यक्रम होना आवश्यक है । किसान,

श्रमिक, उद्यमी, महिला, युवा वर्ग और वरिष्ठ नागरिक आदि सभी का विचार करके राजनीतिक दल अपनी नीतियाँ निर्धारित करते हैं ।

आंदोलन क्यों ?

समाज के सभी लोगों को राजनीतिक दलों में सम्मिलित होकर सार्वजनिक हितों के लिए कुछ करना संभव नहीं होता । कुछ लोग किसी एक प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करके उसे हल करने के लिए प्रयत्न करते हैं । उस समस्या को हल करने के लिए लोगों को संगठित कर सरकार पर एकाध कृति करने के लिए दबाव डालने का प्रयत्न करते हैं । निरंतर कृतिशील रहकर उस समस्या के बारे में जनमत तैयार करके राजनीतिक दल और सरकार पर दबाव डालने का काम किया जाता है । इन सामूहिक कृतियों को 'आंदोलन' कहा जाता है । सामूहिक कृति आंदोलन का प्रमुख केंद्र होता है ।

लोकतंत्र में आंदोलनों का बड़ा महत्त्व होता है । आंदोलनों के माध्यम से कई सार्वजनिक प्रश्न चर्चा में आते हैं । सरकार को भी इन प्रश्नों पर गंभीरता से सोचना पड़ता है । आंदोलन के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार को उस समस्या से संबंधित सभी जानकारी प्रदान की जाती है । अपनी नीतियाँ निर्धारित करते समय सरकार को इस जानकारी का उपयोग होता है ।

कभी-कभी सरकार के कुछ निर्णयों या नीतियों का विरोध करने के लिए भी आंदोलन होते हैं ।



बताइए तो ?

विस्थापितों का पुनर्वसन सही ढंग से हो, उनकी आजीविका का साधन सुरक्षित रहे, इसके लिए हमारे देश में कौन-से सक्रिय आंदोलन हुए ?

निषेध अथवा विरोध करने का अधिकार (Right to protest) लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अधिकार है परंतु उसका बहुत ही संयम और दायित्व के साथ उपयोग करना चाहिए।

आंदोलन का अर्थ क्या है ?

- आंदोलन एक सामूहिक कृति है। उसमें कई लोगों का सक्रिय सहभाग अपेक्षित रहता है।
- आंदोलन किसी विशेष समस्या पर लोगों द्वारा निर्मित संगठन होता है। जैसे- 'प्रदूषण' इस एक ही समस्या को लेकर आंदोलन खड़ा हो सकता है।
- प्रत्येक आंदोलन का कोई निश्चित सार्वजनिक उद्देश्य अथवा समस्या होती है। जैसे- भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार को नष्ट करना होता है।
- आंदोलन का नेतृत्व होता है। नेतृत्व के कारण आंदोलन क्रियाशील रहता है। आंदोलन का उद्देश्य, कार्यक्रम और आंदोलनात्मक नीति के संदर्भ में निर्णय लिये जाते हैं। यदि आंदोलन का नेतृत्व दृढ़ हो तो आंदोलन परिणामकारक होता है।

• आंदोलनों के कई संगठन होते हैं। संगठनों के बिना आंदोलन समस्याओं को निरंतर आगे नहीं बढ़ा सकता। जैसे- किसानों के आंदोलन के लिए किसान संगठन काम करता है।

• किसी भी आंदोलन को जनता का समर्थन मिलना आवश्यक होता है। जिस समस्या को लेकर आंदोलन प्रारंभ हुआ है, वह समस्या जनता को अपनी समस्या महसूस होनी चाहिए। उसके लिए कोई कार्यक्रम निर्धारित करना पड़ता है। तत्पश्चात उसके अनुसार जनमत बनाने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं।

चर्चा कीजिए -

यद्यपि आंदोलन किसी एक समस्या को हल करने के लिए प्रयत्न करते हों, फिर भी उन आंदोलनों के पीछे एक व्यापक विचारधारा होती है। जैसे- बालविवाह अथवा दहेजबंदी आंदोलनों का लोकतंत्र, महिलाओं का सक्षमीकरण, सामाजिक समता आदि मूल्यों पर विश्वास होता है। कुछ आंदोलनों का यथासमय राजनीतिक दलों में परिवर्तन होता है।

निम्न संवाद पढ़िए और उसपर एक परिच्छेद लिखिए।





बताइए तो ?

- भारत में किन आंदोलनों के कारण न्यायालयों में जनहित याचिकाएँ प्रविष्ट हुईं और न्यायालयों को उनपर निर्णय देना पड़ा ?
- महात्मा फुले, महात्मा गांधी, संत गाडगे महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने कौन-कौन-से आंदोलन चलाए ?

चर्चा कीजिए ।

भारत में भूमिपुत्रों के आंदोलन किन मुद्दों के प्रति आग्रही हैं ?



करके देखें-

अंधश्रद्धा उन्मूलन आंदोलन, नदियों के प्रदूषण की रोक-थाम के लिए हुए आंदोलन, स्त्री भ्रूण हत्या विरोधी आंदोलन, 'नॉट इन माई नेम' आदि आंदोलनों से संबंधित समाचारपत्रों में छपे समाचारों का संग्रह कीजिए ।



क्या, आप जानते हैं ?

- सार्वजनिक समस्याएँ केवल सामाजिक क्षेत्र से ही संबंधित होती हैं, ऐसा नहीं है । वे समाज के किसी भी क्षेत्र से उत्पन्न हो सकती हैं । समाज सुधार के लिए अपने देश में और विशेषतः महाराष्ट्र में कई आंदोलन हुए और उन्हीं आंदोलनों के फलस्वरूप समाज के आधुनिक होने की शुरुआत हुई ।
- हमारा स्वतंत्रता युद्ध भी एक सामाजिक आंदोलन ही था ।
- राजनीतिक और आर्थिक आंदोलनों द्वारा नागरिकों के अधिकारों का संवर्धन, मताधिकार, न्यूनतम वेतन, वित्तीय सुरक्षा आदि समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है । स्वदेशी भी एक महत्वपूर्ण वित्तीय आंदोलन है ।

भारत के प्रमुख आंदोलन



बिरसा मुंडा

आदिवासी आंदोलन :

स्वतंत्रतापूर्व समय में अंग्रेजों ने आदिवासी लोगों की वन संपत्ति पर आजीविका करने के अधिकार को समाप्त करने की कोशिश की । जिसके कारण छोटा नागपुर क्षेत्र के कोलाम, ओडिशा

के गोंड, महाराष्ट्र के कोली, भील, पिंडारी और बिहार के संथाल, मुंडा आदिवासी लोगों ने बड़ी मात्रा में इसके विरोध में विद्रोह किया । तब से आदिवासियों का संघर्ष जारी है । भारत में आदिवासियों की कई समस्याएँ हैं । उनमें सबसे प्रमुख समस्या उनका जंगलों पर जो अधिकार है; उसे नकारा जाना है । आदिवासी आंदोलन की प्रमुख माँग आदिवासियों का वनों पर अधिकार स्वीकार किया जाना है । वनों के उत्पादों को इकट्ठा करने और वनभूमि पर वृक्षों को लगाने का अधिकार उन्हें मिले ।

भारत का किसान आंदोलन : भारत का किसान आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है । अंग्रेजों के उपनिवेशवादी शासन में सरकार की कृषिविरोधी नीतियों के कारण किसान संगठित होने लगे । बारडोली, चंपारण्य, खोती की समस्याओं को लेकर हुए किसान आंदोलनों के बारे में आपको जानकारी होगी ही । किसान आंदोलनों के लिए महात्मा फुले, न्यायमूर्ति रानडे और महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरणा ली जाती है ।

कृषि के संबंध में हुए कुछ सुधारों के (उदा., चकबंदी अधिनियम, भूमि कानून आदि) कारण किसान आंदोलन की गति धीमी हुई लेकिन हरितक्रांति के बाद किसान आंदोलन और अधिक क्रियाशील और परिणामकारी होने लगा । खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए और देश को अनाज के

मामले में आत्मनिर्भर बनाने हेतु हरितक्रांति की गई परंतु उसका निर्धन किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। किसानों में निर्धन और संपन्न किसान ऐसे दो वर्ग बन गए। उनमें असंतोष बढ़ गया और किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ।

कृषि उपज को सही दाम मिले, खेती को उद्योग का दर्जा मिले, स्वामीनाथन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकारा जाए, कर्जमाफी, ऋणमुक्ति और राष्ट्रीय कृषि संबंधी नीति आदि किसान संगठनों की प्रमुख मांगें हैं।

किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा आदि भारत के कुछ महत्वपूर्ण संगठन हैं।



करके देखें-

किसानों और खेतिहर मजदूरों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा किन योजनाओं को अमल में लाया गया है?

श्रमिक आंदोलन : भारत के श्रमिक आंदोलन को औद्योगीकरण की पार्श्वभूमि रही है। १९ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कपड़ा मिलें, रेल कंपनियाँ जैसे उद्योगों की शुरुआत हुई। १८९९ ई. में रेल मजदूरों ने अपनी मांगों के लिए हड़ताल की थीं। श्रमिकों के प्रश्नों को हल करने के लिए १९२० ई. में व्यापक संगठन की स्थापना हुई। यह संगठन 'ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस' के नाम से जाना जाता है।

स्वतंत्रता के बाद श्रमिक आंदोलन अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करने लगा। १९६० ई. और ७० ई. के दशक में कई श्रमिक आंदोलन हुए।

भारतीय श्रमिक आंदोलन को औद्योगीकरण की पार्श्वभूमि रही है। १९ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कपड़ा मिलें, रेल कंपनियाँ जैसे उद्योगों की शुरुआत हुई।

परंतु १९८० ई. से श्रमिक आंदोलन बिखर गया। पूरे देश में श्रमिकों के नए प्रश्न उभरकर आए हैं। वैश्वीकरण का भी श्रमिक आंदोलन पर परिणाम हुआ। अस्थिर रोजगार, ठेकादारी मजदूर, वित्तीय असुरक्षा, श्रमिक कानूनों का संरक्षण न मिलना, काम करने का निश्चित समयावधि न होना, काम की जगह पर असुरक्षितता, अस्वास्थ्य आदि आज के श्रमिक आंदोलन के सम्मुख निम्न समस्याएँ हैं।

स्त्री आंदोलन : स्वतंत्रतापूर्व काल में भारत में



सावित्रीबाई फुले

स्त्री आंदोलन की शुरुआत प्रगतिशील पुरुषों के नेतृत्व में हुई। स्त्रियों पर होने वाले अन्याय, उनके शोषण की रोक-थाम होकर उन्हें सम्मान के साथ जीने के लिए तथा वे सार्वजनिक जीवन में सहभागी हो सकें; इसके लिए

अनेक सुधार आंदोलन हुए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय, महात्मा जोतीराव फुले, महर्षि धोंडो केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई, रमाबाई रानडे आदि की अगुवाई से सती प्रथा को विरोध, विधवा का पुनर्विवाह, स्त्रीशिक्षा, बाल विवाह को विरोध, स्त्रियों को मतदान का अधिकार



रमाबाई रानडे

जैसे कई सुधार हो सके। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में स्त्रियों को सभी प्रकार के समान अधिकार प्रदान किए गए। फिर भी कई क्षेत्रों में स्त्रियों के साथ प्रत्यक्ष रूप में समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। स्त्री स्वतंत्रता समकालीन स्त्रियों के आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। मनुष्य के रूप में अधिकार मिले; इसके लिए वर्तमान समय में स्त्री आंदोलन हुआ था। स्त्री स्वतंत्रता यह भी इसके पीछे एक प्रमुख उद्देश्य था।

भारत में भ्रष्टाचार, जातिव्यवस्था का विरोध,

कट्टर धार्मिकता का विरोध जैसी समस्याओं के विरोध में आंदोलनों की शुरूआत हुई। इन आंदोलनों में स्त्रियाँ बड़े पैमाने में सहभागी हुईं। इनके द्वारा स्त्रियों को अपने पर होनेवाले अन्याय का बोध हुआ। स्त्रियों के नेतृत्व में स्त्री आंदोलन की शुरूआत हुई। भारतीय स्त्री आंदोलन में एकता नहीं है परंतु स्त्री संगठन स्त्री-स्वास्थ्य, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता और सक्षमीकरण जैसे विभिन्न मुद्दों पर विविध स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। स्त्री शिक्षा और मनुष्य के रूप में दर्जा तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने का आग्रह; यही स्त्री आंदोलन के सामने आज बड़ी चुनौती है।

पर्यावरण आंदोलन : पर्यावरण का होने वाला हास यह वर्तमान समय की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय



डॉ.राजेंद्र सिंह राणा

भारत के जल पुरुष नाम से विख्यात डॉ.राजेंद्र सिंह राणा जी ने राजस्थान में बड़ी जलक्रांति की है। राजस्थान में हजारों 'जोहड़' (नदी पर बनाए गए मिट्टी के बाँध) निर्माण करने के माध्यम से वे लोकप्रिय बने। सिंह जी ने राजस्थान की मरुभूमि में नदियों को पुनर्जीवित किया। उन्होंने 'तरुण भारत संघ' इस संगठन की स्थापना करके सैकड़ों गाँवों में लगभग ग्यारह हजार जोहड़ बनवाए। पूरे देश में पदयात्रा करके जल संवर्धन, नदियों को पुनर्जीवित करना, वन संवर्धन, वन्यजीव संवर्धन अभियान चलाए। पिछले ३१ वर्षों से उनका यह सामाजिक आंदोलन चल रहा है। पानी का नोबल पुरस्कार समझे जाने वाले 'स्टॉकहोम वॉटर प्राइज' पुरस्कार से डॉ.राजेंद्र सिंह राणा सम्मानित हो चुके हैं।



पर्यावरण रक्षण

स्तर पर एक गंभीर समस्या है; यह हम जानते ही हैं। पर्यावरण का हास रोकने के लिए विश्व स्तर पर कई आंदोलन चल रहे हैं और इस क्षेत्र में विश्व स्तर पर सहयोग भी बड़ी मात्रा में मिल रहा है।

भारत में भी पर्यावरण से संबंधित विभिन्न विषयों को महत्त्व देते हुए कई आंदोलन चल रहे हैं। जैवविविधता की रक्षा, पानी के विभिन्न स्रोतों का संवर्धन, जंगलावरण, नदियों का प्रदूषण, हरितक्षेत्र की रक्षा, रासायनिक द्रव्यों का उपयोग और उनके दुष्परिणाम आदि समस्याओं को लेकर विभिन्न आंदोलन संघर्ष कर रहे हैं।

उपभोक्ता आंदोलन : १९८६ ई. में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया। तत्पश्चात उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य बड़ा व्यापक है। समाज का प्रत्येक घटक उपभोक्ता होता है। वित्त व्यवस्था और समाज



व्यवस्था में होने वाले बदलावों का प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ता है। उन्हें कई समस्याओं के साथ जूझना पड़ता है। जैसे मिलावट, वस्तुओं के बढ़ाए गए दाम, तौल में होनेवाली धोखाधड़ी आदि। इस प्रकार की धोखाधड़ी से उपभोक्ताओं का संरक्षण करने के लिए उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ।

आंदोलन के कारण नागरिकों की सार्वजनिक जीवन में सहभागिता बढ़ती है। १९८० ई. के बाद

जो आंदोलन हुए, उन्हें 'नवसामाजिक आंदोलन' कहा जाता है क्योंकि उनका स्वरूप पूर्ववर्ती आंदोलनों से भिन्न है। ये आंदोलन अधिकाधिक विषयनिष्ठ होने लगे हैं; अर्थात् प्रत्येक विषय को

लेकर जनआंदोलन बनाए जा रहे हैं।

अगले पाठ में हम लोकतंत्र के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों का अध्ययन करेंगे।



स्वाध्याय

१. निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए।

- (१) किसान आंदोलन की यह प्रमुख माँग है।
 (अ) वनभूमि पर वृक्ष लगाने का अधिकार मिले।
 (ब) कृषि उपज को सही दाम मिले।
 (क) उपभोक्ताओं का संरक्षण करना।
 (ड) बाँधों का निर्माण करना।
- (२) खेती का उत्पादन बढ़ाने और खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए की गई।
 (अ) जल क्रांति (ब) हरित क्रांति
 (क) औद्योगिक क्रांति (ड) धवल क्रांति

२. टिप्पणी लिखिए।

- (१) आदिवासी आंदोलन
 (२) श्रमिक आंदोलन

३. निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए।

- (१) पर्यावरण आंदोलन का कार्य स्पष्ट कीजिए।
 (२) भारत के किसान आंदोलन का स्वरूप स्पष्ट कीजिए।

- (३) स्वतंत्रतापूर्व काल में महिला आंदोलन किन सुधारों के लिए संघर्ष कर रहे थे?

४. निम्न कथन सकारण स्पष्ट कीजिए।

- (१) लोकतंत्र में आंदोलनों का बड़ा महत्त्व होता है।
 (२) आंदोलन को दृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता नहीं होती।
 (३) उपभोक्ता आंदोलन अस्तित्व में आया।

उपक्रम

- (१) विविध सामाजिक आंदोलनों से संबंधित समाचारपत्र में छपे समाचारों को संकलित कीजिए।
 (२) अपने क्षेत्र की सार्वजनिक समस्या को हल करने के लिए प्रयत्न करनेवाले आंदोलन के कार्य का प्रतिवेदन लिखिए।
 (३) सब्जी अथवा अनाज खरीदते समय आपके साथ तौल में धोखाधड़ी हुई है, तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कैसे शिकायत करेंगे, उसका नमूना तैयार कीजिए।



५. भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियाँ

लोकतंत्र निरंतर चलनेवाली एक प्रक्रिया है। लोकतंत्र को स्वीकार करने का अर्थ लोकतंत्र अस्तित्व में आया; ऐसा नहीं होता है। अतः लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। उस प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं। लोकतंत्र को बाधा पहुँचाने वाले खतरों को समय पर पहचानकर लोकतंत्र के माध्यम से ही उनका निराकरण करना आवश्यक होता है। प्रस्तुत प्रकरण में हम भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख जो चुनौतियाँ हैं, उनका प्रमुखतः अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम विश्व स्तर पर लोकतंत्र के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों का संक्षेप में अध्ययन करेंगे।

- आज विश्व का हर देश अपने-आप को लोकतंत्र का समर्थक बतलाता है परंतु वास्तव में लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता को अबाधित रखनेवाला और जनहित को प्रधानता देनेवाला लोकतंत्र बहुत ही कम देशों में देखने को मिलता है। आज जनतंत्र के सामने सबसे बड़ा खतरा सैन्यतंत्र का है। इसलिए विश्व स्तर पर सच्चे लोकतंत्र का प्रचार होना और प्रत्येक देश में उसको स्वीकार किया जाना लोकतंत्र के सम्मुख उपस्थित बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र के प्रसार की विश्व स्तर पर यह सबसे बड़ी चुनौती है

गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर यात्रा करनी हो तो किन लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण करना होगा ?

- जिन देशों में लोकतंत्र दृढ़ हुआ है; ऐसा हम मानते हैं, वहाँ भी व्यवहार में सीमित लोकतंत्र ही है। भारत जैसे अन्य देशों में भी लोकतंत्र का अर्थ केवल मतदान, चुनाव, शासन व्यवहार और न्यायालय तक ही सीमित माना जाता है परंतु यह लोकतंत्र का राजनीतिक स्वरूप है। यदि लोकतंत्र को जीवनप्रणाली बनाना हो तो लोकतंत्र का विस्तार

समाज के विविध क्षेत्रों तक होना चाहिए। इसके लिए समाज के सभी वर्गों का समावेश, सामाजिक संस्थाओं को स्वायत्तता, नागरिकों का सक्षमीकरण, मानवी मूल्यों की रक्षा आदि अनेक मार्गों का अवलंब करना पड़ेगा। सच्चे लोकतंत्र को दृढ़ बनाने के लिए यह कार्य पूर्ण होने की आवश्यकता है।



बताइए तो ?

लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियाँ चुनाव में सहभागी होकर सत्ता में प्रवेश करती हैं परंतु क्या राजनीतिक पार्टियों के अंतर्गत चुनाव होते हैं ? राजनीतिक पार्टियों को संगठनों के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक है, परंतु क्या ऐसे चुनाव होते हैं ?

मेरे सामने उपस्थित प्रश्न...

चीन ने वित्तीय सुधारों को स्वीकार किया। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी बना परंतु वहाँ एक ही पार्टी का वर्चस्व कैसे हो सकता है ? क्या चीन लोकतांत्रिक देश है ?

- लोकतंत्र की जड़ों को और गहरे ले जाना; यह सभी लोकतांत्रिक देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, शांति, प्रगति और मानवतावाद आदि मूल्यों को समाज के सभी स्तरों तक ले जाना आवश्यक है। लोकतंत्र के माध्यम से उसके लिए आवश्यक व्यापक सहमति भी बनाना संभव है। लोकतंत्र को अधिक गहराई तक ले जाने के लिए कुछ सुधारों की आवश्यकता है।

भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियाँ

लोकतंत्र को और अधिक सार्थक बनाने के लिए शासन द्वारा सत्ता का विकेंद्रीकरण करना,

महिला और दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए आरक्षण देना जैसे अनेक उपाय कार्यान्वित किए परंतु उससे क्या नागरिकों के हाथ में वास्तविक सत्ता आ गई ? इस प्रश्न पर सोचना आवश्यक है ।

संप्रदायवाद और आतंकवाद : धार्मिक संघर्ष और उससे निर्माण होनेवाला आतंकवाद भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती है । समाज में धार्मिक शत्रुता और खाई बढ़ने पर सामाजिक स्थिरता नष्ट होती है । आतंकवाद जैसी घटनाओं के कारण लोकतंत्र में लोगों का सहभाग कम हो जाता है ।

वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवादी) : नक्सलवाद भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है । भूमिहीन किसानों, आदिवासी लोगों पर होनेवाले अन्याय को दूर करने की भावना से नक्सलवाद की शुरुआत हुई । इस नक्सलवाद ने अब उग्र रूप धारण किया है परंतु इसमें किसान और आदिवासियों की समस्याओं का महत्त्व कम हो गया और सरकार को हिंसक पद्धति से विरोध करना, पुलिस पर हमले करना जैसे अनुचित मार्गों का उपयोग नक्सलवादी गुटों द्वारा किया जाता है ।

भ्रष्टाचार : भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार की समस्या दिखाई पड़ती है । राजनीतिक और प्रशासकीय स्तर पर होनेवाले भ्रष्टाचार से सरकार की कार्यक्षमता कम हो जाती है । सरकारी कार्यों में होनेवाली देरी, सार्वजनिक सुविधाओं की घटती गुणवत्ता, विभिन्न वित्तीय घोटालों से लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास, असंतोष की भावना बढ़ने लगी है । चुनाव प्रक्रिया में होनेवाला भ्रष्टाचार, फर्जी मतदान,

मतदाताओं को प्रलोभन देना, अपहरण करना जैसी घटनाओं से लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर से विश्वास उठ सकता है ।

राजनीति का अपराधीकरण : राजनीतिक प्रक्रिया में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की बढ़ती सहभागिता लोकतंत्र के सामने एक गंभीर चुनौती है । आपराधिक पार्श्वभूमि और जिन व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं; ऐसे व्यक्तियों को कई बार राजनीतिक पार्टियों से उम्मीदवारी दी जाती है: जिससे राजनीति में धन और गुंडागर्दी का महत्त्व बढ़ गया है । चुनाव के समय हिंसाचार से काम लिया जाता है ।

सामाजिक चुनौतियाँ : उपर्युक्त चुनौतियों के अलावा लोकतंत्र के सामने कई सामाजिक चुनौतियाँ भी हैं । बेरोजगारी, व्यसनाधीनता, अकाल, संसाधनों का असमान वितरण, निर्धन-धनवान लोगों के बीच बढ़ती खाई, जातीयता जैसी सामाजिक समस्याओं को हल करना बहुत जरूरी है ।

भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं ?

(१) लोकतंत्र में बहुमत का बड़ा महत्त्व होता है । लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है; वह पार्टी सत्ता में आ जाती है । संसद में सभी निर्णय बहुमत से लिये जाते हैं । बहुसंख्य समाज का कल्याण करना लोकतंत्र का प्रमुख उद्देश्य है । बहुमत को महत्त्व देते समय जो अल्पमत में और अल्पसंख्यक हैं; उनपर अन्याय भी हो सकता है । यद्यपि लोकतंत्र बहुमत से चलनेवाली सरकार होती है, फिर भी जो लोग अल्पमत में हैं, उनको निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना, उनके हित संबंधों के बारे में विचार करना सरकार का एक कर्तव्य है । संक्षेप में; लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी लोगों के विचारों को महत्त्व मिलना चाहिए । साथ ही बहुमत की सरकार केवल बहुसंख्यक समाज वर्ग की ही सरकार न हो । सभी धार्मिक, वांशिक, भाषाई, जातीय वर्गों को लोकतंत्र की निर्णय प्रक्रिया में सहभागी होने का समान अवसर मिलना चाहिए ।

(२) भारतीय न्यायालय राजनीतिक प्रक्रिया को

आपको क्या लगता है ?

राजनीति में प्रचलित परिवारवाद लोकतंत्र के सामने बड़ी समस्या है । राजनीति में एक ही परिवार का एकाधिकार निर्माण होने से लोकतंत्र का क्षितिज (democratic space) सिकुड़ता है । आम लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र में सहभाग होने का अवसर नहीं मिलता ।

और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु प्रयत्न करते हुए दिखाई देता है। विशेषतः राजनीति का अपराधीकरण होने से रोकने के लिए न्यायालय द्वारा अपराधियों को कड़ा दंड देना और राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने से रोकना जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं।

(३) भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए केवल सरकार, प्रशासन और न्यायालयीन स्तर पर प्रयत्न करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर प्रयत्न करने चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ग्राम समृद्धि योजना, स्व-सहयोग गुटों की स्थापना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जैसी कई योजनाएँ चलाई जाती हैं। स्त्रियों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए स्थानीय



एक कदम स्वच्छता की ओर



स्वाध्याय



शासन संस्थाओं में स्त्रियों के लिए ५०% स्थान आरक्षित रखे गए हैं।

(४) यदि भारत में लोकतंत्र को सफल बनाना है तो सभी स्तरों पर नागरिकों की सहभागिता बढ़नी चाहिए। विशेषतः शासन की गतिविधियों के स्तर पर नागरिकों के शामिल होने से सार्वजनिक नीतियों का स्वरूप बदल जाएगा। परस्पर संवादों द्वारा उनकी निर्मिति होगी। लोकतंत्र की सफलता के लिए जो लोग सत्ता में नहीं आ पाए हैं; उनके साथ आदान-प्रदान करना आवश्यक है।

हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, पंथनिरपेक्षता जैसे मूल्यों का सम्मान और संवर्धन करना चाहिए। हम देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, यह भावना रखने से ही लोकतंत्र सफल होगा।

१. निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए।

- (१) लोकतंत्र में चुनाव में शामिल होकर सत्ता में प्रवेश करते हैं।
(अ) राजनीतिक दल (ब) न्यायालय
(क) सामाजिक संस्था (ड) इनमें से कोई नहीं
- (२) विश्व में सभी लोकतांत्रिक देशों के सामने बड़ी चुनौती है।
(अ) धार्मिक संघर्ष
(ब) नक्सलवादी गतिविधियाँ
(क) लोकतंत्र को और दृढ़ बनाना।
(ड) अपराधीकरण को महत्व

२. निम्न कथन सत्य है या असत्य, सकारण स्पष्ट कीजिए।

- (१) लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जागरूक रहना पड़ता है।
- (२) वामपंथी उग्रवादी आंदोलन में आज किसान और आदिवासियों की समस्याओं का महत्व बढ़ रहा है।

- (३) चुनाव में होनेवाले भ्रष्टाचार से लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति विश्वास उठ सकता है।

३. टिप्पणियाँ लिखिए।

- (१) वामपंथी उग्रवाद (२) भ्रष्टाचार

४. निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए।

- (१) भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए किन बातों की आवश्यकता है?
- (२) राजनीति का अपराधीकरण होने का क्या परिणाम होता है?
- (३) राजनीतिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु कौन-से प्रयत्न किए जाते हैं?

उपक्रम

- (१) भ्रष्टाचार की रोक-थाम करने के लिए आप कौन-कौन-से उपाय बताएँगे, उनकी सूची तैयार कीजिए।
- (२) 'भारत में आतंकवाद' इस समस्या पर कक्षा में गुटचर्चा का आयोजन कीजिए।
- (३) 'नशील पदार्थों से मुक्ति' इस विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कीजिए।



राजनीति विज्ञान के अध्ययन से....

भारत का प्रत्येक नागरिक, यद्यपि वह गाँव, तहसील अथवा शहर में रहनेवाला हो, प्रतिदिन कई नगरीय और राजनीतिक प्रश्नों से उलझा रहता है। अधिवास प्रमाणपत्र, जाति का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड के लिए किससे मिलना चाहिए? पेयजल, सार्वजनिक स्वच्छता के संदर्भ में कहाँ शिकायत करनी चाहिए? मकान संबंधी दस्तावेज कहाँ से प्राप्त करें? सार्वजनिक सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? इससे संबंधित जानकारी हमें नागरिकशास्त्र और राजनीति विज्ञान के अध्ययन से मिलती है। अच्छा नागरिक बनने, देश के नागरिक के रूप में हमें अपने अधिकार और कर्तव्यों का बोध इसका अध्ययन करने से होता है। भारत और विदेश में अगर आपको यात्रा करनी हो तो नागरिक के रूप में आवश्यक बोध इस विषय के माध्यम से निर्माण होता है।

शिक्षा के पश्चात जब आप अपने भविष्य का नियोजन करेंगे, उस समय भी आपको राजनीति विज्ञान की मदद होगी। संघ लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग और बैंकों की भर्ती परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों में भी भारतीय शासन और राजनीति इन विषयों का समावेश रहता है। आप अपने व्यवसाय या व्यावसायिक अवसर के लिए किसी भी क्षेत्र का चयन करें, राजनीति विज्ञान उसकी नींव है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, लोक प्रशासन, शांति और संघर्ष जैसे विषयों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के बिना नहीं हो सकता। इन अध्ययन विषयों में रोजगार के कई अवसर अब उपलब्ध हैं। ये अवसर केवल अध्यापन और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी, नीति विश्लेषण, राजनीतिक नेताओं के सलाहकार संगठनों में भी उपलब्ध हैं।

वैश्वीकरण के कारण राजनीति विज्ञान का व्यावहारिक रूप में उपयोग किया जा सकेगा; इसके कई अवसर उपलब्ध हुए हैं। शासन और राजनीति को समझने वाले अनुसंधानकर्ताओं और मध्यस्थ व्यक्तियों की आज राजनीतिक दल, दबाव गुट, गैरसरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों को जरूरत है। राजनीतिक प्रक्रिया और नौकरशाही की जटिलताओं को समझने वाले और विश्लेषणात्मक कौशलप्राप्त व्यक्तियों की सभी क्षेत्रों में आवश्यकता है।



महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

इतिहास व राज्यशास्त्र इ. १० वी (हिंदी माध्यम)

₹ 56.00

